लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

...vation Unit
8-5-92
...nigated
On 15/11/83
6
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१—८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १६, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौंतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९—४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

	पृष्ठ
पारित करने का प्रस्ताव . .	२७५
फार्मेसी (संशोधन) विधेयक	२७५—८४
विचार करने का प्रस्ताव . .	२७५—८२
खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १	२८३—८४
पारित करने का प्रस्ताव	२८४
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक .	२८४—८६
दैनिक संक्षेपिका	२८७—९३
अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ .	२९५—३१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ .	३१९—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ .	३३९—७५
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
चीनी मिलों में तालाबन्दी . .	३७५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	३७५—७८
विधेयक पर राय . . .	३७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु	३७८—८०
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक .	३८०—४२८
विचार करने का प्रस्ताव . . .	३८०—४१८
खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र .	४१८—२३
पारित करने का प्रस्ताव	४२३—२८
दैनिक संक्षेपिका	४२९—३६
अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४	४३७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२	४५९—७९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६	४७९—९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००–०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४–३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२–५३

दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५६

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८–४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०–५१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२६ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६, ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ६—गुरुवार, १६ फरवरी, १६५६/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३६ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५६

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य . . . . ११४९—५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ११६८—६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९

३० माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि प्रशासन समिति

+

†*४१८. {
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामी रेड्डी :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ क तारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि प्रशासन समिति की उन सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है;

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

(ग) क्या कृषि प्रशासन समिति की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों की राय का अब तक पता चल गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उन्हें ये सिफारिशें कार्यान्वित करने के योग्य बनाने के लिये कोई आर्थिक सहायता देगी; और

†मूल अंग्रेजी में

346 (Ai) LSD.—1.

(ङ) यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली कृषि प्रशासन की सिफारिशों का राज्य सरकारों सम्बन्धी सिफारिशों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। ६ और ७ फरवरी, १९५९ को हुए राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि राज्यों से सम्बन्ध रखने वाली सिफारिशों के बारे में जो निष्कर्ष निकाले जायें उन्हें देखते हुए केन्द्र से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११५**]

(ग) राज्यों के कृषि मंत्रियों के उल्लिखित सम्मेलन में राज्य सरकारों की राय केन्द्रीय सरकार को बता दी गई थी।

(घ) राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राज्य सरकारें उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये तो तैयार हैं जिन पर कोई खर्च नहीं होगा परन्तु जिन पर रुपया खर्च होगा उन्हें वे तभी कार्यान्वित कर सकती हैं जबकि सारा खर्च केन्द्रीय सरकार योजना की व्यवस्था के अतिरिक्त अपने पास से करे क्योंकि द्वितीय योजना की शेष अवधि के लिये राज्यों के वित्तीय संसाधन पहले से आवंटित थे। राज्य सरकारें इस बात के लिये तैयार हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को किस प्रकार आर्थिक सहायता दी जा सकती है, इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ङ) प्रत्येक राज्य में होने वाले खर्च का हिसाब लगा कर केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजना स्वीकार कर लिया है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : समिति की मुख्य सिफारिशों में किस हद तक परिवर्तन किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले वह यह तो पता लगायें कि क्या सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं या नहीं।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकारें उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैं जिन पर कोई खर्च नहीं होगा और खर्च होने वाली सिफारिशों के लिये वे केन्द्र से सहायता चाहती हैं। केन्द्रीय सरकार सहायता देने के बारे में विचार कर रही है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। हमें सिफारिशों की एक सूची दी गई है। मैं जानना चाहता था कि क्या समिति की मुख्य सिफारिशों में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सोच समझ कर प्रश्न पूछने चाहियें। वह किस परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं ? सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं और उन पर होने वाले खर्च के लिये वे केन्द्रीय सहायता चाहती हैं। माननीय मंत्री यह सब बता चुके हैं। परिवर्तन कहां हुआ है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** उन सिफारिशों में जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार से है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब माननीय सदस्य को इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिये था।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** ऐसी कोई सिफारिशें नहीं हैं क्योंकि कृषि मुख्यतः राज्य का विषय है इसलिये हर एक सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सरकार से है ?

†**श्री रामी रेड्डी :** आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम बढ़ाये हैं। क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है और क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता मांगी है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** बहुत सी राज्य सरकारें अपने कृषि विभागों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने गत दो या तीन मास में वेतन क्रमों में कुछ परिवर्तन किये हैं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई निधि नहीं मांगी है और यदि वे मांगेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** समिति का विचार है कि योजना तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सिंचाई और कृषि विभागों में तालमेल न होने के कारण सिंचाई साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह भी सिफारिश की गई है कि सिंचाई विभाग में एक विशेष कृषि पदाधिकारी रहना चाहिये जो राज्यों के कृषि विभागों और कृषकों में सम्पर्क स्थापित करे और यह भी सिफारिश की गई है कि कृषि और सिंचाई के विभाग एक ही मंत्री को सौंपने की सम्भावना पर विचार किया जाये। इन सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की क्या राय है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** इस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतः राज्यों से है क्योंकि राज्यों में यह अनुभव किया जाता है कि सिंचाई और कृषि एक साथ रहने चाहियें। सम्मेलन में विस्तारपूर्वक इस मामले पर विचार किया गया था और सम्मेलन के परिणामों से राज्य सरकारों को सूचित कर दिया जायेगा क्योंकि जहां दोनों के अलग अलग मंत्रालय हैं वहां राज्य मंत्रिमंडल को ही निर्णय करना पड़ेगा। इसलिये हम इस सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज देंगे।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या केन्द्रीय सरकार समिति की इस आपत्ति से सहमत है कि राज्यों और केन्द्र में कृषि विभागों के कर्मचारियों के वेतन कम होने के कारण ही देश में अनाज की पैदावार कम होती है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह सिफारिश की है कि इन पदाधिकारियों के वेतन आदि बढ़ा दिये जायें ताकि देश में अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सके।

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हम यह नहीं मानते कि केवल यही एक कारण है परन्तु हम यह स्वीकार करते हैं कि कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतन अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान होने चाहियें।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि कृत्यों को कृषि विभाग और सहकारिता विभाग में बांट दिया जायेगा। क्या राज्यों और केन्द्र में इन कृत्यों का बंटवारा करने के लिये कोई समिति बिठाई जायेगी और यदि हां, तो समिति की सिफारिशें कब उपलब्ध होंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अलग समिति की कोई जरूरत नहीं है। कृषि प्रशासन समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की हैं उनका परीक्षण हमारे मंत्रालय में किया जा रहा है और मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें भी उपलब्ध हैं। आवश्यक कार्यवाही मंत्रालय द्वारा की जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सम्मति दी है, उसने कितने रुपयों की मांग की है और उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न के साथ तीन चार प्रश्न कर दिये जायेंगे तो उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : उनका सम्बन्ध एक ही प्रश्न से है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : उत्तर प्रदेश सरकार की राय यह थी कि जो सिफारिशें की गई हैं वे बहुत मुनासिब हैं और उनके ऊपर अमल होना चाहिये। अभी तक उन्होंने रुपये का हिसाब किताब पूरा नहीं किया है।

†**श्री जयपाल सिंह :** प्रतिवेदन में बड़े ज़ोरदार शब्दों में कहा गया है कि कृषि विभाग में निकम्मे व्यक्ति बहुत अधिक हैं। क्या मंत्री महोदय इस बारे में निश्चित आंकड़े बता सकते हैं ? कृषि के डायरेक्टर कृषि विभाग के लगभग ३० से ४० प्रतिशत तक कर्मचारियों को बदलना चाहते हैं क्या कृषि विभाग में वाकई निकम्मे आदमियों की संख्या इतनी अधिक है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इसमें सन्देह नहीं कि कुछ निकम्मे लोग हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। इनकी संख्या प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। केन्द्र में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** यह देखते हुये कि समिति ने विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि संघ राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी योजनायें पुनः प्रशासन विभागों को सौंपी जायें न कि भारत सरकार को क्या भारत सरकार आगामी वित्त वर्ष से इस सिफारिश को कार्यान्वित करेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हम सामान्यतः उस प्रतिवेदन से सहमत हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित थे और वे इस मामले में जो ठीक समझेंगे कार्यवाही करेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण में कहा गया है कि "समिति की राय है कृषकों को बढ़िया प्रकार के औजारों के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम के साथ-साथ ऋण देने का उपयुक्त कार्यक्रम भी आरम्भ किया जाये।" क्या इस समिति ने कृषकों की बढ़ती हुई ऋणिता की ओर भी ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस मामले में किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही : समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को उर्वरक के लिये दिये गये ऋण पर ब्याज लेना स्थगित कर दिया जाये । किन-किन राज्यों को उर्वरक के लिये ऋण दिये गये हैं और उनके पास ब्याज की कितनी राशि बकाया है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें । ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं यह नियम बनाता हूं । समिति की सिफारिशें बहुत सी होती हैं । यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहें तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं परन्तु मैं इतने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता कि वह चर्चा का रूप ही धारण कर लें ।

†श्री पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने कहा है कि समिति की सिफारिशों से केन्द्र का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा था कि मुख्यतः यह राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य कार्यवाही करता है तो केन्द्रीय सरकार भी उसके साथ ही है ।

†श्री जाधव : समिति की रचना क्या है और क्या निर्णय करते समय कृषकों की भी राय ली गई थी ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इस समिति के मुख्य राज सुरेन्द्र सिंह, हमारे मंत्रालय के एक मंत्रणाकार थे जो स्वयं भी कृषक हैं । समिति में कुछ और विशेषज्ञ भी थे ।

†श्री राजेन्द्र सिंह : आपने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा । प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति के लिये मैंने एक प्रस्ताव रखा था . . . .

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें । यदि नियमानुसार और ठीक तरीके से प्रस्ताव रखा जाये तो मैं उस पर विचार करूंगा और यदि मैं जरूरत समझूंगा तो प्रस्ताव पर अनुमति दे दूंगा ।

अन्दमान से इमारती लकड़ी

†*४१९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री मुरारका : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज पी० सी० राय एण्ड कम्पनी ने अब तक किस किस प्रकार की इमारती लकड़ी का विदोहन उत्तर अन्दमान में किया है ;

(ख) अब तक कुल कितनी इमारती लकड़ी निकाली गई है ;

(ग) इस में से कितनी लकड़ी का निर्यात किया जा चुका है ;

(घ) अब तक कम्पनी से कितना स्वामिस्व लिया जाना है ;

(ङ) इस समय स्वामिस्व की कितनी राशि बकाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या उत्तर अन्दमान में वनों के विदोहन का राजस्व मैसर्ज़ पी० सी० राय एण्ड कम्पनी के पास ही रहेगा ; और

(छ) यदि हां, तो कितने समय तक ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (छ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११६**]

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से पता चलता है कि गत आठ वर्ष से कम्पनी ने अपनी मिलों में २०,००० टन की खपत की । क्या उनके उत्पादन विक्रय के लिये कलकत्ता अथवा किसी अन्य स्थान पर लाये गये थे ? क्या रेलवे के स्लीपरों की मांग, जो इतनी अधिक है, पूरी की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, उन्हें कलकत्ता ला कर बेचा जाता है । कई बार उनका निर्यात भी किया जाता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : करार १९५१ में किया गया था । कड़ी और नकाशी करने योग्य लकड़ी का स्वामिस्व निश्चित करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ और इतनी बकाया राशि क्यों जमा हो गई ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : १९५८–५९ की पहली तीन तिमाहियों का स्वामिस्व निश्चित नहीं था । शेष का निश्चित है और चुका दिया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि १-९-१९५१ से ३१-१२-१९५८ तक निर्यात की गई इमारती लकड़ी पर निर्धारित देय राशि ४८,०९,३४२·२५ रुपये है । कम्पनी ने अपनी मिलों में जिस लकड़ी का प्रयोग किया क्या उस पर स्वामिस्व प्राप्त किया गया है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमने जो करार किया था उसके उपबन्धों के अनुसार वसूली की जाती है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि विवरण में बताई गई राशि के अतिरिक्त इस कम्पनी से २१ लाख रुपये से अधिक राशि इस उपलक्ष में वसूल की जानी है कि करार प्रत्याभूत निम्नतम मात्रा में वह इमारती लकड़ी नहीं निकाल सकी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे ठीक-ठीक राशि तो मालूम नहीं परन्तु उनसे जुर्माने की कुछ राशि वसूल की जानी है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि यह राशि इसलिये वसूल नहीं की गई कि सरकार भूतलक्षी प्रभाव से इस करार का पुनरीक्षण करना चाहती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं, वसूली न करने का यह कारण नहीं है । हम वसूली करना चाहते हैं परन्तु हमें यह भी तो देखना है कि फर्म को लकड़ी निकालने में क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह देखते हुए कि यह फर्म श्रमिकों की मजूरी के भुगतान के मामले में पहले काफी बदनाम थी, क्या सरकार को इस बात का सन्तोष है कि स्थिति पहले से सुधर चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : जी हां, हमने इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए कार्यवाही की थी और मेरे ख्याल में यह सन्तोषजनक है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या अन्दमान के इमारती लकड़ी के वन भारत की तरह सार्वजनिक रूप से नीलाम किये जाते हैं जैसे कि भारत के अन्य भागों में किये जाते हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी नहीं। विवरण से स्पष्ट है कि इस कम्पनी के साथ हमने ठेका किया है और वह हमारी ओर से इमारती लकड़ी निकाल रही है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : श्रीमान्, सब माननीय सदस्यों को विवरणों की प्रतियां नहीं दी जाती हैं इसलिये हम उनमें दी गई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल 'नोटिस आफिस' में एक प्रति रख दी जाती है।

†अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य वहां जाकर देख सकते हैं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : केवल उन्हीं सदस्यों को प्रतियां भेजी जाती हैं जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी होती है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं वहां एक दर्जन प्रतियां रखवा दूंगा।

†श्री नौशीर भरूचा : वहां देखने जाने में बड़ी कठिनाई होती है।

†श्री वें० प० नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि इमारती लकड़ी को कलकत्ता ला कर बेचा जाता है। रेलवे को लकड़ी के स्लीपर प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि इस फर्म ने रेलवे को लकड़ी के कितने स्लीपर सप्लाई किये हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे ठीक-ठीक संख्या तो ज्ञात नहीं परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम रेलवे को अधिक से अधिक स्लीपर सप्लाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस फर्म से सरकार को कितनी राशि लेना बकाया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : वह विवरण में बताया गया है।

†श्री मुरारका : क्या सरकार करार पर पुनर्विचार करते समय एकस्व की २५ वर्ष की अवधि पर भी पुनर्विचार करेगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हम इसका पुनरीक्षण नहीं कर सकते; यदि हम असन्तुष्ट हों तो करार को समाप्त कर सकते हैं।

"अपना टेलीफोन" योजना

+

†*४२०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अपना टेलीफोन" योजना अब भी चल रही है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह अब भी चल रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में जमा कराई जाने वाली राशि घटा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब से घटाया गया है; और

(ङ) क्या इससे आवेदन पत्र भेजने वालों की संख्या बढ़ गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) (१) दिल्ली (२) बम्बई (३) मद्रास और (४) अहमदाबाद और कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, कानपुर और वीरावल में इस योजना में कुछ शर्तें ढीली कर दी गई हैं। दिल्ली, मद्रास और बम्बई के कुछ क्षेत्रों में भी शर्तें ढीली कर दी गई हैं।

(ग) जी हां, केवल कानपुर में।

(घ) सितम्बर, १९५७।

(ङ) जी हां, कुछ हद तक।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या शर्तों को ढीला करने से कोई हानि हुई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : शायद नहीं। हमने अभी घाटे का हिसाब नहीं लगाया है। यदि माननीय सदस्य ठीक-ठीक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिये।

†**श्री सुबोध हंसदा** : रियायत देने के बाद और कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

†**श्री स० का० पाटिल** : रियायत इसलिये दी गई कि स्थिति में सुधार हुआ है और यदि स्थिति और सुधर जाये तो इस प्रकार की कोई योजना ही आरम्भ नहीं की जायेगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस श्रेणी के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और वे कब से पड़े हुए हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : किस नगर में ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : दिल्ली में।

†**श्री स० का० पाटिल** : दिल्ली में कमी ज़्यादा है और करोल बाग ऐक्सचेंज के इलावा और कहीं मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया जा सकता। विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या मेरे पास उपलब्ध नहीं है परन्तु वह काफी ज़्यादा होगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या टेलीफोन लगवाने के लिये लोगों को आकर्षित करने की कोई और योजना है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : "अपना टेलीफोन" योजना का यह उद्देश्य नहीं है। यह केवल धन प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसके लिये उपकरण और एक्सचेंज की भी व्यवस्था करनी होगी। पहले उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है और उसमें समय लगता है।

†**श्री नवल प्रभाकर** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं जैसे करोल बाग में। टेलीफोन डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि इस मामले में कुछ टेक्निकल डिफीकल्टीज़ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे टेक्निकल डिफीकल्टीज़ क्या हैं, वे तो करोल बाग में भी होंगी।

†**श्री स० का० पाटिल** : टैक्नीकल कठिनाइयों के बारे में मुझे ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। 'केबल' अथवा एक्सचेंज की कठिनाई हो सकती है। करोल बाग में एक्सचेंज है। जब हम एक्सचेंज

---

†मूल अंग्रेज़ी में

का निर्माण करने की योजना बना लेते हैं तो हमें भूमि अर्जित करनी पड़ती है। कई बार बहुत समय लग जाता है। करोल बाग में शायद एक्सचेंज होने के कारण ही रियायत दी गई है।

†**श्री नवल प्रभाकर :** करोल बाग में भी तो यह दिक्कत है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** करोल बाग में शायद एक्सचेंज होने के कारण ही यह रियायत दी गई है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** "अपना टेलीफोन" प्रणाली के अन्तर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों में २००० रुपये देने पर भी छः या सात मास बाद टेलीफोन मिलता है। क्या इसका यह कारण है कि उन शहरों में प्राथमिकता सूचियां बन चुकी हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** कलकत्ता में तो काफी छूट दी गई है परन्तु बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद के बारे में शायद आपका कहना सही हो। क्योंकि जब संख्या बहुत अधिक हो तो प्राथमिकता से ही मामला तय हो सकता है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह योजना लाभदायक है तो इसे और नगरों में क्यों नहीं चालू किया जाता, और अगर यह लाभदायक नहीं है तो इन नगरों में भी क्यों नहीं इसको समाप्त कर दिया जाता ?

श्री स० का० पाटिल : आपने तो ओ० वाई० टी० के बारे में कहा। वह लाभदायक नहीं है, उससे तो खाली पैसा मिलता है। लेकिन जो बाकी रुकावटें हैं वे तो हैं ही।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

+

†*४२१. {
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री साधन गुप्त :
श्री राम गरीब :
श्री ना० रा० मुनिस्वामी :
श्री वाजपेयी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पांगरकर :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में विश्व बैंक के तत्वाधान में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच वाशिंगटन में जो बातचीत हो रही है उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यह बातचीत कब तक चलने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). विश्व बैंकके सत्प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच २ दिसम्बर, १६५८ से जो बातचीत पुनः आरम्भ हुई थी वह अब भी चल रही है । इस अवस्था में अभी यह बताना कठिन है कि यह बातचीत कब तक चलेगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने पानी देते रहने की अन्तिम तिथि घोषित कर दी है, क्या वार्ता इसी को आधार मान कर की जा रही है ?

† **श्री हाथी :** तिथि बातचीत का आधार नहीं हो सकती । आधार तो विश्व बैंक का प्रस्ताव है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या बातचीत शुरु करने से पहले विवादग्रस्त दावों के निबटारे और स्वीकृत दावों का भुगतान करने की मांग की गयी थी ?

† **श्री हाथी :** विवादग्रस्त और निर्विवाद दावों का वर्गीकरण तो बातचीत आरम्भ होनेसे बहुत पहले १६४८ में ही कर लिया गया था ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या विश्व बैंक ने कोई नया सुझाव दिया है, और यदि हां, तो उस पर भारत और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

† **श्री हाथी :** विश्व बैंक ने कोई नया प्रस्ताव नहीं किया है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार को इस बात का कुछ अंदाज़ है कि इस बातचीत पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

†**श्री हाथी :** मेरे पास वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन इसमें केवल हमारे उन अफसरों का राह-खर्च शामिल है जो वहां रह रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह बातचीत लगभग कितने समय के भीतर पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री हाथी :** इसका उत्तर मैं मुख्य उत्तर में ही दे चुका हूं । अभी यह बताना कठिन है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या उपमंत्री महोदय को पता है कि पिछले वर्ष प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि इस बातचीत और सम्मेलनों में इतना अधिक व्यय होता है जिनसे कई निर्माण कार्य हो सकते थे ? क्या सरकार को इस बात का कुछ भी अन्दाज़ है कि कुल कितना व्यय हुआ होगा ?

†**श्री हाथी :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : यह खर्च मुख्य रूप से लोगों के इस प्रयोजन के लिये अमरीका जाने और वहां महीनों तक रहने के सम्बन्ध में होता है । यदि आठ नौ वर्षों के खर्च को जोड़ दिया जाय तो यह बहुत बड़ी राशि हो जायगी । मैं निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता पर मेरा ख्याल है कि एक प्रश्न के उत्तर में इस सभा में यह राशि बतायी जा चुकी है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** पाकिस्तान सरकार नहरों के निर्माण के लिये ३०० करोड़ रुपयों की जो अपार धन-राशि चाहती थी उसके वास्तविक आंकड़े और ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हाथी :** यह नहरों के निर्माण के लिये नहीं थी। कोई प्रतिवेदन था और यह राशि उस योजना के लिये थी जो उन्होंने दी है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम १९६२ की अन्तिम तिथि का सख्ती से पालन करेंगे जब राजस्थान नहर को जल-सम्भरण आरम्भ हो जायगा और पाकिस्तान को जल-सम्भरण बन्द कर दिया जायगा ?

†**श्री हाथी :** हमने विश्व बैंक और पाकिस्तान को यह सूचना दे दी थी कि १९६२ तक हम पानी बन्द कर देने के लिये तैयार हो जायेंगे और उस समय प्रतीक्षा करना हमारे लिये कठिन होगा।

†**श्री राम गरीब :** क्या हमारी सरकार पाकिस्तान में सम्पर्क-नहरों के निर्माण में आर्थिक सहायता करेगी और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री हाथी :** यह बातचीत के अन्तिम परिणामों पर निर्भर करता है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं यह जानना चाहता हूं कि नहरी पानी के मुताल्लिक जितने भी मुताजां अमुरात हैं क्या हमने इनमें गंगा बांध को भी शामिल किया है और इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक ने क्या नजरिया पेश किया है ?

†**श्री हाथी :** यह बातें योजना के व्यौरे की हैं और इसे अभी प्रगट करना सम्भव नहीं होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान को इस पानी का सम्भरण होता रहना पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है, और यदि हां, तो इस समस्या को यथाशीघ्र हल करने के लिये क्या किया जा रहा है ताकि पूर्वी पंजाब के खेतिहरों को मौत की समस्या का सामना न करना पड़े ?

†**श्री हाथी :** प्रत्येक वर्ष जल-सम्भरण के लिये करार करते समय हम अपने देश की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि यद्यपि पिछले ११ वर्षों से वाशिंगटन और अन्य स्थानों पर बातचीत चल रही है, फिर भी दोनों देशों के अधिकारीगण गैर-सरकारी तौर पर यह बात मानते हैं कि वे इस विवाद को तय करने में असमर्थ हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कराची और नयी दिल्ली को स्वीकार्य हल निकालने को कहेगी ?

†**श्री हाथी :** मेरा ख्याल है कि विश्व बैंक ही दोनों पक्षों में समझौता कराने का सत्प्रयत्न कर रहा है ।

भारतीय नदियों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता

\+

†*४२२. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नदियों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता का पूर्णरूपेण अध्ययन करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११८]**

(ख) जनवरी, १९५९ के अन्त तक लगभग २,०७,२०० रुपये ।

†**श्री राम कृष्ण :** यदि कुछ नदियों के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य पूरा हो चुका हो तो उन नदियों की प्राक्कलित सिंचाई क्षमता कितनी है ?

†**श्री हाथी :** इस ब्यौरे का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है । हमने केवल नदियों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण :** ब्रह्मपुत्र नदी की विद्युत् क्षमता, जिसका हिसाब लग चुका है, कितनी है ?

†**श्री हाथी :** भारतीय राज्य-क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से १३३ लाख किलोवाट बिजली बन सकती है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** सिंचाई की क्षमता के उपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन में किस प्रकार की सिफारिशें की जाने वाली हैं ?

†**श्री हाथी :** यह प्रतिवेदन की शक्ल में नहीं है; यह वास्तव में देश की विद्युत् क्षमता का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी भी शामिल है या नहीं क्योंकि घाघरा के सम्बन्ध में अभी तक कोई योजना नहीं बनी है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी की बेसिन की स्टडी पूरी हो गयी है और ड्राफ्ट रिपोर्ट अंडर कम्प्लीशन है । वह भी है ।

†**श्री जाधव :** क्या उन सभी नदियों की जिनमें बारहों मास पानी रहता है, क्षमता पर विचार किया जायगा ?

†**श्री हाथी :** सभी नदियों की जांच की जायगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** क्या सभी नदियों को नहरों द्वारा आपस में मिलाने की योजना है ?

†**श्री हाथी :** एक योजना है कि जहां भी सम्भव हो विभिन्न नदियों को नहरों द्वारा आपस में मिला दिया जाय ।

†**श्री वें० पे० नायर :** क्या सरकार ने केरल की उन नदियों की, जिनमें बारहों मास पानी रहता है, सिंचाई और विद्युत् क्षमता सम्बन्धी बृहत्तर योजना का अध्ययन कर लिया है, और यदि हां, तो क्या वे अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की बृहत्तर योजना बनाने का निदेश दे रही हैं ?

†**श्री हाथी :** जी हां । मैंने केरल सरकार की बृहत्तर योजना देखी है । अन्य राज्य भी बृहत्तर योजनायें बना रहे हैं । वास्तव में आसाम ने बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में ऐसी बृहत्तर योजना बना भी ली है ।

†**श्री रामी रेड्डी :** कृष्णा और गोदावरी नदियों की सिंचाई क्षमता कितनी है और राज्य सरकार इसमें से कितनी का उपयोग करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** इन दोनों नदियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं पर दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की विद्युत् क्षमता ६८ लाख किलोवाट है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उड़ीसा की, जिस में महानदी भी शामिल है, विद्युत् क्षमता का अनुमान लगा लिया गया है, और यदि हां, तो वह कितनी है ?

†**श्री हाथी :** महानदी की जांच कुछ बातों के सम्बन्ध में तो पूरी हो गयी लेकिन अभी पूर्णतः पूरी नहीं हो पाई है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या नरबदा, ताप्ती और साबरमती नदियों की विद्युत्-क्षमता की जांच हो गयी है ?

†**श्री हाथी :** इन के मामले में विद्युत् क्षमता की जांच कर ली गई है ।

बकिंघम नहर का यातायात सर्वेक्षण

+

†* ४२५. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम् : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकिंघम नहर का यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन इस बीच आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार पूरा कर लिया है ; और

(ग) किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कुछ समय पूर्व यह कहा गया था कि यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन अक्तूबर के अन्त तक आ जायगा । यह विलम्ब क्यों हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस काम के लिये जिस यातायात-अफसर को नियुक्त किया गया था उस ने अपने हिसाब से समय लगाया है । वह अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान कर चुका है और उस के शीघ्र ही आ जाने की आशा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह प्रतिवेदन सरकार को कब तक मिल जाने की आशा है ? क्या कोई तारीख निश्चित की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं कोई निश्चित तारीख बता सकने में असमर्थ हूं क्योंकि यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह अफसर कितनी जल्दी उसे अन्तिम रूप प्रदान कर पाता है । मुझे यह आशा है कि यह अगले दो महीने के भीतर तैयार हो जायगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस बकिंघम नहर के सम्बन्ध में हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उस से तो द्वितीय योजना काल की पूरी अवधि में इस नहर पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को उस मशविरे के बारे में मालूम है जो योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में हमें दिया है। उस ने कहा है कि इस नहर के सम्बन्ध में किसी भी योजना पर कार्य आरम्भ करने से पहले यातायात के सम्बन्ध में पूरी जांच कर लेनी चाहिये क्योंकि इस पर से रेलों और सड़कों की काफी तगड़ी होड़ होती है। ये दोनों इस के समानान्तर चलती हैं और जब तक इस मार्ग विशेष से पर्याप्त यातायात न निकले तो हो सकता है कि इस लाइन पर किया गया व्यय आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न सिद्ध हो।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के लोक-निर्माण-विभाग के मंत्री ने कुछ ही दिन पहले यह कहा है कि इस नहर के अपने अंश को गहरा करने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने अपने नक्शे भेज दिये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : नक्शे तो यहां हैं। इन का सभा को भली भांति पता है। लेकिन चीज़ यह है कि पहले यातायात सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है।

†**श्री तिरुमल राव** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पूरी होने पर इस नहर पर रेल और सड़कों की होड़ से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिन विशेषज्ञों को इस योजना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था क्या उन के निर्देश पदों में यह बात भी शामिल थी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बात उन में नहीं थी। लेकिन योजना आयोग ने योजना के लिये धन देने के सम्बन्ध में जो शर्तें अनिवार्य निर्धारित कर दी हैं सर्वेक्षण भी उन्हीं में शामिल है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने जांच करने वाले अधिकारी को यह बात बता दी है कि इस सभा को यह आश्वासन दिया गया है कि यह प्रतिवेदन अक्तूबर तक दिया जाना है, और यदि हां, तो उसी के अनुसार प्रतिवेदन देना उन के लिये संभव क्यों नहीं हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त० ब० विट्ठल राव ने भी यही प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय इस का जवाब दे चुके हैं कि पहले प्रतिवेदन देना सम्भव नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस अफ़सर ने कितना समय मांगा है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : उन्हें मार्च में नियुक्त किया गया था। अप्रैल के अन्त में उन्हें प्रविधिक कर्मचारी मिल पाये क्योंकि उन को कमी है। फिर उस में लगभग छः महीने का समय लग गया। उन्हों ने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे लिया है। प्रतिवेदन में शीघ्रता कराने के लिये श्री सारथी नाम के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं।

दक्षिणी प्रदेश में गेहूं की खपत

†*४२६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में गेहूं की खपत में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ख) दक्षिणी प्रदेश में गेहूं को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) आयात किये हुए गेहूं की वितरण नीति उदार कर दी गयी है और आटे की रोलर चक्कियों समेत सब की आवश्यकता पूर्णतः पूरी की जा रही हैं ।

† **श्री नागी रेड्डी :** क्या सरकार को इस आशय की खबरें मिली हैं कि दक्षिण में मैदा और अन्य गेहूं-उत्पादों के भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं ।

†**श्री अ० म० थामस :** हम जो गेहूं देते हैं उस से बनी मैदा के भाव निर्धारित कर दिये गये हैं और अब विभिन्न राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लें । इस प्रकार, वितरण की यह व्यवस्था होने पर मुझे आशा है कि उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा नियत भाव पर मैदा मिल जायेगी ।

† **श्री नागी रेड्डी :** क्या सरकार को पता है कि दक्षिण के अखबारों में इस आशय के पत्र बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं कि पूरे दक्षिण प्रदेश के लिये, विशेष रूप से रामनद और मदुरै जिलों के लिये निर्धारित किये गये १५० पौंड के बोरे के लिये ४२ रुपये बोरे की जगह ७४ रुपये बोरे का भाव प्रचलित है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कुछ खबरें आई हैं । लेकिन संभवतः उन का सम्बन्ध देशी गेहूं से बनी मैदा से है । यह उत्तर से चोरी से दक्षिण में ले जाये गये गेहूं उत्पादों के सम्बन्ध में भी हो सकती हैं ।

† **श्री नागी रेड्डी :** मैं उस गेहूं की बात कर रहा हूं जो असैनिक संभरण विभाग द्वारा दिया जाता है । मैं उन खबरों का जिक्र कर रहा हूं जो पिछले तीन महीनों से नियमित रूप से निकल रही हैं । यहां तक कि कल के ही अखबार में यह खबर निकली है कि असैनिक संभरण विभाग द्वारा दिया गया गेहूं तक ४२ रुपये फी १५० पौंड के बोरे के स्थान पर ७४ रुपये फी-१५० पौंड के बोरे की दर से बिक रहा है ।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं मानता हूं कि दुरुपयोग हुआ है । इसीलिये राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लें और विभिन्न जिलाधीशों से कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं को परमिट दे दें ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या यह सच नहीं है कि स्वयं उपमंत्री महोदय को मैदा के भाव नियंत्रित भाव से दूने बताये गये थे ? क्या दक्षिण के राज्यों में मैदा के भाव इस कारण से बढ़ गये हैं कि चक्कियां न होने के कारण वहां मैदा पीसने की क्षमता काफी नहीं है ?

† **श्री अ० म० थामस :** कोयम्बटूर में प्रचलित भावों और मेरे अनुभव के विषय में एक पृथक प्रश्न पूछा गया है और उस का उत्तर उचित समय पर दिया जायगा ।

† **श्री वें० प० नायर :** लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी मिलना चाहिये ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं की कमी को देखते हुए क्या यह ज़रूरी है कि साउथ को गेहूं का आटा दिया जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इसलिये दिया जाता है कि वे कुछ गेहूं भी खायें और चावल भी खायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेल्को के इंजन

+

†*४२८. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री परूलकर : }

क्या **रेलवे** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५८ को आरम्भ होने वाली अवधि के लिये टेल्को के इंजनों की कीमतों के बारे में मध्यस्थ ने अपना पंचाट दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के पंचाट की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) मध्यस्थ निर्णय संबंधी कार्यवाही अभी चल ही रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : १७ नवम्बर, १९५८ को मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में "जी नहीं" और "प्रश्न उत्पन्न नहीं होता" कहा था । आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है । यह मसला कब मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा गया था और पंचाट को अंतिम रूप प्रदान करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पहली बात यह है कि जो तारीख निश्चित की गयी थी वह इस वर्ष फरवरी के मध्य की थी । उन्हों ने इस समय को चार महीने और बढ़ा देने के लिये कहा है । दोनों पक्ष समय बढ़ाने को राजी हो गये हैं । मेरा ख्याल है कि पंचाट जून के मध्य तक आ जायेगा ।

† **श्री स० म० बनर्जी :** मेरा यह निवेदन है कि टेल्को वाले ज्यादा कीमत मांग रहे हैं । वह इस सत्र में देर कराना चाहते हैं । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस में वह जान बूझ कर देर कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जानबूझ कर देर नहीं हो रही है । दोनों पक्षों ने लिखित बयान दिये हैं और जल्दी ही इस मामले में मध्यस्थ के समक्ष बहस होने वाली है ।

†**श्री नागी रेड्डी :** जिन दिनों के लिये मध्यस्थ ने अपना पंचाट नहीं दिया है उन में कुल कितने इंजन खरीदे गये थे ?

†**श्री शाहनवाज खां :** चतुर्थ मूल्य अवधि में २०० इंजन खरीदे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या टेल्कों के इंजनों के भाव घटे हैं और आयात किये गये इंजनों की तुलना में यह कैसे बैठते हैं ?

† **रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** सभा में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। जब दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए तो इस मसले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप देने का निश्चय किया गया था। मध्यस्थ इन सभी बातों पर विचार कर अपना पंचाट देगा। मध्यस्थ का पंचाट जैसा भी हो, भाव उसी के अनुसार होंगे।

†**श्री विमल घोष :** सरकार देर करने को किन कारणों से राजी हो गयी।

†**श्री जगजीवन राम :** दोनों पक्षों की ओर से विवरण दाखल किये गये हैं—मध्यस्थ का यह ख्याल हुआ कि इन का अध्ययन करने के लिये उसे कुछ और समय चाहिये। इसी लिये जब समय बढ़ाने का उन का अनुरोध हमें मिला, हमें उस से सहमति प्रकट करना आवश्यक प्रतीत हुआ ?

†**श्री च० द० पाण्डे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चित्तरंजन में बने इंजनों की कीमतें काफी कम हो गयी हैं, क्या यह संभव नहीं है कि टेल्कों में बने इंजनों की कीमतों में भी इसी प्रकार की कमी हो जाये? यदि यह पंचाट आने में दो वर्ष लग जायें तो क्या इस का भूतलक्षी प्रभाव हो सकेगा ? क्या यह संभरण पिछले मूल्य पर ही माना जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे ख्याल से ये सभी प्रश्न सभा में उठाये गये थे।

† **श्री च० द० पाण्डे :** यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**श्री जगजीवन राम :** मध्यस्थ को जो प्रश्न सौंपा गया है वह यह है कि क्या कीमत उस से अधिक होनी चाहिये जितनी सरकार कह रही है या उस से कम होनी चाहिये जितनी कम्पनी ने मांगी है। ये दोनों सीमायें कमोबेश निश्चित ही हैं। मध्यस्थ को इन दोनों के बीच की कोई कीमत तय करनी है। मध्यस्थ जो भी राशि कहेगा वही चतुर्थ मूल्य-अवधि के लिये कीमत मानी जायेगी। तृतीय मूल्य-अवधि के लिये कीमत हम ने प्रशुल्क आयोग के पंचाट के अनुसार दी है। चतुर्थ मूल्य-अवधि में संभरित इंजनों की कीमत मध्यस्थ के पंचाट के अनुसार दी जायेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** उप मंत्री महोदय ने कहा है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि उन्हें समय चाहिये। मंत्री महोदय का कहना है कि मध्यस्थ ने समय मांगा था। इस में से कौन सा वक्तव्य सही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यही तो मैं ने कहा है। मध्यस्थ का कहना था कि उन्हें कुछ और समय चाहिये और स्वाभाविक रूप से ही सरकार और टेल्को—दोनों पक्ष उस से सहमत हो गये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या लोक-लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार टेल्को का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न हुआ ? मध्यस्थ-निर्णय को छोड़ कर टेल्को की और कोई बात इस में थोड़े ही आती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी :** कोई मध्यस्थ निर्णय ही नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत सी बातें हो सकती हैं ।

छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से रखना

+

†*४२९. { **श्री स० म० बनर्जी :** **श्री तंगामणि :** }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के डिब्बा बनाने वाले कुछ कारखानों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप छंटनी किये गये श्रमिकों को पेराम्बूर के सम्पूर्ण डिब्बे बनाने वाले कारखाने के बदले में कुछ काम दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दुर्गम क्षेत्र समिति

*४३०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य- सम्बन्धी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के सुझाव देने के लिये जिस दुर्गम क्षेत्र समिति की नियुक्ति की गई थी, उस ने इस बीच अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

२७ सितम्बर, १९५८ को दुर्गम क्षेत्र समिति की प्रश्नावलि के उत्तर, आसाम सरकार को छोड़ कर, जिस को स्मरण-पत्र भेज दिया गया है, बाकी सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों से अब प्राप्त हो चुके हैं ।

समिति ने समस्याओं का स्थान पर जा कर अध्ययन करने के लिये दौरा करने का कार्यक्रम फरवरी, १९५९ के दूसरे सप्ताह से बना लिया है ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस समिति की स्थापना यद्यपि पांच महीने हुए हो चुकी थी, अभी तक केवल दफ्तरी काम ही हो पाया है और अब दौरा शुरू होने वाला है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में क्या यह जून तक अपनी रिपोर्ट दे सकेगी ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा: इस समिति ने एक प्रश्नावली सारी गवर्नमेंट्स के पास भेजी थी और असम की सरकार को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने अपने उत्तर भेज दिये हैं । असम सरकार को

†मूल अंग्रेजी में

भी स्मरण पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि वह भी जल्दी से जल्दी अपना उत्तर भेजे। समिति ने टूर करने का भी इन्तिज़ाम कर लिया है।

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि समिति के टर्म्स ग्राफ रेफ़ेंस से स्पष्ट होता है इस कमेटी से यह पूछा गया है कि क्या इन इलाकों को खाद्योत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि ये इलाके चाहे कितना भी प्रबन्ध क्यों न किया जाए, आत्म-निर्भर नहीं हो सकते हैं और वहां की समस्या सस्ते गल्ले के वहां पहुंचाये जाने से ही हल हो सकती है, यदि उन्हें ज्ञात है तो क्या इस कमेटी को इस सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं या उससे इस सम्बन्ध में जांच करने को कहा जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : कमेटी को जिस बात की जांच करने के लिए कहा गया है वह तो बता दी गई है। रहा यह कि कोई इलाका आत्म-निर्भर हो सकता है या नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई इलाका आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है। अगर पूरी कोशिश की जाए तो हर इलाका आत्म-निर्भर हो सकता है।

†**श्री जाधव :** संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों की आबादी कितनी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** अभी मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहाड़ी इलाकों को आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात का अध्ययन किया है यह उनको मालूम है कि संसार में कोई भी पर्वतीय क्षेत्र चाहे वह स्विट्जरलैण्ड का हो या काश्मीर का हो, किसी भी दृष्टिकोण से खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है, या हो सका है, इसलिए समस्या उन क्षेत्रों की यही है कि वहां सस्ते से सस्ता अनाज पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति को इस बारे में कोई विशेष हिदायतें दी जा रही हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : यह तो बहस की बात हो गई कि कोई इलाका आत्म-निर्भर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसको तो देख लिया जायगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आबादी पर भी वहां रोक लगाने की जरूरत है।

रेंड बांध परियोजना

*४३१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेंड बांध परियोजना के व्यय का अनुमान १९५३ में ३५ करोड़ और २१ लाख रुपये से बढ़ कर १९५८ में ४६ करोड़ और ५ लाख रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बढ़ोतरी के कारण इस प्रकार हैं :—

(१) असल लागत के आधार पर पहले से ऊंची दरों (हायर यूनिट रेट्स) का अपनाया जाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सीमेंट और इस्पात की कीमतों का बढ़ना ।

(३) जमीन के मुआवजे की लागत का बढ़ना ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** अंग्रेजी में भी ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि रिहाण्ड डैम ही एक योजना है जो कि यू० पी० के लिये की जा रही है इसमें फारेन एक्सचेंज की कितनी आवश्यकता है और क्या उसका इन्तिज़ाम हो गया है या नहीं हुआ है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेंज की कमी की वजह से ही यह योजना अभी तक ठप्प पड़ी हुई है ।

श्री च० दे० पांडे : ठप्प नहीं पड़ी हुई है ।

†**श्री हाथी :** रेंड बांध के लिये विदेशी मुद्राओं की कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मन्त्री महोदय ने इसके बढ़ कर ४६ करोड़ रुपये हो जाने के कारण बताये हैं । उत्तर प्रदेश को केन्द्र ने इस राशि का कौनसा भाग दिया है ?

†**श्री हाथी :** केन्द्र ने ऋण से सहायता दी है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयां स्पष्ट करने के लिये उत्तर प्रदेश के संसद् सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया है । क्या उन्होंने इस परियोजना के लिये केन्द्र से किसी अतिरिक्त राशि की मांग की है, और यदि हां, तो क्या वह राशि दे दी गयी है ?

श्री हाथी : जब भी राज्य सरकार को जरूरत होती है केन्द्र ऋण से उसकी नियमित रूप से सहायता करती है ।

†**सेठ अचल सिंह:** मैं जानना चाहता हूं कि रिहाण्ड डैम की योजना कब तक पूरी होने की आशा है ?

†**श्री हाथी :** १९६१ तक ।

क्विलोन के निकट अवतारक-शुल्क पत्तन[1]

†*४३२. **श्री कोडियान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन (केरल) के निकट एक अवतारक-शुल्क पत्तन के निर्माण के सम्बन्ध में पूना के गवेषणा केन्द्र का प्रतिवेदन अब आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) यह प्रतिवेदन अभी केरल सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री कोडियान :** प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lighterage Port.

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य को पता होगा कि चुनाव दो स्थानों में से करना है—एक स्थान है नींदकारा और दूसरा है थंगासरी । यह प्रतिवेदन इन्हीं दोनों स्थानों के बारे में है और केरल सरकार इस पर विचार करेगी ।

†**श्री वें० प० नायर :** मन्त्री महोदय ने कहा है कि चुनाव दो स्थानों में से करना है । क्या नींदकारा स्थान का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है या उन्होंने सिर्फ प्रतिवेदन ही दिया है ?

†**श्री राज बहादुर :** उसका विशेष रूप से अध्ययन किया गया है । वास्तव में प्राक्कलित व्यय भी यह दिखाने के लिये भेज दिये गये हैं कि नींदकारा स्थान पर ८.५ लाख रुपये ज्यादा लगेंगे ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज में खराबियां

†*४३३. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड में ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन के लिये जो यात्री तथा माल जहाज़ बनाया गया था, उसमें खराबियां पाई गई हैं ;

(ख) क्या वे खराबियां अब दूर कर दी गयीं हैं और जहाज की डिलीवरी दे दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उन खराबियों को दूर करने में कितना खर्च आया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी हां । गृह-कार्य मंत्रालय के लिये जो एम० वी० 'अन्दमान्स' नामक जहाज बनाया गया था, उसमें यह खराबी पायी गयी थी कि वह स्थिर नहीं रहता था ।

(ख) और (ग). जी, हां । इस खराबी को अस्थायी रूप से दूर करने के लिये लगभग ५.७ लाख रुपयों का एक स्थैर्य भार लगा कर उस जहाज़ की डिलीवरी दे दी गयी है ।

†**श्री मुरारका :** क्या प्रविधिक परामर्शदाताओं को जहाज़ के निर्माण के लिये पूरी पूरी फीस अदा की गयी है, या कि इन खराबियों के कारण उनकी फीस में से कुछ राशि काट ली गयी है ?

†**श्री राज बहादुर :** राशि काटने का तो अब प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि तत्सम्बन्धी रिपोर्ट में इन खराबियों के लिये उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है । परन्तु यह तो स्पष्ट है कि उन परामर्शदाताओं द्वारा दिया गया परामर्श पर्याप्त नहीं था ।

†**श्री मुरारका :** इस सम्बन्ध में जांच कब प्रारम्भ की गयी थी और रिपोर्ट के कब तक आ जाने की आशा है ?

†**श्री राज बहादुर** : रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी गयी है । वास्तव में, इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया गया है और इस खराबी के सम्बन्ध में जिम्मेवारी ठहराने का प्रयत्न किया गया है ।

†**श्री मुरारका :** इसके लिये अन्तिम रूप से किसे जिम्मेवार ठहराया गया है और उस व्यक्ति या पार्टी को क्या दण्ड दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** संकल्प में श्री जे० सी० कैम्पबेल, श्री एम० पॉल भायर्टन, श्री जे० जी० पटेल और श्री एम० ग्विटार्ट को जिम्मेवार ठहराया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे नुकसान की राशि भी जानना चाहते हैं वह यह भी पूछ रहे हैं कि इस सम्बध में क्या कार्यवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर**: शिपयार्ड को ५,७०,००० रुपयों की हानि हुई है, क्योंकि इतनी अतिरिक्त राशि लगा कर स्थैर्यभार लगाया है। इसके अतिरिक्त खराबी को दूर करने में भी सम्भवतः खर्च हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह भी पूछा गया था कि उस राशि की वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर**: मैं नहीं कह सकता कि क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति पर कोई कानूनन जिम्मेवारी ठहरायी जा सकती है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या करार में दण्ड सम्बन्धी कोई खण्ड नहीं हैं।

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं समझता कि उसमें दण्ड सम्बन्धी कोई खण्ड है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या इन जहाज़ों का प्रविधिक परीक्षण नहीं किया जाता? इस सम्बन्ध में निरन्तर शिकायतें क्यों आ रही हैं ? क्या ये प्रविधिक व्यक्ति किसी निश्चित अवधि के पश्चात् जहाजों की जांच करते रहते हैं या नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें विदेशी परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों पर निर्भर करना पड़ता है और इस सम्बन्ध में हम ने ए० सी० एल० नामक एक फ्रांसीसी सार्थ की सेवाएं प्राप्त की थीं। अब भारतीय प्रविधिज्ञों ने इस की जिम्मेवारी ले ली है और श्री थीसेन नामक एक जर्मन विशेषज्ञ उन की सहायता कर रहे हैं।

†**श्री मुरारका** क्या केवल इसी एक जहाज़ के बारे में शिकायत आई है या कि इस प्रकार की और भी शिकायतें आई हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : दो अन्य जहाज़ों के सम्बन्ध में भी शिकायतें आई थीं। एक तो 'हाल्दिया' नामक एक सर्वेक्षण पोत के सम्बन्ध में और दूसरी 'विद्युत' नामक एक सीमाशुल्क सम्बन्धी पोत के सम्बन्ध में।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : क्या माननीय मंत्री द्वारा दिये गये पहले के उत्तर से हम यह समझें कि ७५ लाख रुपयों की राशि को बट्टे खाते डाल दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं कह सकता कि इस से उन का क्या तात्पर्य है, परन्तु यह तो निश्चित है कि जहाज़ के निर्माण पर यह अतिरिक्त खर्च किया गया है, और जहाज़ की स्थिरता के लिये यह रुपया खर्च करना आवश्यक था।

महामारियों की रोकथाम के लिये कार्यवाही

†*४३५. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सहकार प्रशासन के डा० कार्बन के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि महामारियों की रोकथाम के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों सीमा कठिनाइयों के कारण रुकावट आती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उन्हों ने यह सुझाव दिया है कि महामारियों के उन्मूलन के लिये भारत, पाकिस्तान, बर्मा और लंका के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक प्रादेशिक परिषद् स्थापित की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चेचक तथा हैज़े जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिये एक प्रादेशिक परिषद् स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि विभिन्न पड़ौसी देशों की सरकारें पहले अपने अपने देश में इस प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिये योजनायें बनायें । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी प्रारम्भ कर दी है ।

जहां तक मलेरिया के उन्मूलन का सम्बन्ध है, उस के लिये भारत सरकार ने बर्मा सरकार के सहयोग से दो अन्तर्देशीय बैठकें की हैं, एक जनवरी, १९५७ में और दूसरी दिसम्बर, १९५८ में । भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संघ से यह प्रार्थना कर चुकी है कि वह भारत की सीमाओं से लगने वाले जितने भी देश हैं, उन के साथ भारत की इसी प्रकार की अन्तर्देशीय बैठकें कराने की व्यवस्था करे ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या केवल मात्र चेचक, हैज़ा और मलेरिया इन तीन रोगों की रोक थाम के लिये पड़ौसी देशों से सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है ?

†**श्री करमरकर :** जी, हां । केवल यही तीन रोग प्रमुख रोग हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान में चेचक की जो महामारी फूट उठी थी, वह रोगी विस्थापित व्यक्तियों के साथ पश्चिमी बंगाल में भी फैल रही है ; और यदि हां, तो सरकार सीमाओं को बन्द कर देने और रोग की रोकथाम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री करमरकर:** इस का उत्तर मेरे पास लिखित रूप में है तो सही, परन्तु बहुत लम्बा है । प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं इसे पढ़ कर सुना चुका हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं ने यह प्रश्न इसलिये पूछा है क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है; इस रोग से आसाम के गोपालपारा जिले में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और पश्चिमी बंगाल में इसी के कारण भयंकर रोग फूटा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने इस का उत्तर पहले पढ़ कर सुना दिया था । इस सम्बन्ध में यदि वे कुछ और बताना चाहें तो वे बता सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा प्रश्न तो यह है कि कौन कौन सी विशेष कार्यवाही की गयी है । माननीय मंत्री ने तो केवल सामान्य रूप से इस का उत्तर दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को पहले यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिये कि माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं । माननीय मंत्री ने यह कहा था कि वे उस उत्तर को फिर से पढ़ कर सुनाना चाहते हैं । इस पर मैं ने उन से कहा था कि यदि वे कोई नई बात बताना चाहें तो वे बता सकते हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

उसी उत्तर को फिर से पढ़ कर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री ने इस का कोई जवाब नहीं दिया अतः इस स्थिति में हमें उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने तो एक विशेष मामले के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में उत्तर देने में समर्थ हैं ?

†**श्री करमरकर** : सीमा की ओर से दूसरी ओर फैलने वाले रोगों के सम्बन्ध में विशेष मामलों के बारे में। उन का प्रश्न यह था कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की ओर से चेचक के कुछ रोगी भारत में आ गये थे और उन के कारण भारत में रोग फैल गया था। इस के उत्तर में मैंने बता दिया है कि इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं। आप की अनुमति से मैं उसे फिर से पढ़ कर सुना देता हूं :—

> "जहां तक मलेरिया रोग के उन्मूलन का सम्बन्ध है, उस के लिये भारत सरकार ने बर्मा सरकार के सहयोग से दो अन्तर्देशीय बैठकें की हैं—एक जनवरी, १९५७ में और दूसरी दिसम्बर, १९५८ में . . . . . "

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु इस में गत वर्ष पूर्वी पाकिस्तान में जो चेचक फैल गई थी, उस के विशेष रोग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय**: किसी बात पर आग्रह करना अच्छा नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष उत्तर चाहते हैं तो इस के लिये उन्हें किसी विशेष प्रश्न का नोटिस देना चाहिये। विशेष प्रश्नों के लिये वे माननीय मंत्रियों को स्वयं भी लिख सकते हैं, और यदि माननीय मंत्री उत्तर देने से इनकार करें तो उस स्थिति में वे सभा में वे प्रश्न पूछ सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में चारे की कमी

+

†४३९. { **श्री पद्म देव** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जंगलों का कृषि कार्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है और चरागाहों की संख्या में कमी हो रही है जबकि पशुओं की संख्या बहुत अधिक है ;

(ख) चारे की कमी को देखते हुए, चरागाहों की दशा में सुधार करने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस योजना का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

†*४४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उन कार्यवाहियों का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). विभिन्न अस्पतालों के प्राधिकारियों से यह प्रार्थना की गई है कि वे रिक्त स्थानों को पूरा करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करें। नवम्बर, १९५८ में मेडिकल अफसरों के ३३ स्थान रिक्त थे। इस समय ३० रिक्त स्थान हैं उन में से ८ के लिये नियुक्ति पत्र भेज दिये गये हैं। ९ स्थानों की पूर्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से कह दिया गया है और १२ स्थानों को भरने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। स्टाफ़ सर्जन (मेडिकल एग्ज़ामिनेशन) का स्थान रिक्त ही रहेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन स्थानों को भरने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि इस में कितना समय लग जायेगा ? उस का ब्योरा क्या है ?

†**श्री करमरकर** : मैं ने बता दिया है कि ८ स्थानों के लिये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेज दिये गये हैं। ९ स्थानों की पूर्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से कह दिया गया है, १२ स्थानों की पूर्ति के लिये दिल्ली प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और स्थान नहीं भरा जायेगा।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किये जाने वाले चुनावों के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन औपचारिकताओं तथा अन्य प्रविधिक-कार्यों पर आठ नौ महीने और कभी कभी एक साल तक का समय लगा देता है और उस के उपरान्त नियुक्ति पत्र भेजे जाने में पांच छः मास लग जाते हैं, और इस दौरान में अभ्यर्थी किसी और स्थान पर नियुक्त हो जाते हैं ......

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु प्रश्न क्या है ?

†**डा० सुशीला नायर** : सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर** : यह सच है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है। परन्तु योग्य चिकित्सा-कर्मचारियों के चुनने में कुछ समय लग ही जाता है क्योंकि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते।

माननीय सदस्या ने जो दूसरी यह बात कही है कि चुनाव हो जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र भेजने में पांच छः मास लग जाते हैं, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में न दिल्ली प्रशासन सुस्त है और न भारत सरकार । वे तो नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करते हैं। परन्तु क्योंकि ये स्थान बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण हैं, इसलिये इनके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इन ३३ स्थानों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मनीपुर राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २(६) के अधीन मनीपुर राज्य परिवहन एक 'लोकोपयोगी सेवा' घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या राज्य परिवहन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का कोई नोटिस दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) उन मांगों की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें ये हैं :—

(१) मनीपुर राज्य परिवहन के भूतपूर्व प्रबन्धक की पुनर्नियुक्ति की जाये।

(२) मनीपुर राज्य परिवहन के सम्बन्ध में एक नियुक्ति बोर्ड और एक पदोन्नति समिति की स्थापना की जाये और बोर्ड में उनके यूनियन का भी एक सदस्य हो।

(३) ट्रिप एलाउन्स दिया जाये।

(४) साप्ताहिक छुट्टियां दी जायें।

(५) अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाये।

(६) यात्रा के दौरान ठहरने के लिये विश्राम गृहों (रनिंग रूम) की व्यवस्था की जाये।

(घ) ५ फरवरी, १९५९ को मनीपुर प्रशासन और मनीपुर राज्य परिवहन श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी जिसमें उक्त सभी मांगों पर विचार किया गया था। प्रशासन द्वारा कुछ मांगें तो स्वीकार कर ली गयी हैं, कुछ को अस्वीकृत कर दिया गया है और कुछ अभी विचाराधीन हैं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य परिवहन के प्रबन्धक को बिना नोटिस दिये ही स्थायी पद से हटा दिया गया था और इससे परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों के मन में असुरक्षा का भाव फैल गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : १९५५ में इस बात का पता लगा था कि मनीपुर राज्य परिवहन के हिसाब में एक लाख रुपयों से अधिक राशि का गोलमाल हो गया है, और हिसाब-किताब रखने का जिम्मेवार इस विभाग का प्रमुख अधिकारी था, और उसे इस जिम्मेवार स्थान के अयोग्य समझा गया। अतः जब तक संघ लोक सेवा आयोग की ओर से स्थायी रूप से कोई और अफसर

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं चुना जाता तब तक के लिए एक अवकाश प्राप्त सैनिक पदाधिकारी को अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया है ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि मनीपुर स्टेट ट्रान्सपोर्ट यूनियन के कर्मचारियों ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं, उन मांगों में एक मांग यह भी है कि वहां के भूतपूर्व मैनेजर जिनको कि पृथक कर दिया गया था, उनकी पुनर्नियुक्ति की जायगी और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैंने अभी उत्तर दिया कि सन् १६५५ में यह मालूम हुआ कि लगभग १ लाख रुपये का गबन स्टेट ट्रान्सपोर्ट के फंड्स में है और उसकी ज़िम्मेदारी काफी हद तक मालूम पड़ा कि उनके ऊपर है लिहाज़ा दूसरा इंतज़ाम किया गया और यू० पी० एस० सी० के ज़रिये परमानेंट इनकम्बेंट का इंतज़ाम करने के वास्ते कहा गया है और उसमें यह भी ऐप्लाई कर सकते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां जो पर हड़ताल का नोटिस दिया है तो वहां के प्रशासक ने हड़तालियों से जो बातचीत की है कि वह हड़ताल न हो, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री राज बहादुर : जी हां उन्होंने मीटिंग्स की हैं उनसे बातचीत की है । उनकी मांग को जितनी हमदर्दी के साथ ग़ौर किया जा सकता था ग़ौर किया है लेकिन फिर भी ६ तारीख को उन्होंने हड़ताल का नोटिस दे दिया है । कोशिश यह है कि यह हड़ताल न हो और इसके लिए उनसे फिर बातचीत करने की कोशिश की जायगी ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया है कि उस प्रबन्धक के विरुद्ध कुछ मामले अभी भी अनिर्णीत हैं । क्या उनके विरुद्ध कोई विशेष आरोप लगाये गये थे अथवा क्या प्रबन्धक के पद को ही समाप्त कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछ रहे हैं कि क्या उनके विरुद्ध कोई विशेष आरोप लगाये गये थे और उन्हें दण्ड देने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की गयी है अथवा क्या केवल उस पद को ही समाप्त कर दिया गया है और उन्हें काम से अलग कर दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैंने अभी निवेदन किया कि कोई १ लाख रुपये के ग़बन का मामला था । उसके बाद उनको हटाया गया । जो उन के ऊपर चार्जेज़ लगाये गये थे उसके बाद जनरल मैनेजर की पोस्ट बनाई गई है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं आपका उत्तर समझा नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या उन पर कोई विशेष आरोप लगाये गये थे । यह एक सीधा-सादा सा प्रश्न है और उसका एक सीधा-सादा ही उत्तर दे दिया जाना चाहिये ।

†**श्री राज बहादुर :** जी हां; मैंने निवेदन तो किया है कि "चार्जिज़ हैव बीन फ्रेम्ड" ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं उत्तर समझ नहीं सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न तो नहीं पूछना चाहती । मैं केवल एक निवेदन करना चाहती हूं । हमने भी अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया था और नोटिस दिये हुए पांच दिन हो गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता । माननीया सदस्या अच्छी तरह से जानती हैं कि अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये यह जरूरी होता है कि सम्बन्धित मंत्री इसका अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिए तैयार हों क्योंकि . . . . .

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर भी तो शीघ्र ही दिया जाना चाहिये । हम पांच दिन तक इन्तज़ार करते रहे । ऐसी हालत में दूसरा मार्ग हमारे सामने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का रह जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो इसका यही अर्थ है कि प्रश्न की अल्प सूचना स्वीकार नहीं की गयी ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** प्रश्न का उत्तर मेरी समझ में नहीं आ सका । उत्तर हिन्दी में दिया गया था और मैं उसे समझ न सका । क्या आप मंत्री महोदय से अंग्रेजी में उत्तर देने के लिये कहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य सदस्य उत्तर अंग्रेजी में चाहते थे परन्तु जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा था, वह नहीं ।

†**श्री सम्पत :** जी नहीं, उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी में ही पूछा था और इसलिये उसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिये था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य माननीय सदस्य उनकी सहायता न करें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टीका लगाना

†*४२३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). मद्रास राज्य के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण भारत में टीका लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । मद्रास में जिन्हें आपत्ति है उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है । पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के पास एक सुझाव भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि कुछ चुने हुए वर्गों के लोगों के लिये पुनः टीका लगवाना

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य कर दिया जाये। परिषद ने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि ५ से ७ वर्ष के बच्चों अथवा स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों को पुनः टीका लगवाने को अनिवार्य कर देने के सुझाव की सुन्दरता पर विचार करे।

हैदराबाद में मेयर सम्मेलन[1]

†*४२४. **श्री श्रीनारयण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो :

(क) क्या हैदराबाद में कुछ समय पूर्व हुए मेयर सम्मेलन में जो सिफारिशें की गयी थीं, उन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम है ;

(ग) उन सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ङ) यदि हां, तो संशोधन विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें सिफ़ारिशें तथा उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहियां निहित हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११८**]

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद

†*४२७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तान के समाचारपत्रों में हाल में प्रकाशित उन आंकड़ों की ओर आकर्षित किया गया है जिनसे पता लगता है कि पाकिस्तान को बहुत से क्षेत्रों में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और पटसन जैसी महत्वपूर्ण फसलें उगाई जा रही हैं जिनके लिये अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान की महत्वपूर्ण फसलें नहरी पानी के सिंचाई पर निर्भर करती हैं और जिनकी पैदावार विभाजन की अपेक्षा पिछले वर्ष अधिक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस द्वेष पूर्ण प्रचार का सामना करने के लिये कि भारत पाकिस्तान को नहरी पानी न देकर वहां के लोगों को भूखों मारने का प्रयत्न कर रहा है, क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Mayor's Conference.

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). जी हां। पाकिस्तान के समाचारपत्रों में गत नवम्बर में प्रकाशित हुआ था कि पाकिस्तान की नहरों में धीरे-धीरे पानी की कमी करने के बारे में भारत की नीति से पाकिस्तान में खाद्यान्नों और कपास आदि की पैदावार में बहुत कमी हो गई है। पाकिस्तान रेडियो से भी इसी प्रकार के आरोप प्रसारित किये गये थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत से आने वाले जल से जिन विभागों में सिंचाई होती है उनमें खाद्यान्नों और कपास की पैदावार बढ़ गई है और जिनमें से एक कारण यह भी बताया गया था कि फसल बोने के समय पर्याप्त जल संभरण किया गया।

(ग) चूंकि पाकिस्तान में नहरी पानी से सींचे गये क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है इस कारण यह समाचार कि भारत नहरी पानी न देकर पाकिस्तान के लोगों को भूखों मार डालने का प्रयत्न कर रहा है स्वयं उनके प्रचार का खंडन करता है, इस कारण भारत सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

†*४३४. **श्री वाजपेयी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गांवों में बिजली लगाने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में धान और चावल

†*४३६. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के उत्तर के सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य में धान और चावल के समाहार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य और केन्द्र के लिये धान और चावल खरीदने के लिए क्या उड़ीसा को कुछ वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उड़ीसा राज्य ने अब तक कितना धान खरीदा है; और

(ग) केन्द्र तथा अन्य राज्यों द्वारा अब तक (राज्य-वार) कितना धान और चावल खरीदा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) उड़ीसा की सरकार को केन्द्र की ओर से चावल और धान खरीदने के लिए ५० लाख रुपये की आरम्भिक अग्रिम राशि दी गई है। जब भी आवश्यक समझा जायेगा तो राज्य सरकार को अतिरिक्त निधि दे दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार के लिये लगभग १०,००० टन चावल खरीदने के अलावा केन्द्रीय सरकार की ओर से लगभग १६,००० टन चावल और ४,००० टन धान खरीदा गया है ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११९]**

छोटे पत्तनों का विकास

†*४३७. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के भाग (ख) के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड द्वारा छोटे पत्तनों के विकास के लिए विस्तार में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सिफारिश की गई समिति बनाई जा चुकी है; और

(ख) छोटे पत्तनों में प्रकाशस्तम्भ सम्बन्धी सभी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने और राज्यों के व्यय पर सभी स्थानीय प्रकाशस्तम्भों की देख-रेख एक एजेंसी के आधार पर करने के बारे में केन्द्रीय प्रकाश स्पम्भ विभाग सम्बन्धी बोर्ड की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं । शीघ्र ही निर्णय करने की आशा है ।

(ख) इस आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार का प्रकाशस्तम्भ तथा प्रकाशपोत विभाग संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किये है ।

कपास में गवेषणा

†*४३८. **श्री वोडयार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य का रायचूर जिला कपास में गवेषणा करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस गवेषणा केन्द्र की मुख्य-मुख्य विशेषताए क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां रायचूर जिले में घरेसगड़ कपास और खरीफ ज्वार के लिए प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र चुना गया है ।

(ख) गवेषणा केन्द्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कपास और खरीफ ज्वार की खेती करने वाले भू-खण्ड के मध्य में स्थित है । यह गवेषणा केन्द्र, इन दो फसलों में गवेषणा कार्य करने के अलावा, इस प्रदेश के मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के निमंत्रण में जो गवेषणा केन्द्र चल रहे हैं उनके काम का समायोजन भी करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरडुवाडी-मिरज रेलवे लाइन

†*४४०. **श्री सोनावने** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरडुवाडी-मिरज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : सर्वेक्षण प्रतिवेदन के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

अमरीका से खाद्य सहायता

†*४४२. **श्री सम्पत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा १९५९ में अमरीका से खाद्य सहायता के लिए कोई नया निवेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर की गई चर्चा का ब्योरा और प्रगति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जानकारी बताना लोक-हित में नहीं है ।

दिल्ली में केन्द्रीय डेरी फार्म

†*४४३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, दिल्ली का केन्द्रीय डेरी फार्म कब से चलने लगेगा; और

(ख) वह प्रति दिन कितने दूध का संभरण कर सकेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) सम्भवतः माननीय सदस्य दिल्ली की दूध योजना के अधीन केन्द्रीय डेरी का निर्देश कर रहे हैं जो पटेल नगर रेलवे स्टेशन के निकट बन रही है । आशा यह की जाती है कि सितम्बर, १९५९ से वह चलने लगेगी ।

(ख) ७००० मन प्रतिदिन तथा बढ़ कर प्रतिदिन १२,००० मन हो सकती है ।

त्रिपुरा में चावल और धान का स्टाक

†*४४४. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय स्थानीय बाजार से कितने धान और चावल का समाहार किया गया है;

(ख) १९५८ में स्थानीय बाजार से जो स्टाक प्राप्त किया गया था, क्या उसका कुछ वितरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा का वितरण किया जा चुका है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) त्रिपुरा में चावल और धान के भाव गिरने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) ३१-१-१९५८ को लगभग १०,८०० मन धान और १५,७०० मन चावल।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग १९,५०० मन धान और ४,३०० मन चावल।

(घ) त्रिपुरा प्रशासन उन क्षेत्रों से चावल और धान की स्थानीय खरीद कर रहा है जिनमें चावल का भाव १६ रुपये प्रति मन से कम और तदनुरूप धान के भाव भी कम हैं।

तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे

†*४४५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री केशव : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कितनी लागत होगी;

(ग) बनने में कितना समय लगेगा; और

(घ) परियोजना कब से आरम्भ की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है और प्रतिवेदन का संकलन किया जा रहा है।

(ख) से (घ). यह अभी से नहीं बताया जा सकता।

आसाम रेल सम्पर्क

†४४६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम रेल सम्पर्क पर स्थायीकरण परियोजना को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है और यह काम कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ख) परियोजना के पूरे हो जाने पर यातायात क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) "आसाम रेल सम्पर्क मार्ग को सुदृढ़ बनाने" के काम में प्रमुख रूप से गहरी नींव वाले पुल बनाने अथवा अतिरिक्त जलमार्ग के अतिरिक्त रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य, पुनः श्रेणी विभाजन आदि कार्य शामिल हैं जिससे पटरियों के कटने और बहने आदि की कम से कम घटनायें हो सकें और यातायात में जिसके परिणामस्वरूप बाधा न उपस्थित हो। इस प्रकार के ३९ निर्माण कार्यों में से १९५७-५८ में १७ कार्य आरम्भ किये गये थे जो लगभग पूरे हो चुके हैं तथा अन्य सहायक कार्य पूरे होने वाले हैं। १९५८-५९ में लगभग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१५ कार्य आरम्भ किये गये हैं जो प्रगति पर हैं । शेष कुछ कार्य १९५९-६० में करने का विचार है । इन निर्माण-कार्यों के १९६० में पूरे हो जाने की आशा है ।

(ख) सम्पर्क मार्ग को सुदृढ़ बनाने का काम वर्षा ऋतु में आसाम के लिए आवागमन में कम से कम बाधा उपस्थित हो इसलिये और सारे वर्ष यातायात चालू रहे इस कारण आरम्भ किया गया है ।

महानदी पर पुल

†*४४७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १५५ लाख रुपये की लागत पर उड़ीसा में महानदी पर पुल बनाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या इस बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण का सारा काम पूरा किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो यह पुल कहां पर बनवाने का विचार है; और

(घ) क्या निर्माण कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आरम्भ कर देने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). सर्वेक्षण आदि पूरा करने के पश्चात् १५५.१२ लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर महानदी के ऊपर राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ (मद्रास-बालासोर-बाहरगोरा-मार्ग) पर पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है ।

(ग) कटक के समीप विद्यमान रेलवे पुल के निचली ओर ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

रेलगाड़ी में डाका

*४४८. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१६ डाउन गोरखपुर-सीवान लूप रेलगाड़ी को देवरिया जिले के रामकोला और लक्ष्मीगंज स्टेशनों के बीच ३ फरवरी, १९५८ को रोक लिया गया और लगभग एक लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गई;

(ख) क्या यह सच है कि एक गार्ड को गोली मार दी गई;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी हां । २१६ डाउन गोरखपुर सवारी गाड़ी जब रामकोला स्टेशन के पास पहुंच रही थी, तो उसके एक डिब्बे में हथियारबन्द

†मूल अंग्रेज़ी में

डाका पड़ा । खजांची और कैश गार्ड स्टेट बैंक से रामकोला खजाना ले जा रहे थे । जिस डिब्बे में खजाना रखा था, उसी डिब्बे में देहातियों की पोशाक में ४-५ डाकू बैठे थे । स्टेशन पास आने पर गार्ड ने ज्योंही कैश बाक्स की जंजीर खोली, डाकू उठ खड़े हुए और उनमें से एक ने रिवाल्वर से फ़ायर करना शुरू कर दिया । गार्ड को तीन गोलियां लगीं और वह उसी वक्त मर गया । खजांची के पेट और जांघ में गहरे घाव आये । डिब्बे में बैठे हुए एक दूसरे मुसाफिर को भी चोट लगी । जब गाड़ी की चाल धीमी हो गयी तो डाकू कैश बाक्स लेकर गाड़ी से बाहर कूद गये । कैश बाक्स में एक लाख रुपये थे ।

(ग) और (घ). स्थानीय पुलिस सरगर्मी से मामले की जांच कर रही है ।

सड़कों सम्बन्धी प्रारूप योजना

†*४४६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ इंजीनियरों के सामान्य निकाय द्वारा दिये गये सुझावों की दृष्टि से सड़कों सम्बन्धी प्रारूप योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या योजना की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां । चीफ इंजीनियर ने भारत के लिए सड़क विकास (१९६१–८१) सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी जांच राज्य सरकारों के परामर्श से की जा रही है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२०]**

(ग) जी हां, यथासमय ।

उर्वरक

†*४५०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में कृषि के लिये उर्वरक रियायती भाव पर आवंटित किये गये थे;

(ख) क्या सरकार ने वास्तविक आवंटन और उपभोग के आंकड़े रखे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि चाय उद्योग को उनमें से कुछ उर्वरक अधिक भाव पर बेचे गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) सल्फेट अमोनिया जो कृषकों के हाथ बेची जाती है उसकी दर रियायती न हो कर अन्य इस्तेमाल करने वालों की अपेक्षा कम रहती है ।

(ख) संघ सरकार आवंटनों में से किये गये संभरण का लेखा रखती है । राज्य सरकारें उर्वरकों के उपभोग का लेखा रखती हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यद्यपि कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताया गया है किन्तु केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है कि कुछ सौदा किया गया है ।

दिल्ली विद्युत् नियंत्रण बोर्ड

†*४५१. **श्री श्रीनारयण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत् नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर देने के बारे में दिल्ली निगम के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सरकार ने निश्चय किया है कि दिल्ली में विद्युत् के संभरण, वितरण और इस्तेमाल सम्बन्धी नियंत्रण की जो इस समय व्यवस्था है वह तब तक चलती रहनी चाहिये जब तक कि विद्युत् संभरण के बारे में हम निर्बाध रूप से मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते ।

भूटान-भारत रोड लिंक

*४५२. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान और भारत के बीच दो सीधी सड़कों में से प्रत्येक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उन पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). **गुरुमाशा-हतिसर सड़क** गुरुमाशा से पांच मील तक के पहले टुकड़े पर काम शुरू हो चुका है और दिसम्बर, १९५८ तक १२ फी सदी काम पूरा हो चुका था जिस पर ३३,००० रुपये खर्च हुये ।

जयन्ति-बुखद्वार-संचुला सड़क इसके पहले तीन मील के टुकड़े पर काम हाल ही में शुरू किया गया है । नवम्बर, १९५८ तक इसके सर्वेक्षण काम पर १८,४०० रुपया खर्च हुआ है ।

पर्यटक यातायात

†*४५३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ में पिछले महीनों की तुलना में रेलों द्वारा पर्यटक-यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने तथा पर्यटकों के लिये सुविधाओं और आराम की व्यवस्था करने के लिये रेलवे प्राधिकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलों द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पर्यटक यातायात की मांगों को पूरा करने तथा पर्यटकों के लिये सुविधाओं और आराम की व्यवस्था करने के लिये की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार है :

(१) स्पेशल गाड़ियां चलाना ;

(२) अतिरिक्त डिब्बे लगा कर नियमित रूप में से चलने वाली गाड़ियों में अधिक स्थान की व्यवस्था करना ;

(३) पर्यटक कारों का उपबन्ध ;

(४) रेल एवं सड़क, रेल एवं विमान तथा विभिन्न स्थानों के लिये स्टैंडर्ड टिकट रियायती दर पर और विशेष कर विदेशी पर्यटकों के लिये वातानुकूलित क्लास के टिकट जारी करना ;

(५) रांची, पुरी और औरंगाबाद में रेलवे प्रशासन द्वारा तीन प्रथम श्रेणी के होटल चलाना ; और

(६) कार्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर प्रतीक्षा कक्षों का प्रबन्ध करना ।

केरल में जल संभरण योजनायें

†*४५४. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में जल संभरण की नई योजनाओं के लिये १९५८-५९ में केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का स्वरूप और व्योरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य को अब तक कुछ सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) नगरों के लिये स्वीकृत जल संभरण तथा नाली व्यवस्था योजनाओं के लिये १०० प्रतिशत ऋण एवं गांवों के लिये स्वीकृत जल संभरण और सफाई योजनाओं के लिये ५० प्रतिशत सहायतानुदान दिया गया है ।

(ग) जी हां, १९५८-५९ में केरल की सरकार को निम्न राशियां आवंटित की गई हैं :—

नगर योजनाएं . . .	६०.० लाख रुपये ।
निगम योजनाएं . . .	२.० लाख रुपये ।
ग्रामीण योजनाएं . . .	९.० लाख रुपये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

उपर्युक्त आवंटन में से राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ३१-१२-५८ तक ३/४ राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है । अन्तिम समायोजन की मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले उन के द्वारा किये वास्तविक व्यय के आधार पर दी जायेगी ।

दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों द्वारा हड़ताल

†*४५५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५९ में, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ; और

(ग) उन की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) हड़ताल प्राधिकार के इस निर्णय के विरोध में की गई थी कि नई दिल्ली स्थित रीगल सिनेमा के सामने वाले टैक्सी स्टैण्ड पर केवल आठ टैक्सियां खड़ी की जा सकेंगी ।

(ग) रीगल सिनेमा के सामने वाले टैक्सी स्टैण्ड पर आठ से अधिक टैक्सियां खड़ी करने की टैक्सी ड्राइवरों की मांग अनुपयुक्त ठहराई गई, इस कारण स्वीकार नहीं की गई । उस स्टैण्ड के निकट में दो और टैक्सी स्टैण्डों की व्यवस्था कर दी गई है । उसी क्षेत्र में एक तीसरे स्टैण्ड के बारे में राज्य यातायात प्राधिकार, नई दिल्ली नगरपालिका समिति तथा यातायात पुलिस के परामर्श से स्थिति की जांच की जा रही है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*४५६. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टरन शिपिंग कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जून, १९५६ में एक जहाज़ बनाने के लिये जो आर्डर दिया था, रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड को कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(ग) आर्डर रद्द करने का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) रद्द करने का कारण मोटर पोत "अन्दमान" की मज़बूती में कमी थी । चूंकि यह मोटर-पोत "अन्दमान" को ही फिर से बनवाने के लिये आर्डर था इसलिये रद्द कर दिया गया था ।

नई दिल्ली नगरनिगम समिति क्षेत्र

†*४५७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नई दिल्ली नगरपालिका समिति पर विद्युत् और जल संभरण के लिये बकाया राशि बहुत अधिक हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कुल बकाया राशि कितनी हो गई है ; और

(ग) इतनी अधिक बकाया राशि हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी हां । नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने बताया है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ को विद्युत् तथा जल संभरण के रूप में उस पर ३३,२०,००० रुपये बाकी थे ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२१]**

औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्मेलन

†*४५८. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी दक्षिण पूर्व एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन में किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्मेलन की, जो नवम्बर-दिसम्बर, १९५८ में कलकत्ते में हुआ, सिफ़ारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं और प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायगा ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†*४५९. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनसागर परियोजना के दाहिने तट की नहर के लिये कितनी सुरंगें बनाई जाने वाली हैं ;

(ख) सुरंगों की क्षमता कितनी होगी ;

(ग) उन पर कितनी अनुमानित लागत आयगी ;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने २१,००० क्युसेक्स जल की निकासी की क्षमता वाली बड़ी सुरंगों के लिये सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना को स्वीकार कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ३ ।

(ख) एक ११,००० क्युसेक्स की और दो दस दस हजार क्युसेक्स की ।

(ग) तीनों सुरंगों के लिये लगभग १·४६ करोड़ रुपये ।

(घ) आन्ध्र और हैदराबाद सरकारों ने २१,००० क्युसेक्स वाली सुरंगों के लिये १९५४ में एक संयुक्त प्रतिवेदन भेजा था ; परन्तु भारत सरकार ने १९५५ में द्वितीय योजना में ११,००० क्युसेक्स वाली योजना सम्मिलित करना ही स्वीकार किया । तब से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नहर के साइज़ में वृद्धि करने का कोई सुझाव नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में भमि का कटाव

४६०. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में और विशेषतः चम्बा जिले में भूमि का कटाव बहुत अधिक हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) हिमालय रीजन में होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक कटाव होते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, भूमि संरक्षण वनरोपण और भूमि विकास कार्य अधिक मात्रा में किये जा रहे हैं ।

फसल तथा ढोरों का बीमा

†*४६१. **श्री सम्पत :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा बनाई गई फसल तथा ढोर बीमा योजना को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** वित्तीय कठिनाइयों के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजाना काल में फसल तथा ढोर बीमा योजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है । योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में चावल

†*४६०. { **श्री दशरथ देब :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में चुरैबाडी स्थान पर चावल बड़ी मात्रा में खुले में पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो चावल को खराब होने से बचाने के लिये क्या कायवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या चुरैबाडी (त्रिपुरा) में चावल इकट्ठा करने के लिये सरकार का एक गोदाम बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख) : चुरैबाडी में २२–१–१९५९ को १६ हजार मन चावल खुले में पड़ा था परन्तु उसको मौसम की खराबी से बचाने के लिये अस्थायी छप्पर बना दिये गये हैं ।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

कोजिकोड में ऊपरी पुल

†*४६३. { **श्री अ० क० गोपालन :** / **श्री कुन्हन :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से कोजिकोड नगरपालिका को कोजिकोड में एक ऊपरी पुल बनाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने सहायता दे दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

दिसम्बर, १९५८ में केरल सरकार ने कोजिकोड नगर परिषद् को योजना की लागत में अपना अंश लगाने के लिये ३ लाख रुपये का ऋण मांगा था । क्योंकि चालू पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को वर्तमान रेल और सड़क के क्रासिंग के बदले ऊपरी अथवा निचले पुल बनाने के लिये सड़क प्राधिकार के निर्माण के लागत का अंश पूरा करने के लिये, ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, अतः राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि ऐसी सब योजनाएं राज्य योजनाओं का भाग होनी चाहियें । और योजना आयोग की पूर्व अनुमति लेकर लागत का सड़क प्राधिकार का अंश उस ऋण में से दिया जाना चाहिये जो कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) राज्य सरकारों को राज्य योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिये दे । उनसे यह भी कहा गया कि यदि वे योजना को चालू पंचवर्षीय योजना में लेना चाहें तो उन्हें आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

आसाम में क्षय रोग

†*४६४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में क्षय रोग के केसों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री के राज्य के हाल ही के दौरे के समय आसाम सरकार के स्वास्थ्य विभाग से इस विषय पर बातचीत की गयी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि आसाम में क्षय रोग के केसों की संख्या में वृद्धि हुई है । परन्तु जनवरी, १९५९

---

†मूल अंग्रेज़ी में

में शिलांग में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में आसाम के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने राज्य में क्षय रोग के बढ़ते हुए केसों की ओर निर्देश किया था। परिषद् ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम की प्रगति का पुनरीक्षण किया और एक संकल्प पारित किया जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२२]**

बाइसिकल चलाने वालों के लिये अलग रास्ते

†*४६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बाइसिकल चलाने वालों के लिये 'एक्सप्रेस साइकिलवे' बनाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है जिससे बाइसिकल चलाने वाले सामान्य यातायात में बाधा डाले बिना केन्द्रीय सचिवालय के आसपास अपने काम पर आ सकें और वापस अपने घर जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि दिल्ली नगर आयोजन संगठन केन्द्रीय सचिवालय तक निम्नलिखित दो बाइसकिल मार्गों के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है :

(१) शंकर रोड के साथ साथ नजफगढ़ रोड से पटेल रोड तक ।

(२) रेस कोर्स के साथ साथ यूसुफ सराय से कुशक नाला तक ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†*४६६. **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री पांगरकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लागत ढांचे की जांच करने के लिये जांच समिति बना दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के निदेश पद क्या हैं और उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२३]**

हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा-नंगल से बिजली

†*४६७. **श्री पद्म देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में भाखड़ा-नंगल परियोजना से बिजली दी जायेगी; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यह योजना कब तक पूरी होगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२४]

पंजाब में मुर्गी पालन का विकास

†४८९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार को विस्तार और विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये वर्ष १९५८-५९ में अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: २.३१ लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गयी है जिसमें १.७८ लाख रुपये अनुदान के रूप में और ०.५३ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जायेंगे।

क्षय रोग से मृत्यु

†४९०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में क्षय रोग से अब तक कितने व्यक्ति मरे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

स्टेशनों पर सामान रखने की सुविधायें

†४९१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में उन स्टेशनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर सामान रखने की सुविधायें विद्यमान हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** बीकानेर डिवीज़न में बीकानेर, सादूलपुर जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन, श्री गंगानगर, चुरु, दिल्ली छावनी, सरदारशहर, गुड़गांव, हांसी, हिसार, भटिण्डा, कोटकपूरा, सिरसा, रिवाड़ी और भिवानी स्टेशनों पर सामान रखने के लिये 'क्लोक रूम' की व्यवस्था की गयी है।

इस डिवीज़न के अन्य स्टेशनों पर भी, जहां पर 'क्लोक रूम' की व्यवस्था नहीं है, रेलवे की अभिरक्षा में सामान छोड़ने की सुविधायें हैं। जिन स्टेशनों पर क्लोक रूम हैं, उन पर जो सामान का किराया लिया जाता है, उतना किराया यात्रियों से लेकर सामान लेने के लिये कर्मचारियों को हिदायत दे दी गई है।

डाकखानों से गायब धन राशि

†४९२. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक पंजाब सर्किल के विभिन्न डाकखानों से कितनी धनराशि के गायब हो जाने का समाचार मिला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसी हानि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क)

१९५७-५८	१९५८-५९
२,८८६.११ रुपये	६२०.७४ रुपये

(ख) अवहेलना के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्य किया गया और दोषी पदाधिकारियों से ३,५०६.८५ रुपये में से ३,०७८.८४ रुपये की राशि वसूल की गयी है । इसके अतिरिक्त पोस्ट मास्टर जनरल ने अपने अधीन सब यूनिटों को नियमों के कठोर पालन और परि-निरीक्षण को दृढ़ करने के आदेश जारी किये हैं ।

पंजाब में नल-कूप

*४९३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य को सिंचाई कार्यों के लिए नल-कूप बनाने के लिए अब तक, वर्ष वार कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** पंजाब राज्य को (जिसमें भूतपूर्व पैप्सू राज्य भी सम्मिलित है) इस कार्य के लिए दी गयी धनराशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपये
१९५६-५७	१६०.८७ लाख
१९५७-५८	१२६ लाख
१९५८-५९	७८ लाख

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†४९४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कुल कितने यात्री ले जाये गये; और

(ख) उपरोक्त कालावधि में कुल कितनी आय हुई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) नवम्बर, १९५८ तक ४,१९,२५१ ।

(ख) ६८४.७१ लाख रुपये ।

सिलेरु जल-विद्युत् परियोजना

†४९५. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलेरु जल-विद्युत् परियोजना के बारे में प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसका अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऊपरी सिलेरु जल-विद्युत परियोजना के प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत सिलेरु नदी पर मचकुण्ड से ५० मील नीचे की ओर गुन्तावाडा में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। इस बांध के पानी को एक शीर्ष तटाक[1] में परिवर्तित कर दिया जायेगा जिससे पावर स्टेशन तक दो पातनाड[2] जायेंगे जहां पर ३१० फुट की ऊंचाई से १२०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने के लिये साठ-साठ हजार किलोवाट वाले दो सेट स्थापित किये जायेंगे। सहायक ट्रांसमिशन और विभाजन करने वाली लाइनों समेत परियोजना की कुल अनुमानित लागत ६२७.५८ लाख रुपये है।

(ख) जी, अभी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने परियोजना के प्रथम प्रक्रम पर विचार किया। योजना के वित्तीय पहलू की जांच करने के बाद योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में मचकुण्ड परियोजना

†४६६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मचकुण्ड जल-विद्युत् परियोजना की विद्युत् उत्पादन क्षमता १९५८ के अन्त में कितनी थी;

(ख) योजना काल के अन्त तक इसकी अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ग) इस समय कितने अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है और इससे विद्युत् उत्पादन क्षमता कितनी और बढ़ जायेगी; और

(घ) इसके पूरा होने की क्या निश्चित तिथि है और क्या कार्य योजना के अनुसार चल रहा है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ५१,००० किलोवाट।

(ख) और (ग). जल चक्कियों और प्रत्येक २१,२५० किलोवाट वाले तीन अतिरिक्त विद्युत उत्पादक यूनिट संख्या ४, ५ और ६ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जब ये तीनों विद्युत् उत्पादक यूनिट चालू हो जायेंगे तो ६३,७५० किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता होगी।

(घ) यूनिट संख्या ४, ५ और ६ के पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्रमशः अगस्त, १९५८, अक्तूबर १९५८ और फरवरी, १९५९ थी। यह कार्य निश्चित तिथि से कुछ आगे बढ़ गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[1] Forebay.
[2] Penstocks.

बड़ी सिंचाई योजनाएं

†४९७. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को (राज्य-वार) अब तक कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५८-५९ में खर्च के लिये मंजूर की गयी धनराशि और राज्यों के १९५८-५९ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में बताई गई खर्च की जाने वाली धनराशि का विवरण दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२५]**

आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना

†४९८. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दे० वें० राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को कोई जांच प्रतिवेदन (इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का क्या व्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई राज्य में सिंचाई कार्य

†४९९. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में बम्बई राज्य को सिंचाई कार्य के लिये अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : बम्बई में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए १९५७-५८ और १९५८-५९ के लिए क्रमशः १४.६० करोड़ रुपये और १३.८५ करोड़ रुपये का खर्चा मंजूर किया गया ।

वर्षा से पुलों को हानि

†५०१. **श्री दशरथ देब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में उत्तर रेलवे पर भारी वर्षा के कारण निम्नलिखित सेक्शनों के कितने पुलों को हानि हुई :—

(१) मुकेरियां के रास्ते पठानकोट से जालंधर;

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) जालंधर से होशियारपुर;

(३) पठानकोट से अमृतसर; और

(ख) उनकी मरम्मत कराने में कितना धन खर्च किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) किसी को भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†५०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अब तक कितना धन लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की योजनाओं के लिये कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया । तथापि इस कार्य के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में दिल्ली विकास प्राधिकार को ऋण के रूप में क्रमशः ३८ लाख रुपये और १५० लाख रुपये का तदर्थ आवंटन किया गया । १९५७-५८ में ३८ लाख रुपये खर्च किये गये और १९५८-५९ में ११२ लाख रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है । १९५९-६० के आय-व्ययक प्राक्कलन में भी उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है ।

दिल्ली में यमुना नदी पर दूसरा पुल

†५०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी पर एक दूसरा पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) पुल के लिये प्रारम्भिक डिजाइन और खर्च का अनुमान तैयार कर लिये गये हैं । इस कार्य के लिये टेंडर आमंत्रित करने का कार्य सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

सहकारी समिति

†५०४. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री रामम् :

क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला तथा सामान्य प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो आय, ऋणिता और सहकारी समितियों पर कृषकों के विश्वास के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है ;

(ग) मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) यदि प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ है तो इस के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) आशा है कि सामान्य प्रतिवेदन का प्रारूप लगभग ४ महीनों में तैयार हो जायेगा और विस्तृत ज़िला प्रतिवेदन उस के दो महीने बाद तैयार हो जायेगा।

खाद तथा उर्वरक

†**५०५. श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशीय खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धता कितनी है ;

(ख) हमारी कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ग) १९५८-५९ में कुल किस्मों का प्रति टन दर क्या थी ;

(घ) पिछले वर्ष उपरोक्त किस्मों की कितनी मात्रा का आयात हुआ ;

(ङ) आयात कितने विदेशी विनिमय का था ;

(च) किस किस्म के खाद निर्यात किये गये और किन देशों को ; और

(छ) उस से कितना विदेशी विनिमय अर्जित हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (छ). एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी है, पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२६]**

जबलपुर में रेल का फाटक[1]

†**५०६. श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे पर जबलपुर की गोरखपुर बस्ती के पास रेलवे फाटक पर एक पुल बनाने के लिये रेलवे को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले पर विचार किया गया था; और

(ग) उस के क्या परिणाम रहे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कदाचित माननीय सदस्य मध्य रेलवे के इटारसी-इलाहाबाद भाग के मील संख्या ६१४ पर मदन महल के पास सड़क के पुल का उल्लेख कर रहे हैं और यदि ऐसा है तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[1]Level Crossing.

(ख) तथा (ग) प्रतीत होता है कि राज्य सरकार इसे निम्न महत्व की योजना समझती है। अतः उस ने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है कि वह लागत का अपना अंश कब उपलब्ध कर सकेगी।

पंजाब से खाद्यान्न का बाहर जाना

†५०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः मास में पंजाब राज्य से कितना खाद्यान्न बाहर भेजा गया ; और

(ख) उसी काल में खाद्य-स्थिति की पूर्ति के लिये कितना खाद्यान्न पंजाब भेजा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)**: (क) तथा (ख) अगस्त १९५८ और जनवरी १९५९ के बीच पंजाब राज्य से २०,००० टन बीज का गेहूं और ५४,००० टन चावल सरकारी आधार पर बाहर गया। व्यापार द्वारा बाहर गये खाद्यान्न के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इसी काल में ४७,००० टन गेहूं तथा मकई आदि पंजाब सरकार को दिये गये।

टेलीफोन एक्स्चेंज

†५०८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के प्रस्ताव कार्यान्वित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, उन में से प्रत्येक में कितनी नई लाइनें बढ़ाई गई हैं ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में अन्य बड़े नगरों में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां, जितना धन उपलब्ध था।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२७]**

(ग) २०*.

*विद्यमान टेलीफोन व्यवस्था का अंग है और इस में साधारणतया व्यक्तिचालित एक्सचेंजों को स्वतःचालित एक्सचेंजों से बदला जायेगा।

चूहा मार आन्दोलन

†५०९. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी फसल आन्दोलन के सम्बन्ध में किन राज्यों ने खेत में चूहा मार आन्दोलन आरंभ किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह आन्दोलन कितने समय तक चला ; और

(ग) इस आन्दोलन में मरे चूहों का सरकार ने कोई प्रतिशत निर्धारण किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र दिल्ली में चूहा मार आन्दोलन आरम्भ हो गया है ।

(ख) आन्दोलन सितम्बर १६५८ से आरम्भ हुआ है और रबी फसल के अन्त तक चलेगा।

(ग) कोई निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

परिवार नियोजन पदाधिकारी

†५१०. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे राज्यों में पूर्णकाल के लिये परिवार नियोजन पदाधिकारी नियुक्त कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में अभी तक परिवार नियोजन पदाधिकारी नियुक्त नहीं हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा (राज्य के लोक-सेवा आयोग ने पदाधिकारी का संवरण कर लिया है तथा नियुक्ति-पत्र जल्दी ही जारी होने वाला है), दिल्ली एवं जम्मू तथा काश्मीर।

केन्द्रीय चिकित्सा-विधि परामर्शदात्री समिति[1]

†५११. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल केन्द्रीय चिकित्सा-निधि परामर्शदात्री समिति के सदस्य कौन हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में इस समिति की कितनी व कहां-कहां बैठकें हुई ;

(ग) क्या कोरेन्जिक साइन्स लेबोरेट्री की स्थापना के लिये समिति की सिफारिश कार्यान्वित की जायेगी ; और

(घ) क्या आजकल गृह-मंत्रालय की सेन्ट्रल कारेन्जिक साइन्स लेबोरेट्री से कोई सहायता मिलती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय चिकित्सा-निधि परामर्शदात्री समिति में आजकल निम्न व्यक्ति हैं ;

१. डा० के० वी० वेंकटारमन्, सीरोलोजिस्ट एण्ड कैमिकल ऐग्ज़ामिनर, भारत सरकार . . . . . सभापति (पदेन)

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Central Medico-Legal Advisory Committee.

२. श्री वी० एस० देशपांडे, उपविधि परामर्शदाता, विधि मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
३. डा० के० एन० आयंगार, सेन्ट्रल फारेन्ज़िक साइन्स लेबोरेट्री, कलकत्ता	,,
४. श्री जी० सी० दत्त, आई० पी० एस० उपनिदेशक गुप्तवार्ता विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय	,,
५. डा० ए० आर० नटराजन, मद्रास सरकार के कैमिकल, ऐग्ज़ामिनर एण्ड प्रोफैसर आफ कैमिस्ट्री, मद्रास मैडिकल कालिज, मद्रास	,,
६. डा० पी० डी० डालवी, राजस्थान सरकार के कैमिकल ऐग्ज़ामिनर .	,,
७. उत्तर प्रदेश सरकार के कैमिकल ऐग्ज़ामिनर . . .	,,
८. डा० एन० के० सेन, निदेशक फारेन्ज़िक साइन्स लेबोरेट्री, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता	,,
९. डा० एस० के० राय, प्रोफैसर आफ फारेन्ज़िक एण्ड स्टेट मैडिसन, मैडिकल कालिज, कलकत्ता	,,
१०. डा० आई० भूषण राव, सिटी पुलिस सर्जन एण्ड प्रोफैसर आफ फारेन्ज़िक मैडिसिन, उस्मानिया मैडिकल कालिज, हैदराबाद .	,,
११. पुलिस सर्जन, बम्बई	,,
१२. डा० के० एन० बागची, प्रिंसिपल एण्ड प्रोफैसर आफ आर्गेनिक एण्ड वाइओकैमिस्ट्री, नेशनल मैडिकल कालिज, कलकत्ता. .	,,
१३. डा० एच० एस० मेहता, रिटायर्ड पुलिस सर्जन, बम्बई, १२७, कुम्बाला हिल, बम्बई—२६	,,
१४. डा० के० सी० जैकब, प्रोफैसर आफ फारेन्ज़िक मैडिसिन, कस्तूरबा मैडिकल कालिज, मंगलौर	,,

(ख) पिछले दो वर्षों में समिति की दो बैठकें हुईं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

तारीख	स्थान
१८—२० मार्च, १९५७ . .	नई दिल्ली
१०—१२ मार्च, १९५८	कलकत्ता

(ग) समिति की सिफारिशें कार्यान्विति के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं। पश्चिमी बंगाल और बम्बई की सरकारों ने प्रयोगशालायें स्थापित कर ली हैं। उत्तर प्रदेश और आसाम में प्रयोगशालायें बनाई जा रही हैं। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और राजस्थान सरकारों द्वारा प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रश्न उनके विचाराधीन है। उड़ीसा सरकार का विचार ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने का नहीं है। अन्य राज्य सरकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हां।

'गंगोवाल हाटलाइन्स क्रू' शिक्षण केन्द्र[1] भाखड़ा

†५१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा स्थित "गंगोवाल हाटलाइन्स क्रू" प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थी हैं ;

(ख) उसका वार्षिक व्यय कितना है और इसके लिये अमरीका कितना देता है ; और

(ग) क्या केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) गंगोवाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच में, जो २३ जून १९५८ को आरम्भ हुआ तथा २४ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त हुआ, चौदह प्रशिक्षार्थी लिये गये। दूसरे बैच में ग्यारह प्रशिक्षार्थी लिए गये। यह २६ दिसम्बर, १९५८ को आरम्भ हुआ था और अभी चल रहा है।

(ख) सम्पूर्ण योजना का रुपया-व्यय भारत सरकार उठायेगी और यह ७.८६ लाख रुपये है इसमें ३.४६ लाख रु० का अनावर्तक व्यय तथा बंगलौर और गंगोवाल स्थित दो केन्द्रों का दो वर्षों का २.२ लाख रु० वार्षिक आवर्तक व्यय सम्मिलित है। अमरीका का अंश २,९३,५०० डालर है। यह राशि अमरीका से आयात होने वाले सारे औज़ार व सामान तथा दो प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए दो वर्षों के लिए दो इंस्ट्रक्टरों की सेवाओं के लिए है।

(ग) गंगोवाल में उपलब्ध सामान तथा सुविधाओं की दृष्टि से १६ प्रशिक्षार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षार्थियों को भेजने के लिये राज्य विद्युत् विभागों/बोर्डों की सहमति की दृष्टि, गंगोवाल प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ा कर १६ की जा सकती है।

कृषि तथा पशुपालन गवेषणा

†५१३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने कृषि तथा पशुपालन की विभिन्न समस्याओं में गवेषणा के लिए अनेकों योजनाओं की कार्यान्विति के लिए बड़ी धन राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं तथा (राज्यवार) उनकी तफसील क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२८**]

सुप्रीम कोर्ट बार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड

†५१४. **श्री केशव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुप्रीम कोर्ट बार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को देने के लिए नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के पास भूमि प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gangowal Hotlines Crew 'Training Center

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंचाई की छोटी योजनायें

†**५१५. श्री नागी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में **अब** तक विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए कितना धन दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२९]**

गलियारे वाली रेलगाड़ियां

†**५१६. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और दिल्ली-कलकत्ता के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली गलियारे वाली वातावस्थापित रेलगाड़ियों को दैनिक रेलगाड़ियों में बदलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां)** : (क) तथा (ख). नई दिल्ली-हावड़ा, नई दिल्ली-मद्रास सेंट्रल और नई दिल्ली-बम्बई सेंट्रल के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली गलियारे वाली वातावस्थापित रेलगाड़ियों को अधिक बार चलाने का कोई विचार नहीं है ।

पशुओं का चारा

५१७. श्री खुशवक्त राय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री गह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग के लिये खोई **और** शीरे से खोई का शीरा तैयार करने जा रही हैं;

(ख) इससे इन मिलों को क्या लाभ होगा; और

(ग) क्या इस लाभ में से गन्ना उत्पादकों को भी कुछ मिलेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जहां तक भारत सरकार को पता है चीनी मिलें पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग के लिये खोई और शीरे से खोई का शीरा तैयार नहीं करने जा रही हैं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नहरी पानी विवाद सम्बन्धी कान्फ्रेंसों पर व्यय

†५१८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान के साथ नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में हुई कान्फ्रेंसों व विचारविमर्शों पर आरम्भ से अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) इसमें कितना विदेशी विनिमय सम्मिलित है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) २०,४८,७७२ रु० (लगभग) ।

(ख) १५,४३,७७७ रु० (लगभग) ।

राज्यों में फार्मेसी परिषदें

५१९. { **श्री वाजपेयी** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फार्मेसी अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अनुसार सभी राज्यों में फार्मेसी परिषदों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के अनुसार उनकी स्थापना तिथि क्या है; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो किन-किन राज्यों में ऐसी परिषदें स्थापित नहीं की गईं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). निम्नलिखित राज्यों में फार्मेसी परिषदें स्थापित की गई हैं । राज्य का नाम तथा राज्य फार्मेसी परिषद् की स्थापना की तिथि नीचे दी गई है :—

आन्ध्र प्रदेश	२० अक्तूबर, १९५६
बिहार	६ मार्च, १९५६
बम्बई	११ मार्च, १९५४
मद्रास	१५ सितम्बर, १९५४
पंजाब	१८ दिसम्बर, १९५१
उत्तर प्रदेश	१४ दिसम्बर, १९५६
पश्चिमी बंगाल	१६ जनवरी, १९५४
भोपाल	४ सितम्बर, १९५६

(ग) आसाम, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में फार्मेसी परिषदें स्थापित नहीं की गई हैं । राजस्थान, मैसूर तथा केरल राज्यों में फार्मेसी अधिनियम, १९४८ लागू नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

राज्य बिजली बोर्ड

५२०. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड बना दिये गये हैं और कितने राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिये सक्रिय प्रयत्न आरम्भ कर दिये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अब तक मध्य प्रदेश, बम्बई, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, बिहार, असम और पंजाब इन दस राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड बना दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा इन तीन बाकी राज्यों में जल्दी ही राज्य बिजली बोर्ड बनाने के बारे में कोशिश की जा रही है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†५२१. { **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था में वातावस्थापन-यन्त्र लग गया है ताकि आधुनिक आधार पर गवेषणा-कार्य किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस यन्त्र की क्षमता कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हीराकुड बांध परियोजना के छंटनी किये गये कर्मचारियों को काम पर लगाना

†५२२. **श्री सूपकार :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी अब तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की अन्य परियोजनाओं में लगाये गये हैं एवं कितने व्यक्तियों को अन्तिम रूप से छंटनी में निकाल दिया गया है; और

(ख) मुख्य बान्ध तथा नहरों में काम करने वाले कितने कर्मचारी छिपलीका स्थित सहायक बान्ध पर कार्य करने के लिए स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३०**]

(ख) छिपलीका स्थित सहायक बान्ध के सारे कर्मचारी मुख्य बान्ध और नहरों से स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। कुल संख्या निम्न है :—

कुशल	अकुशल	योग
३६३	३७५	७३८

---

†मूल अंग्रेजी में

आलू की फसल

†५२३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खेती में सुधार की दृष्टि से गत वर्ष १९५७ की अपेक्षा आलू की अधिक पैदावार हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७–५८ के आलू के अखिल भारतीय निश्चित प्राक्कलन के अनुसार उस वर्ष आलू की पैदावार १,९८१,००० टन थी जबकि १९५६–५७ के आंशिक रूप से पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार उस वर्ष की पैदावार १,६९८,००० टन थी। इससे १९५६–५७ की अपेक्षा १९५७–५८ में २८३,००० टन थी या १६.७ प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात होती है।

विदेश में पर्यटक कार्यालय

†५२४. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेश में खुले पर्यटक-कार्यालय में कुछ शीशे तथा साइनबोर्ड लगाने पर १८,००० रु० व्यय हुए; और

(ख) यदि हां, तो क्या व्यय भारत सरकार के आदेशानुसार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां। पेरिस म भारत सरकार के पर्यटक-कार्यालय में एक ज़ीना के निर्माण के लिए शीशे के टुकड़ों तथा न्यौन साइन-बोर्ड लगाने पर १७,१९४.६९ रु० व्यय हुए जिनकी तफसील निम्न है :

(१) ज़ीने के लिए शीशे के टुकड़े . . .	१३,१८३.६९ रु०
(२) न्यौन साइन-बोर्ड पर व्यय . . .	४,०११.०० रु०
योग . .	१७,१९४.६९ रु०

मथुरा-दिल्ली रेलगाड़ी का देर से चलना

†५२५. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मथुरा-दिल्ली १३६५ डाउन रेलगाड़ी के देर से चलने से दिल्ली में दफ्तरों को जाने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या यह सच है कि ८ जनवरी, १९५९ को रेलगाड़ी के यात्रियों ने गाड़ी के निरन्तर देर से चलने के विरोध में गाड़ी को फरीदाबाद से न चलने दिया; और

(ग) यदि हां, तो गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्वानुमान किया जाता है कि उल्लेख ३६५ डाउन मथुरा-दिल्ली सवारी गाड़ी का है। इस गाड़ी की सेवा दिसम्बर १९५८ और जनवरी

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ में सन्तोषजनक न थी जिससे हो सकता है कि इस गाड़ी से दफ्तर जाने वाले लोगों को कुछ असुविधा हुई हो।

(ख) यह सच है कि ८-१-५९ को ३६५ डाउन सवारी गाड़ी फरीदाबाद और तुगलकाबाद के बीच ४४ मिनट तक और तुगलकाबाद पर २ घंटे १२ मिनट तक जंजीर खींच कर रोकी गई।

(ग) इस गाड़ी की सेवा में सुधार करने के लिए निम्न कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) इस गाड़ी को १९ डाउन देहरादून एक्सप्रेस के देर से चलने की स्थिति में अधिक महत्व दिया गया है।

(२) खंडीय पदाधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे इस गाड़ी के, इस गाड़ी की सेवा पर विशेष ध्यान दें।

(३) इस गाड़ी की सेवा पर खंड तथा मुख्य कार्यालय आधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूर किये जा सकने वाली देरों की जांच होती है तथा कार्यवाही की जाती है।

भारत में बाल मृत्यु

†५२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बाल-मृत्यु में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मध्य प्रदेश से चावल का समाहार

†५२७. **श्री वाजपेयी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न में राज्य-व्यापार करने का निश्चय करने के उपरान्त मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ क्षेत्र से कुल कितना चावल समाहार किया है; और

(ख) चावल किस मूल्य पर लिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग १,१०,००० टन।

(ख) चावल समय समय पर संशोधित चावल (मध्य प्रदेश) द्वितीय मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९५८ के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम मूल्य पर लिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक कर्मचारियों की वर्दी के लिये भुगतान

†५२८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टेट्समैन" (कलकत्ता, तारीख २५ दिसम्बर, १९५८) में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि विस्थापित दर्जियों को, जिन्हों ने पोस्टमास्टर जनरल-कार्यालय, कलकत्ता के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां दी थीं, पिछले दो वर्ष से भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) पश्चिमी बंगाल सर्किल, कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल ने समाचार पर उचित ध्यान दिया । क्योंकि यह समाचार भ्रमात्मक तथा गलत था, पश्चिमी बंगाल सर्किल, कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल और विस्थापित व्यक्ति दस्तकारी कलकत्ता के सचिव ने १२-१-५९ के कलकत्ता के स्टेट्समैन में एक प्रत्युक्ति निकाली और उस में ठीक स्थिति बताई गई । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ख) पूर्ण भुगतान में देरी होने का कारण यह है कि विस्थापित व्यक्ति दस्तकारी, कलकत्ता के सचिव ने वर्दी बनाने के लिये डाक तथा तार विभाग द्वारा दिये गये कपड़े का हिसाब नहीं दिया है । ये हिसाब केवल १६-१-५९ को दिये गये हैं । पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता देय बिल का पूरा भुगतान करने की दृष्टि से उन की जांच कर रहे हैं ।

उड़ीसा में गोदाम

†५२९. **श्री पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में अनाज-गोदामों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब कुछ निर्णय हो गया है ;

(ख) क्या भारत के किसी अन्य राज्य में अनाज गोदामों का निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये अनाज को रखने के लिये अनाज-गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई चर्चा की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो यह चर्चा किस प्रकार की थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) मंशा यह है कि केन्द्रीय सरकार के हिसाब में उड़ीसा में जो चावल खरीदे जायें उन्हें रखने के लिये दो तीन स्थानों पर मार्गस्थ गोदामों का निर्माण कर दिया जाय ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). समय समय पर चर्चा होती रही है । उड़ीसा सरकार उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के गोदामों का निर्माण करने के लिये बहुत उत्सुक रही है लेकिन इस का निर्णय इस बात का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा कि केन्द्रीय सरकार की वास्तव में आवश्यकता कितनी है । क्योंकि

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में खरीदा गया चावल फौरन ही उपभोक्ता राज्यों में ले जाया जाता है और उड़ीसा में जमा नहीं किया जाता, इसलिये उड़ीसा में केन्द्रीय गोदामों की आवश्यकता अपेक्षाकृत दृष्टि से कम है।

मनीपुर में चिकित्सा कर्मचारी

†५३०. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अधीन आरम्भ की गयी केन्द्रीय योजनायें मनीपुर में नये नियुक्त किये गये कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मलेरिया-विरोधी और कुष्ठ-विरोधी योजनायें के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते मनीपुर में भी आसाम के बराबर हैं या केवल मनीपुर के लिये अलग दरें नियत की गयी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब में राज्य-निगम

†५३१. **श्री राम कृष्ण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अनाजों के भाव नीचे लाने के विचार से एक राज्य-निगम की स्थापना करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पंजाब सरकार से ऐसी कोई योजना मिली है ; और

(ग) क्या इस योजना का अनुमोदन हो गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). पंजाब सरकार से ऐसी कोई योजना नहीं आई है।

रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन

†५३२. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोहना और पानीपत के बीच रोहतक-पानीपत रेलवे के बचे हुए भाग का निर्माण करने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कुष्ठ निरोधक कार्य

†५३३. **श्री पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कुष्ठ निरोधक कार्य करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस आवंटित राशि में से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में विभिन्न कुष्ठ निरोधक कार्य के लिये मूल रूप से आवंटित की गयी कुल राशि नीचे दी जाती है :—

(१) राज्यों की कुष्ठ-योजनाएं . .	४०९.४८ लाख रुपये
(२) केन्द्रीय कुष्ठ-रोग अध्यापन तथा गवेषणा केन्द्र की स्थापना . . .	२८ लाख रुपये
जोड़ .	४३७.४८ लाख रुपये

(ख) केन्द्रीय कुष्ठ-रोग अध्यापन तथा गवेषणा संस्था के सम्बन्ध में जो उपबन्ध किया गया था उस में से ११.४५ लाख रुपये इस वर्ष जनवरी के अन्त तक व्यय हो चुके हैं । राज्यों की कुष्ठ-रोग सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी जमा हो रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कटक स्टेशन पर नीचे का पुल

†५३४. **श्री पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्टेशन पर रेलवे फाटक के निकट एक नीचे के पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार इस प्रस्तावित नीचे के पुल के व्यय में अपने भाग का भुगतान करने को राजी हो गई है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये भूमि प्राप्त करने में कुछ प्रगति हुई है ; और

(घ) उपर्युक्त नीचे के पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नक्शे और प्राक्कलन बन गये थे लेकिन अब इस में कुछ परिवर्तन हो गया है ।

(ख) एक नक्शा और प्राक्कलन राज्य सरकार के पास उस की स्वीकृति के लिये भेजे गये थे । लेकिन इस बीच, नगर और राष्ट्रीय राजपथ के बीच सब से कम खर्च वाले सड़क सम्पर्क के सम्बन्ध में पुनर्विचार किये जाने के फलस्वरूप इस पुल के स्थान पर कटक और महानदी के बीच एक ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव अब राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की नकद जमानत का लौटाया जाना

†५३५. **श्री कुम्भार**: क्या रेलवे मंत्री दक्षिण पूर्व रेलवे पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को नकद जमानत की फालतू रकम की वापसी से सम्बन्धित १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू राशियां सम्बन्धित असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को वापस कर दी गई थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या नकद ज़मानत के इन निक्षेपों पर कोई सूद दिया गया **था ; और**

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह रकम वापस कर देने के लिये दक्षिण-पूर्व रेलवे को आवश्यक हिदायतें दे दी गई थीं और पता चला है कि इन हिदायतों का पालन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). नकद जमानत के निक्षेपों पर नियमानुसार कुछ भी सूद नहीं दिया जा सकता ।

बिहार में सिंचाई परियोजनायें

†५३६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में बिहार में जो योजनायें चलाई हैं उन के सिलसिले में अब तक बिहार को धन और भूमि के रूप में कितना व्यय करना पड़ा है और कितनी क्षति उठानी पड़ी है ; और

(ख) इन योजनाओं से बिहार को कितना लाभ हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई विदर्भ क्षेत्र किसान अधिनियम

†५३७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कुछ अभ्यावेदन किये गये हैं कि बम्बई विदर्भ क्षेत्र किसान (बेदखली से संरक्षण और भूधारण भूमियों का संशोधन) अधिनियम, १९५८ को मनीपुर पर लागू करते समय उस में कुछ संशोधन कर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बड़े पत्तनों पर माल का हस्तन[1]

†५३८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के बड़े पत्तनों पर माल का हस्तन करने की क्षमता कितनी है और १९५७-५८ में प्रत्येक पत्तन में वास्तव में कुल कितने माल का हस्तन किया गया ; और

(ख) यदि कोचीन पत्तन पर माल के हस्तन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Handling.

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बड़े पत्तनों पर माल का हस्तन करने की सामान्य क्षमता इस समय इस प्रकार है :—

	(लाख टनों में)
कलकत्ता	११०.०
बम्बई	१३०.०
मद्रास	२५.०
कोचीन	२५.०
विजगापटम	२३.०
कांडला	१३.०

१९५७-५८ में बड़े पत्तनों में वास्तव में जितने माल यातायात का हस्तन किया गया वह इस प्रकार है :—

	(टनों में)
कलकत्ता	१०,१५६,३४७
बम्बई	१३,१०९,६७६
मद्रास	२,५०४,०८८
कोचीन	१,७९९,८७१
विजगापटम	२,४९२,७७८
कांडला	८४४,२५५

(ख) कोचीन पत्तन पर माल के हस्तन की क्षमता बढ़ाने के लिये निम्नलिखित निर्माण-कार्य आरम्भ किये गये हैं :—

कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति
१. एक पृथक कोयला-बर्थ	पूरी हो गई
२. ६३,२७० वर्ग फुट के दो अतिरिक्त भाण्डागार	पूरी हो गई
३. दो तेलवाही जहाजों की बर्थ	पूरी हो गई
४. बोट-ट्रेन पायर जेट्टी पर ब्लैक-आयल इन्स्टालेशन	पूरा हो गया
५. सम्बन्धित सुविधाओं, जैसे भाण्डागारों, मार्गस्थ शेडों, बड़ी और मीटर लाइनों वाली रेलवे-साइडिंगों, बिजली से चलने वाली क्रेनों आदि समेत एरणाकुलम् चैनल की ओर चार व्हार्फ बर्थें	निर्माण चालू है
६. एक दूसरी कोयला-बर्थ	निर्माण चालू है
७. पत्तन को क्विलोन-एरणाकुलम् रेलवे से मिलाने के लिये विलिंग्डन द्वीपसमूह में मीटर लाइन की सुविधायें	निर्माण चालू है ।

विश्राम-गृहों के लिये पूरे समय काम करने वाले प्रबन्धकों की नियुक्ति

†५३९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के इस निर्देश पर उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ कर दी है कि महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के निकट विश्रामगृहों में पूरे समय काम करने वाले प्रबन्धक नियुक्त किये जायं; और

(ख) किन-किन स्थानों के विश्रामगृहों के सम्बन्ध में उपर्युक्त सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जिन विश्राम-गृहों को पर्यटकों के लिये उपलब्ध करने और उनमें पूरे समय काम करने वाले प्रबन्धकों की नियुक्ति का सुझाव राज्य-सरकारों को दिया गया था उनकी सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३२**] अभी तक केवल उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर मिला है जिसमें यह कहा गया है कि झांसी और आगरा के सरकिट हाउसों को पर्यटकों के लिये उपलब्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां काफी होटल मौजूद हैं । इस बात की सत्यता की जांच की जा रही है । अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों को ३० जनवरी, १९५९ को पुनः स्मरण दिलाया गया है ।

केरल में सुपारी के लिये क्षेत्रीय प्रयोगात्मक केन्द्र

†५४०. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पोन्नानी स्थान में सुपारी की खेती के लिये एक क्षेत्रीय प्रयोगात्मक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या हुआ ;

(ग) क्या केरल या अन्य स्थानों पर प्रयोगात्मक केन्द्र खोलने के कुछ और प्रस्ताव हैं ; और

(घ) क्या यह निश्चय किया गया है कि सुपारी समिति का प्रधान कार्यालय कालीकट से न हटाया जाय ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां । जिस समय पोन्नानी ताल्लुक मद्रास राज्य का भाग था उस समय पोन्नानी में एक क्षेत्रीय सुपारी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव था ।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के बाद पोन्नानी केरल राज्य का भाग बन गया और उस सरकार ने पोन्नानी के स्थान पर त्रिचूर जिले के पननचेरी गांव में एक स्थान को पसन्द किया और वहां एक गवेषणा केन्द्र की स्थापना की गयी है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) १२ जनवरी, १९५९ को त्रिवेन्द्रम में अपनी आखिरी बैठक में भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ने अपना प्रधान कार्यालय कालीकट में ही रखने का निश्चय किया है ।

केरल में सड़कों का विकास

†५४१. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों का विकास करने के कार्य के लिये १९५८–५९ में अब तक केरल सरकार को कुछ भी सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३३]

स्नोडैम राज्य अस्पताल (हिमाचल प्रदेश)

५४२. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में स्नोडैम राज्य अस्पताल का भवन बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसका भवन कब तक बन जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भवन के निर्माण के लिए स्थान का विकास कर दिया गया है तथा नींव पूरी हो चुकी है। दो मंजिलों का आर० सी० सी० फ्रेम वर्क तैयार हो चुका है : अस्पताल तक पहुंचने वाली सड़क चौड़ी कर दी गई है और प्रतिधारी दीवारें तथा पानी बहने के लिए मोरियां आदि भी तैयार हो चुकी हैं।

(ख) जून १९५९ के अन्त तक जल-प्रदाय, सफाई तथा बिजली लगाने आदि जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ इस भवन की दो मंजिलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है ?

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

५४३. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में चीनी के निवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि डाक्टरों के स्थान पर कम्पाउण्डर काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जाने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे पता चले कि चीनी के निवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केवल पूह का सिविल औषधालय को तिब्बत की सीमा के एक दम नजदीक है, एक कम्पाउण्डर के अधीन है।

(ग) पूह में यातायात के साधनों की कठिनाई तथा आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव के कारण डाक्टर ऐसे दूरवर्ती स्थान पर काम करने के अनिच्छुक हैं। पूह में एक डाक्टर की नियुक्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड

५४४. **श्री पद्म देव** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड चालू हैं ;

(ख) इन खण्डों को कितनी जीपें मिली हुई हैं ; और

(ग) इन जीपों के लिये १९५८ में पैट्रोल पर कितना खर्च हुआ ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क)

(१) सी० डी० ब्लाक्स	६
(२) स्टेज I ब्लाक	१४
(३) स्टेज II ब्लाक	५
(४) प्रसार पूर्व ब्लाक	१
योग	२६

एन० ई० एस० ब्लाक नहीं हैं क्योंकि उनको १–४–५८ से स्टेज ब्लाक में तबदील कर दिया गया है ।

(ख) व (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और आने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

रोढू (हिमाचल प्रदेश) की बिजली परियोजना

५४५. **श्री पद्म देव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली रोढू (जिले महासू, हिमाचल प्रदेश) बिजली परियोजना स्थगित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को बिजली देने के लिये अन्य क्या योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी :) (क) तथा (ख). पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में, रोढू तथा जुब्बल और इनसे मिले हुए अन्य इलाकों को बिजली देने के लिये, हिमाचल प्रदेश प्रशासन का सौ किलोवाट का एक जलविद्युत् केन्द्र (हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्टेशन) स्थापित करने का प्रस्ताव था । बाद में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय उन्हों ने इन इलाकों को बिजली देने के लिये ५०० किलोवाट का जल-विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया था । इस योजना की कोई प्रोजैक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और इससे ऐसा पता लगता है कि प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये आवश्यक जांच (इन्वेस्टिगेशन्स) अभी नहीं हुई हैं ।

जब्बल में बिजलीघर

†५४६. श्री पद्म देव : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में जब्बल के बिजली घर के विकास की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हटकोटी, सवरा क्षेत्रों को इस बिजली घर से बिजली का संभरण किया जायेगा; और

(ग) इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने यह सुझाव दिया था कि रोहडू, जब्बल और अन्य संलग्न क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये ५०० किलोवाट के जल-विद्युत् केन्द्र की स्थापना की जाये। लेकिन इस योजना के सम्बन्ध में अभी कोई परियोजना प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश सरकार से नहीं मिला है। परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावों के गठन के लिये जो जांच होनी चाहिये वह अभी तक नहीं हो पायी है।

पूना-शोलापुर लाइन पर बिजली से रेलें चलाना

†५४७. श्री सोनावने : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के समक्ष है कि कोयना नदी परियोजना से विद्युत् शक्ति उपलब्ध होने पर मध्य रेलवे की पुना-शोलापुर लाइन पर और भी बड़े क्षेत्र में बिजली से रेलें चलायी जायें; और

(ख) बिजली से रेलें चलाने के मामले में सरकार की क्या नीति है ?

†रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) : जी नहीं।

(ख) बिजली से रेलें चलाने के लिये बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जिसका बहुत बड़ा अंश अभी विदेशों में इंजन-डिब्बे और अन्य उपकरण खरीदने के लिये चाहिये। बिजली से रेलें चलाने के मामले में केवल उन्हीं सेक्शनों को प्राथमिकता दी जाती है जिन में यातायात बहुत घना हो और भाप के इंजनों से उस अनुमानित बढ़े हुए यातायात का सामना करना संभव न हो। पूना-शोलापुर सेक्शन पर अभी यह स्थिति नहीं आई है।

कोयना परियोजना

†५४८. श्री जाधव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कोयना परियोजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) लगभग १९,५९,००,००० रुपये।

(२) दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक लगभग ११,९५,६४,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एक्सरे का सामान

†५४९. **श्री वें० प० नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष एक्स-रे के कितने सामान की आवश्यकता पड़ती है और महत्वपूर्ण सामान में से प्रत्येक का देश में कितना-कितना उत्पादन होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रतिवर्ष कितने एक्स-रे का सामान की आवश्यकता पड़ती है इस संबंध में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, प्रति वर्ष जितने एक्स-रे के सामान की आवश्यकता पड़ती है उस की कीमत नीचे दी जाती है :—

एक्स-रे फिल्में	लगभग ६० लाख रुपये कीं
एक्स-रे उपकरण	लगभग ६२।। लाख रुपये के

निम्नलिखित फर्में देश में एक्स-रे डेवलपर्स का निर्माण करती हैं :

१. मेसर्स केसर शुगर वर्क्स, बम्बई ।

२. मेसर्स कोडक लिमिटेड, बम्बई ।

३. मेसर्स एलाइड फोटोग्राफिक्स लिमिटेड, बम्बई ।

१९५७ और १९५८ में उपर्युक्त तीनों फर्मों को डेवलपर्स का औसत उत्पादन ७४१७० गैलन था और इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है । एक फर्म आयात किये गये हिस्सों को जोड़ कर थोड़ी संख्या में उपकरण भी बनाती है ।

जसडीह स्टेशन के निकट दुर्घटना

†५५०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ दिसम्बर, १९५८ को पूर्व रेलवे के जसडीह स्टेशन के निकट टेलीफोन और रेलवे की मरम्मत करते समय एक ब्लाक सिग्नल आफिसर, एक ट्रालीमैन और एक खलासी चलती गाड़ी के नीचे आकर मर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त आफिसर एक २० वर्षीय विधवा पत्नी और ८० वर्ष की आयु के वृद्ध पिता को अपने पीछे छोड़ गया है;

(घ) क्या उपर्युक्त विधवा को और उपर्युक्त ट्रालीमैन और खलासी के संबंधियों को कुछ मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) उन में से प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया है ?

† **रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). २५ दिसम्बर, १९५८ को लगभग ११.३० बजे एक असिस्टेंट मैन्टेनेन्स इन्स्पैक्टर (ब्लाक), एक लाइन मैन और एक खलासी पूर्व रेलवे के जसडीह और लहाबोन स्टेशनों के बीच (२०५ वें मील पर) नयी ब्लाक हट के निकट काम कर रहे थे । डाउन लाइन पर "जी एल—२" डाउन गाड़ी को आते देख कर वे अप लाइन पर चले गये लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि ठीक उसी समय ७१ अप पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी उस लाइन पर आ रही थी । तीनों व्यक्ति पार्सल एक्सप्रेस से कुचल कर मर गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उक्त अफसर अपने पीछे एक १८ वर्षीय विधवा पत्नी और वृद्ध पिता छोड़ गया है जिस की उम्र ७१ वर्ष है ।

(घ) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिये जाने के लिये श्रमिकों के मुआवजे के रूप में देय राशियां श्रमिकों के मुआवजे से संबंधित आयुक्तों के पास जमा करा दी गयी हैं ।

(ङ) आयुक्तों के पास जमा की गयी राशियां ये हैं :

(१) असिस्टेंट मैन्टेनेन्स इन्स्पैक्टर (ब्लाक) के संबंध में ४००० रुपये ।

(२) लाइनमैन के सम्बन्ध में ३,५०० रुपये ।

(३) खलासी के सम्बन्ध में १,८०० रुपये ।

खड़गपूर रेलवे वर्कशाप

†५११. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर रेलवे वर्कशाप के विभिन्न सेक्शनों में चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित किये गये ऐसे स्थान कितने हैं जो अभी तक भरे नहीं गये हैं; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को अभी तक क्यों भरा नहीं गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) खड़गपुर रेलवे वर्कशाप के विभिन्न सेक्शनों में केवल ट्रेड अप्रेन्टिसों की श्रेणी में रक्षित रिक्त स्थान भरे नहीं जा सके हैं । इन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

सेक्शन	रक्षित रिक्त स्थानों की संख्या		रक्षित रिक्त स्थानों की संख्या जो भरे नहीं जा सके हैं	
	अनु० जा०	अनु० आ० जा०	अनु० जा०	अनु०आ०जा०
लोको .	२३	२०	१४	१८
कैरेज .	२१	१९	१२	१७
वैगन .	४	३	२	२
जोड़	४८	४२	२८	३७

(ख) यह कमी रह जाने का कारण यह है कि १९५६ के बाद इस श्रेणी में बिल्कुल भर्ती नहीं की गयी है । इस श्रेणी के लिये अगली भर्ती करते समय यह कमी पूरी कर ली जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

खवाई (त्रिपुरा) में सूखा

†५५२. **श्री दसरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खवाई सब-डिवीज़न (त्रिपुरा) में १९५८ में सूखे के कारण कितनी एकड़ भूमि में खेती नहीं की गयी;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी फसल को हानि हुई;

(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) खवाई सब-डिवीज़न के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को अब तक किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मांगी गयी है और यथाशीघ्र उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

गोवध निरोध अधिनियम

५५३. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्य सरकारों ने ३१ जनवरी, १९५९ तक गोवध निरोध अधिनियम पास किये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ीसा केरल और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में विधान के द्वारा गो हत्या बन्द है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

कल्कली घाट स्टेशन

†५५४. **श्री बांगसी ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्कली घाट स्टेशन पर गोदाम अथवा शेड की कमी के कारण भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा के लिये दिया गया चावल बड़ी मात्रा में वर्षा से खराब हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) तथा (ख). वर्तमान गुड्स शेड सामान्य यातायात के लिये पर्याप्त है । हाल ही में, त्रिपुरा का माल समस्त रेल मार्ग से आने के कारण, समय-समय पर बड़ी मात्रा में चावल आता रहा । उसको त्रिपुरा प्रशासन द्वारा उतारा जाना होता है और सामान्यत: वे माल की निकासी कर देते थे जिससे उसे रेलवे के गुड्स शेड में इकट्ठा नहीं करना पड़ता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ कारणों से, जैसे सीमित निकासी के कारण, जो माल रेलवे के स्थान पर रह जाता था उसकी रेलवे तिरपाल डाल कर रक्षा करती थी। हाल ही में त्रिपुरा के लिये भारी मात्रा में माल आने को ध्यान में रखते हुए गुड्स शेड के विस्तार करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

त्रिपुरा प्रशासन ने हानि के लिये कोई दावा नहीं किया है।

चीनी के कारखाने

†५५५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने चीनी के कारखानों के अपने गन्ने के खेत हैं ;

(ख) ये खेत कितने बड़े हैं ; और

(ग) इन खेतों में प्रति एकड़ कितनी पैदावार होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ७९।

(ख) २.२८ लाख एकड़ जिसमें १९५७–५८ के फसल वर्ष में १.०४ लाख एकड़ में गन्ना हुआ।

(ग) लगभग ३२ टन गन्ना।

टिकट कलेक्टर

५५६. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन रेलवे महा खण्डों में रेलवे मंत्रालय द्वारा घोषित टिकट कलेक्टरों के पदों को उन्नत करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली विभाग में टिकट कलेक्टरों के पदों को उन्नत किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और पश्चिम रेलें।

(ख) जी हां।

(ग) १-४-१९५६ से।

(घ) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली लखनऊ सेक्शन पर प्लेटफार्मों पर शेल्टर

†५५७. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली लखनऊ सेक्शन पर मुख्य स्टेशनों के आइलैण्ड प्लेटफार्मों पर शेल्टर की व्यवस्था करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस वर्ष रामपुर स्टेशन पर एक शेल्टर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितना काम किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) दिल्ली, गाज़ियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, आंझी, हरदोई, और लखनऊ के आइलैण्ड प्लैटफार्मों पर शेल्टर पहले ही बने हुए हैं। पीताम्बरपुर, बालामऊ और तिल्हड के आइलैण्ड प्लैटफार्मों पर शेल्टर बनाने का काम इस्पात के परिरक्षण की दृष्टि से रोक दिया गया है।

(ख) और (ग). रामपुर में मुख्य प्लेटफार्म पर एक शेल्टर पहले ही है। आइलैण्ड प्लैटफार्म पर एक शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है और इस्पात का काम चल रहा है। अगले छः महीने में काम के पूरा हो जाने की आशा है।

श्री सिद्दप्पा होश्मानी का निधन

†**अध्यक्ष महोदयः** मुझे सभा को सूचित करना है कि १४ फरवरी, १९५९ को हावेरी में श्री सिद्दप्पा होश्मानी का निधन हो गया है। उनकी आयु ७९ वर्ष थी।

श्री होश्मानी १९३४ में भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। मुझे विश्वास है कि सभा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) मनीपुर गजट में प्रकाशित मनीपुर के लिये मोटरगाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या बी-टीपी/७/५६ द्वारा संशोधित २५ जुलाई, १९५८ की संख्या बी-टीपी/७/५६।

(२) अन्दमान और निकोबार गज़ट में प्रकाशित दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की संख्या १४१/५८। [पुस्तकालय में रखी गईं, देखिये संख्या एल० टी०-१२२३/५८]

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के पैंतीसवे प्रतिवेदन से, जो १८ फरवरी, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†अध्यक्ष महोदय: अब सभा श्री कासलीवाल द्वारा १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर और आगे विचार करेगी :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सबसे पहले मैं सभा से इस बात के लिये क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव से सम्बन्धित पूरी चर्चा में उपस्थित नहीं रह सका वजह यह थी कि एक दिन तो मैं दिल्ली में ही नहीं था, और बाकी दूसरे दिनों मेरे पास काम बहुत ज्यादा था। हां, कुछ देर तक मैंने चर्चा सुनी थी। फिर भी, मैंने अपने यहां हाजिर न रह पाने की कमी बहुत कुछ दूर करने की कोशिश की है। मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों खास तौर से विरोधी दल के खास-खास माननीय सदस्यों के भाषणों के सरकारी रिकार्ड को पूरी तरह से पढ़ लिया है।

सबसे पहली चीज़ तो यह है कि माननीय सदस्य शायद ठीक-ठीक नहीं समझते, उन्हें कुछ गलत-फहमी है कि दोनों सभाओं के इस संयुक्त सत्र के सामने दिये जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को किस ढंग का होना चाहिये। हर साल इस मौके पर ऐसी ही ग़लतफ़हमी दिखाई पड़ती है। श्री डांगे ने कहा है कि अभिभाषण बड़ा बेजान था, उससे कोई उत्साह ही पैदा नहीं होता। श्री खाडिलकर ने फरमाया है कि अभिभाषण में कोई दम खम नहीं थी और न उसे सुन कर किसी एक चीज़ पर कमर कसने का जज्बा पैदा होता है। उनका अपना ख्याल है कि अभिभाषण में देश के मसलों की छानबीन करने की, कोशिश होनी चाहिये; यह बताया जाना चाहिये कि सरकार ने कहां-कहां ग़लतियां की हैं। मेरा ख्याल है कि मैं भी यहां जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे श्री डांगे के दिल में कोई उत्साह पैदा नहीं होगा। इसलिये कि श्री डांगे का उत्साह, उनकी प्रेरणा जिन चीजों से जागती है उनका खजाना मेरे पास नहीं है। लेकिन श्री खाडिलकर ने जो भी कुछ उम्मीद राष्ट्रपति के अभिभाषण से लगा रखी थी, उससे तो यही लगता है कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति और अमरीका के प्रेसीडेण्ट के पद और उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं समझते। दोनों को एक ही जैसा समझते हैं। अमरीका के प्रेसीडेण्ट अपने राज्य-संघ के नाम कभी-कभी जो संदेश देते हैं उसमें वे देश के सामने आने वाले प्रश्नों की छानबीन करके उनका लेखा-जोखा करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति न तो संविधान की रू से और न अन्य प्रकार से अमरीकी प्रेसीडेण्ट की तरह काम करने की स्थिति में हैं। इसलिये यह उचित नहीं है कि हम उनसे संविधान द्वारा तय किये गये ढंग के अलावा और किसी ढंग से काम करने की उम्मीद करें। इसीलिये उनका वार्षिक अभिभाषण ऐसी कोई गहरी छानबीन पेश नहीं करता, और न लेखा जोखा करता है, न गलतियां ढूंढता है। उसमें एक मोटे तौर पर यही बताया जाता है कि सरकार ने एक साल में क्या किया है और आगे चल कर क्या ख़ास-ख़ास चीज़ें की जायेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मामले में कोई दूसरा ही ढंग अपनाया जाये, तो वह न तो संविधान की भावना से मेल खायेगा और न राष्ट्रपति के उस ओहदे से मेल खायेगा जो हमने मंजूर किया है।

इस सभा में कई भाषण दिये गये हैं और उन में कई तरह की बातें कही गई हैं। श्री मथाई के मामले के बारे में कई बार जिक्र किया गया है। और कई विषयों के बारे में कहा गया है। खास तौर पर एक विषय ऐसा है जिस का इस सभा में पहले कभी भी जिक्र नहीं किया गया था। देश में गृह-युद्ध हो सकने की संभावना की बात कभी इस से पहले नहीं की गई थी। इस तरह इस वाद-विवाद

---

†मूल अंग्रेजी में

में काफी फैलाव आ गया है । मैं उन में से कुछ बातों को ही लेता हूं क्योंकि यदि उन सभी के बारे में मैं अपने ख्यालात ज़ाहिर करने लगूं तो बहस जरूर लम्बी हो जायेगी, पर उस से कुछ फायदा नहीं होगा ।

श्री मथाई के मामले को ले कर कई विरोधी दल के माननीय सदस्यों के दिमाग़ बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं । इसलिये मैं सब से पहले उसी के बारे में कहता हूं । माननीय सदस्यों के दिमाग़ में जिस किसी भी मामले के बारे में कुछ सन्देह पैदा हों, मैं उस की हर तरह से जांच कराने के लिये तैयार हूं । सभा में या सभा के बाहर भी, जब भी मुझ से कुछ सवालात पूछे जाते हैं, मैं हमेशा ही उन के बारे में सारी जानकारी देने के लिये, उतनी जानकारी, जितनी मुझ है, देने के लिये तैयार रहता हूं । यहां इस सभा में, और राज्य सभा में भी मैंने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी । ज़ाहिर है कि मैं उस मामले का पूरा किस्सा और उस से ताल्लुक रखने वाले सभी मामलों को बयान नहीं कर सकता था । जब मैं ने देखा कि लोगों की और इस सभा के सदस्यों की इस मामले में जो दिलचस्पी है उस को देखते हुए और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये कुछ आरोपों और कुछ आक्षेपों को देखते हुए, यही अच्छा होगा कि इस पूरे मामले के पूरे किस्से की इस से ताल्लुक रखने वाली सभी चीज़ों की काफी गहराई से जांच करवाई जाये, तो मैं ने अलग-अलग सवालों के जवाब में थोड़ी-बहुत जानकारी जुटाना बन्द कर दिया । उस से माननीय सदस्यों को संतोष भी नहीं हो रहा था । कुछ सवालात तो बड़े ही अजीब से थे । अजीब इसलिये कि वे सवाल थे ही नहीं । वे सवालों से कुछ और बढ़ कर थे । इस मामले के बारे में जितने भाषण हुए थे, उन को सुनने से भी ऐसा लगता है जैसे कि सभी लोग यह समझते हैं कि कोई बड़ी भारी बात हो गई है, लेकिन इस बात का इन्तजार करना किसी ने ठीक नहीं समझा कि पहले तथ्यों का तो पता लगा लिया जाये । इसलिये मैं ने यह तय किया इस पूरे मामले पर किसी ऐसे व्यक्ति को विचार करना चाहिये जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर दे और फिर हम उस पर विचार कर सकें और, तभी हम सोचें कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिये । इसलिये मैंने अपने मंत्रि-मंडल सचिव से कहा कि वह सभी तथ्यों का पक्के तौर पर पता लगा कर एक प्रतिवेदन तैयार करें । मैंने उन से कहा था कि वह इस मामले के सिलसिले में किये गये सभी आरोपों, चाहे वे सभा में किये गये हों या समाचारपत्रों में उठाये गये हों, को देखें और उन की जांच करें और मुझे रिपोर्ट दें ताकि उस रिपोर्ट को या उस जानकारी के आधार पर अपनी खुद की रिपोर्ट आप को दे सकूं । सचिव वह रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं । अब चीज़ यह है कि इस मामले में कुछ ऐसे सवाल कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन का सीधा सम्बन्ध वित्तीय मामलों से है । इसलिये मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के आने पर, मैं उस की एक-एक कापी वित्त मंत्री और महानियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक के पास भेज दूं, जिस से कि वे इस मामले के वित्तीय पहलू पर विचार कर के यह बता सकें उस में कितना और कहां तक कुछ अनुचित हुआ है ।

जब भी दो आदमी एक-दूसरे के बहुत ही क़रीबी बन कर रहते हैं, तो उस के दो ही नतीजे हो सकते हैं । एक तो यह है कि करीब रहने की वजह से वे दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान-समझ लेते हैं और एक-दूसरे की अच्छाई-बुराइयों को अन्य लोगों के मुकाबिले कहीं अच्छी तरह समझ सकते हैं और उन की ठीक जांच कर सकते हैं । और दूसरा नतीजा यह भी होता है कि वे दोनों एक दूसरे की तरफदारी ले सकते हैं । पहले नतीजे से तो फायदा होता है, लेकिन दूसरे से नुकसान । इसलिये, जो भी हुआ हो, मैंने तय यही किया कि इस मामले की सचाई पता लगाने के रास्ते में मेरी अपनी ज़ाती रायों को रोड़ा नहीं बनना चाहिये । और इसलिये, मैंने तय किया है कि मंत्रि-मंडल सचिव की रिपोर्ट आने के बाद मैं अपने सहयोगी, वित्त मंत्री से उन की अपनी राय बताने के लिये अनुरोध करूंगा और साथ ही महालेखापरीक्षक से भी पूछूंगा कि इस मामले में कुछ अनुचित कार्य

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुआ है या नहीं। चूंकि मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पूरे तौर पर हो, और जांच में उस पूरे वक्त को लिया जाये जब से कि श्री मथाई मेरे साथ रहे हैं, यानी पूरे १२ साल के दौर की जांच की जाये, इसीलिये इस में कुछ वक्त तो लग ही जायेगा।

मेरे पास काम करने आने से पहले श्री मथाई क्या करते थे, इस से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उतने ही वक्त के उन के कामों से दिलचस्पी है जितने तक कि वह मेरे पास रहे। शायद माननीय सदस्यों को यह नहीं मालूम कि श्री मथाई एक ऐसे वक्त मेरे पास आये थे जबकि मेरे किसी सरकार में शामिल होने की बात तक नहीं चल रही थी। वह मेरे प्रधान मंत्री बनने के करीब डेढ़ साल पहले मेरे पास आये थे। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह एक भावी प्रधान मंत्री अथवा सरकारी पदाधिकारी के पास नियुक्त हो रहे हैं। इसीलिये मैंने मंत्रिमंडल सचिव से कहा है कि वह श्री मथाई के उस पूरे काल को ही लें जितने तक कि वह मेरे पास रहे हैं, ताकि पूरी स्थिति की मोटे तौर से और श्री मथाई पर जो आरोप लगाये गये हैं, उन की खास तौर से जांच हो सके।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या इस का मतलब यह है कि इस से पहले श्री मथाई ने अमरीकी सेना के संस्थान में काम करते समय २ या ३ लाख रुपये की जो कमाई की थी, उस की जांच नहीं होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। ठीक यही मतलब है। मैं उस की जांच नहीं कराऊंगा। यह एक बिलकुल ही अलग मामला है; मैं हर आदमी की अपनी निजी ज़िन्दगी के बारे में जांच कराता नहीं घूम सकता। हां, लेकिन इस बात में मेरी और सभा की दिलचस्पी जरूर है कि जब से श्री मथाई मेरे साथ रहे, या सरकारी सेवा में रहे, तब से क्या-क्या हुआ है।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं इस बात को पसन्द करता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे सभी मामलों में दिलचस्पी दिखायें जिन के बारे में कि उन के दिमाग़ में संदेह पैदा होते हैं, या जिन में वे समझते हों कि उचित ढंग से काम नहीं हुआ है। यह तो ठीक है। लेकिन साथ ही, इस मामले के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जिस ढंग से सवालात उठाये हैं, और जिस तरह से किसी के पीछे पड़ जाने की झलक दिखाई देती है उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब है। मेरा तो ख्याल है कि माननीय सदस्य यह बिलकुल नहीं चाहते कि हाथ धो कर किसी के पीछे पड़ा जाये। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा ही नज़र आया है। माननीय सदस्य सचाई का पता लगाना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि न्याय किया जाये। वे चाहते हैं कि नेकनीयती और ईमानदारी का मेयार ऊंचा रहे। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसे मामलों में किसी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना चाहता। समाचारपत्रों में ऐसे मामलों को सनसनीखेज़ ढंग से पेश करने का रुझान रहा है। मैं आप के सामने एक सचाई, एक तथ्य पेश कर रहा हूं, किसी की शिकायत नहीं।

मैं आप के सामने एक और छोटा सा उदाहरण रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका में एक पत्र प्रकाशित किया गया था, जो श्री मथाई ने नौ साल पहले लिखा था। सच्ची बातें छापने के लिये उस पत्रिका का नाम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। श्री मथाई का वह पत्र श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के नाम लिखा गया था। चूंकि श्री मथाई का मामला लोगों के सामने था, सिर्फ इसीलिये वह पत्र छापा गया था। पता नहीं उस पत्रिका को वह मिला कहां से। पत्रिका में कुछ इस तरह कहा गया था कि शायद वह पत्र रद्दी में किसी मिठाई वाले के यहां से मिला था। शायद ऐसे ही मिला हो।

†मूल अंग्रेजी में

उस पत्र में, श्री मथाई ने कहा था कि प्रधान मंत्री ने उन को सहायता के लिये पांच हजार रुपये का चैक भेजने के लिये कहा है और इस बात पर खेद प्रकट किया है कि नियमित रूप से वह रुपया नहीं भेज सकेंगे ।

अधिकांश माननीय सदस्य श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को जानते हैं । वह दिल्ली के सम्माननीय व्यक्तियों में गिनी जाती हैं । उस समय श्रीमती रामेश्वरी नेहरू पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों, विशेष कर स्त्रियों के लिये सहायता-कार्य में जुटी हुई थीं । वह पुनर्वास मंत्रालय की अवैतनिक सलाहकार भी थीं । मंत्रालय विस्थापितों की मदद कर रहा था । जब भी कोई फौरी जरूरत आ पड़ती थी, तो वह मेरे पास दौड़ती थी । उन का कहना था कि सरकार बड़ी देर में, बड़े-बड़े धीरे-धीरे चलती है, और मदद की जरूरत फौरन होती है । तब मैं उन को कुछ राशि दे दिया करता था, और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू उस का पूरा हिसाब दे देती थीं । मैंने उन को इसी सहायता कार्य के लिये वे पांच हजार रुपये दिये थे । इस पत्रिका में ऐसी ही चीज़ छापी जाती है । उस पत्रिका का इशारा शायद यह है कि श्रीमती रामेश्वरी नेहरू मेरे एक रिश्ते के भाई की स्त्री हैं और मैं इसीलिये उन को सरकारी खजाने से एक तरह की पेन्शन सी देता रहता था । (अन्तर्बाधा)

अब श्री मसानी का भाषण लीजिये । मैं उन के भाषण के समय यहां नहीं था, लेकिन मैंने सरकारी रिपोर्ट में उस का एक-एक हरफ पढा है । मैं यहां इस संसद् में ग्यारह साल से हूं, लेकिन इस पूरे अर्से में पहली बार मैंने ऐसी बातें पढ़ी या सुनी हैं । वह एक बिलकुल ही नया तजुर्बा था । नया इस बात में कि किसी भी माननीय सदस्य ने इस से पहले कभी भी ऐसी बात नहीं कही थी कि अगर एक कुछ काम किया जायेगा तो देश में गृह-युद्ध छिड़ जायेगा । ऐसी धमकी कभी पहले सुनने में में नहीं आई थी ।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : मैंने कोई भी धमकी नहीं दी थी, सिर्फ सावधान किया था । प्रधान मंत्री मेरे भाषण को पढ़ें । मैंने कहा यह था कि मुझे डर है कि कहीं गृह-युद्ध न छिड़ जाये । रांची और छोटा नागपुर के किसानों से उन की जमीनें दे देने के लिये कहा जा रहा है, इस का नतीजा खून-खराबी ही हो सकता है । इसीलिये मैंने सरकार को एक चेतावनी दी थी । इस से ज्यादा कुछ नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास श्री मसानी के भाषण के उद्धरण मौजूद हैं । उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार गृह युद्ध का जिक्र किया था । उन्होंने यह कहा था कि अगर देश में सहकारी कृषि अपनाई गई, तो वह धमकी या ज़ोर के बल पर ही की जायेगी । उन्होंने कहा था कि वह बिना किसी हिचक के कहना चाहते हैं कि यदि इस को थोपने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश की गई, तो उस से गृह-युद्ध छिड़ जायेगा और खून खराबी होगी और उस में देश के हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा । उन्होंने यह भी कहा था कि हम ऐसे किसी भी काम के लिये वचन-बद्ध नहीं होंगे ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सहकारी कृषि के बारे में ही बहस करें; इस बात को लेकर मूल प्रश्न को भुलाने की कोशिश न करें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का दूसरा उद्धरण उन के अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में था, जहां के आदिवासियों के साथ उन का बड़ा गहरा ताल्लुक है । उन के बारे में, माननीय सदस्य ने कहा था कि हम चाहे जो नारा लगायें पर आदिवासी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : वह पाठ शुद्ध नहीं है । मेरे पास उस की शुद्ध की गई प्रति मौजूद है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : और आगे, माननीय सदस्य ने कहा था कि रांची और छोटा नागपुर के किसानों से उनकी अपनी ज़मीनें छोड़कर चीन की तरह बड़ी-बड़ी सहकारी समितियां बनाने के लिये कहा जा रहा है और इसका नतीजा यही होगा कि खून-खराबी होगी ।

मुझे बड़ी खुशी है कि श्री मसानी अब अपने भाषण को शुद्ध करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी माननीय सदस्य अपने भाषण को, उसकी शब्दावली को बदल नहीं सकत । यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक हो, तो अध्यक्ष ही उसे निकाल सकता है ।

अब इस विषय पर अधिक बहस की जरूरत नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे उनके किसी एक शब्द से दिलचस्पी नहीं है । अगर कोई शब्द छूट गया हो, तो वह जोड़ सकते हैं । मुझे तो उनके भाषण की बुनियादी बात से मतलब है। मैं आपको बता दूं कि गृह-युद्ध की संभावना की बात पढ़ कर सचमुच मुझे बड़ा दुःख हुआ। इससे पहले मैंने गृह-युद्ध की बातें तो सुनी थीं, लेकिन इस सभा से बाहर, सभा में नहीं । और अब इस सभा में भी इसका जिक्र किया जाने लगा है । मैं समझता हूं कि यह अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, क्योंकि हमें कुछ बुनियादी चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही चाहिये और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जिनसे कि हालत और भी बिगड़ने का अंदेशा हो, या जनता का दिमाग ग़लत दिशाओं में बढ़ता हो । हमें इनना ध्यान रखना ही चाहिये । इतनी बात हमेशा अपने सामने रखनी चाहिये, फिर चाहे कुछ सवालों के बारे में हमारे दिमाग में कितनी ही उथल-पुथल या परेशानी क्यों न हो और हम सभा में उन सवालों के बारे में कितनी ही गरमागर्मी क्यों न कर लें । वैसे ही हमारे सामने इतनी मुश्किलात हैं, मेरा मतलब है कि देश के सामने इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं । इसीलिये, हमें एक-दूसरे की नीतियों की आलोचना करने, नुक्ताचीनी से तो नहीं हिचकना चाहिये, लेकिन इस ढंग से बातें कहने को बढ़ावा नहीं देना चाहिये ।

श्री मसानी को इतनी परेशानी आखिर क्यों है ? उनकी परेशानी की वजह यह है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो कई संकल्प पास किये गये हैं, उनमें भूमि-सुधारों और सहकारी समितियों के बारे में भी संकल्प हैं । उन संकल्पों में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य है संयुक्त कृषि और हमें इसी उद्देश्य को सामने रखकर चलना चाहिये, लेकिन अभी तीन साल तक अपनी सारी कोशिशें सेवा सहकारी समितियों पर ही लगानी चाहिये । उनमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि सहकारी कृषि के लिये यह सहयोग किसानों की अपनी मरज़ी के मुताबिक ही होगा और यदि संयुक्त कृषि शुरू हुई तो किसानों की अपनी मरज़ी से ही होगी । श्री मसानी ने भाषण में कहा था कि वह तो हमेशा से सहकारिता के सिद्धान्त के हामी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के संकल्पों में जिसकी बात की गई है, उसका सहयोग से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि संयुक्त कृषि होने से किसानों के हाथ से ज़मीन तो जाती ही रहेगी और इसीलिये उसे सहयोग नहीं कहा जा सकता । उनका कहना है कि किसी भी प्रक्रम पर संयुक्त कृषि चलाई जायेगी, तो वह आगे चल कर सामहिक कृषि की शक्ल ही ले लेगी । और सामूहिक कृषि का नतीजा होगा इस देश में भी वैसे ही खौफनाक हालात, बन जाना जैसे कि अभी रूस और चीन में हैं । यही उनकी दलील है ।

लेकिन इस दलील में कई ऐसी चीज़ें पहले से मान ली गई हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है । इसलिये उसका जवाब देना कुछ मुश्किल हो गया है । श्री मसानी यह मान कर चलते हैं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां संयुक्त कृषि से काम होगा वहां सहकारिता नहीं हो सकती। मैं पहली बार ऐसा सिद्धान्त सुन रहा हूं। इससे पहले भी मैंने संयुक्त कृषि के बारे में तरह-तरह की बातें सुनी थीं, लेकिन यह किसी ने भी नहीं कहा था। फिर, उनकी दलील के मुताबिक अगर संयुक्त कृषि चलेगी तो आगे बढ़कर वह सामूहिक खेती की शक्ल ले लेगी। यह बात भी कुछ बड़ी अजीब सी लगती है। जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैं एक मोटे तौर पर सामूहिक खेती को ठीक नहीं मानता। मैं साफ़ कहना पसन्द करता हूं और मैं कहता हूं कि मैं सामूहिक खेती से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, तो करें। वे सामूहिक खेती करें, मैं उनके रास्ते में अड़चनें नहीं डालूंगा, लेकिन हां उसे बढ़ावा भी नहीं दूंगा। लेकिन सहकारिता में तो मैं यकीन करता हूं, और संयुक्त कृषि को भी कतई ठीक समझता हूं। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। मैं खेत-खेत में जाकर हर किसान से संयुक्त कृषि अपनाने के लिये कहूंगा, लेकिन अगर वे राजी नहीं होंगे, तो मैं इसे उन पर थोप भी नहीं सकता। राजी होना या न होना, तो उनकी खुशी पर है। मैं यह भी नहीं कहता कि इस मामले या किसी और मामले में भी किसी आम उसूल को दुनिया के हर मुल्क पर लागू किया जा सकता है। मेरा तो अब यह यकीन है कि दुनिया के सभी मुल्कों के बारे में, या किसी एक नीति के बारे में, आम तौर से कोई एक बात कहना ठीक नहीं है। हमारे अपने नजरिये के कुछ आम उसूल हों, हो सकते हैं, और होते भी हैं, लेकिन उन्हें हर मुल्क पर तो लागू नहीं किया जा सकता। हर मुल्क के अपने ख़ास हालात होते हैं, और उन्हें देखकर उनके आधार पर ही हम उस एक मुल्क के बारे में कोई नतीजा निकाल सकते हैं। किसी एक मुल्क का कोई उसूल लेकर ज्यों का त्यों दूसरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता। यदि मैं भारत के किसानों के बारे में कोई एक चीज़ करने का सुझाव देता हूं, तो उसका मतलब यही है कि मैं उसे भारत के हालात में फायदेमन्द और सही समझता हूं। आज दुनिया इतनी तेजी से बदलती जा रही है कि यह कहना मुश्किल है कि आज से चन्द बरस बाद मैं क्या सोचूंगा या यह कि दूसरे लोग किस तरह से सोचेंगे। दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां होती जा रही हैं।

श्री मसानी ने कहा कि वह परम्परागत तरीकों को बदलने के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि परम्परागत पारिवारिक कृषि, वैयक्तिक कृषि जारी रहे। मैं यह बता दूं कि मैं परम्परा के विरुद्ध तो नहीं हूं परन्तु मैं समझता हूं भारत में एक चीज़ जो ज़रूरी है वह यह है कि परम्परा से यथासंभव बाहर निकला जा सके। मैं समस्त पराम्पराओं के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं---वैसा कहना उचित नहीं होगा---परन्तु इतना ज़रूर है कि हम कुछ बातों में परम्परावादी, रुढ़िवादी बन गये हैं। मैं श्री मसानी से कितना भी मतभेद रखूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस अर्थ में वह रुढ़िवादी और परम्परावादी नहीं हैं।

इसलिए हमें इस प्रश्न पर उसके गुण-दोषों के आधार पर यह महसूस करते हुए विचार करना चाहिए कि हमें सहकारिता के इस क्षेत्र में जो कुछ भी करना है वह सम्बन्धित लोगों की सहर्ष स्वीकृति से होना चाहिए अन्यथा अच्छी अथवा बुरी होने के अतिरिक्त वह सहकारिता न होगी वरन कुछ और ही होगी; मैं श्री मसानी से इस बात में सहमत हूं। यदि वह मान लिया जाय तो श्री मसानी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत तर्कों में से अधिकांश व्यर्थ हो जायेंगे।

उन्होंने बड़े जोश के साथ यह भी कहा कि इस प्रकार की खेती से संसार में कहीं भी अधिक उत्पादन नहीं हुआ है। यहां फिर मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सामान्य बातें कहना सही नहीं है। मैं उन्हें ऐसे दृष्टान्त दे सकता हूं जहां यह सफल रही है, परन्तु उसे छोड़िये। वह उदाहरण देते हैं कि यूगोस्लाविया और पोलैण्ड में क्या हुआ; वहां सामूहिक खेती को छोड़ देना पड़ा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

परन्तु यहां फिर वह देखेंगे कि उन्होंने दो सर्वथा भिन्न बातों को मिला दिया । उन्होंने एक का उदाहरण दिया और उसे दूसरे पर लागू कर दिया । यह तर्क का विचित्र ढंग है । पहले वह कहते हैं कि हमने जिस प्रकार की संयुक्त कृषि का प्रस्ताव किया है वह सामूहिक कृषि है और फिर वह कहते हैं कि सामूहिक कृषि कहीं अन्यत्र असफल रही है और इसलिए संयुक्त कृषि यहां भी असफल रहेगी । इससे पता लगता है कि उनके विचारों में कितनी अस्पष्टता है, चाहे वह अस्पष्टता अचेतन हो अथवा चेतन ।

मैं यहां कोई यूगोस्लाविया अथवा पोलैण्ड अथवा सोवियत संघ अथवा चीन की बात तो नहीं कर रहा हूं । मैं दूसरे देशों में होने वाली बहुत सी बातों को पसंद नहीं करता और कई बातें पसंद भी करता हूं । कभी-कभी कोई व्यक्ति किसी प्रसंग विशेष में अपना मत प्रकट करता है, परन्तु मैं सदा वैसा करने में संकोच करता हूं क्योंकि जब तक कोई बहुत ऊंचे सिद्धान्त का मामला न हो मैं वास्तव में अपने को अन्य देशों का निर्णय करने में समर्थ नहीं समझता हूं । मुझे समस्त तथ्यों, परिस्थितियों और प्रसंग की जानकारी नहीं है और किसी समाचारपत्र अथवा किसी प्रतिवेदन में प्रकाशित होने वाले कुछ तथ्यों के आधार पर निर्णय करना पर्याप्त नहीं है । मैं दूसरे देशों के लोगों से भी यह नहीं चाहता कि वह कुछ इधर उधर के तथ्यों के आधार पर हमारे देश के सम्बन्ध में निर्णय करने की गलती करें । इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, सोवियत संघ अथवा चीन में ठीक काम हो रहा है या नहीं । वही लोग सही जानकारी रखते हैं ।

परन्तु हमें भारत में जिस स्थिति का सामना करना है वह यह है कि औसतन यहां खेत बहुत छोटे-छोटे हैं । भारत का औसत शायद एक या दो एकड़ होगा । बहुत से लोगों के पास तो एक एकड़ भूमि भी नहीं है । आप उसका क्या करेंगे ? यदि औसत खेत २० एकड़ या ५० एकड़ हो, तो सर्वथा भिन्न स्थिति होगी । तब हमें दूसरी तरह सोचना होगा । मुझे संयुक्त कृषि अथवा किसी अन्य चीज का उसके नाम के कारण कोई आकर्षण नहीं है । आपको वहां काम करने, भूमि को सुधारने का मौका मिलता है । परन्तु वह व्यक्ति क्या कर सकता है जिसके पास कुल एक एकड़ के लगभग भूमि हो जैसी कि भारत में अधिकांश लोगों की स्थिति है ? निस्संदेह, वह उसका सुधार कर सकता है । और, जैसा कि श्री मसानी ने हमें बताया, हम उसे अच्छे बीज दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उर्वरक दे सकते हैं और अन्य औजार दे सकते हैं । निश्चय ही हम धीरे-धीरे ये चीजें उसे दे सकते हैं और ये चीजे, जैसे भी हो, दी भी जानी चाहिए । पर इन चीजों को दिये जाने पर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो छोटे-छोटे खेतों में संभव नहीं हो सकतीं । कुछ सुधार ऐसे हैं जिनका लाभ तभी हो सकता है जब खेतों का आकार काफी बड़ा हो । एक एकड़ भूमि का मालिक सदा गरीबी की हालत में रहेगा । यदि किसी फसल में पैदावार अच्छी हो गई तो उसे खोने को थोड़ा ज्यादा मिल जायेगा परन्तु फिर वह ढिलाई कर देगा । उसका भविष्य अनिश्चित रहता है । यह ठीक है कि इस समय बहुत से लोग भूमि पर अवलम्बित हैं और उन्हें अन्य व्यवसायों, अर्थात् उद्योग में लगाया जाना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो, बीच के आकार का हो अथवा छोटे पैमाने का । परन्तु उन्हें भूमि से हटाकर उसका भार कम करना होगा । यह सही है, और हमें अधिकाधिक उत्पादन में सहायता देने के लिए प्रत्येक कार्य करना है । परन्तु मेरा निवेदन है कि भारत की परिस्थितियों में संयुक्त कृषि ही सही लक्ष्य है, चाहे हम सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उसे देखें अथवा अन्यथा ।

यहां फिर इसका तात्पर्य सहमति से है, अन्यथा नहीं और, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त, यदि आप व्यवहारिक तौर पर भी इस की परीक्षा करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे । मैं भली प्रकार जानता हूं कि किसान कट्टर होते हैं और यदि मैं चाहूं कि वे अपनी आदत बदलें तो

सरलता से वैसा नहीं हो सकता। मुझे उनके समक्ष सफलता के उदाहरण रखने होंगे, सैद्धान्तिक भाषण मात्र नहीं। यदि मैं उनसे कहूं कि उसके पड़ोसी को इसमें सफलता हो रही है तो उन्हें अन्य किसी भी चीज़ की अपेक्षा अधिक विश्वास होगा। इसलिए अन्ततः यह प्रश्न भारत के किसानों पर निर्भर है, मुझ पर या श्री मसानी पर नहीं। उन्हें किसी काम के लिए सहमत कराने के लिए भरसक प्रयत्न करने होंगे।

परन्तु इस बीच में जब हम कहते हैं कि अगले तीन वर्ष तक हमें सेवा सहकारिता समितियों पर ज़ोर देना चाहिए उससे स्वयं मालूम होता है कि हम जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी सेवा सहकारिता समितियां बनानी चाहिए। संसद् द्वारा कोई अधिनियम पारित होने नहीं जा रहा है। यदि वे स्वयं उसे बदलना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? मैं पूछता हूं कि यदि आज कोई सहकारी समिति यह निर्णय करे कि वह संयुक्त खेती करेगी तो उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई नहीं रोक सकता। बल का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी नये कानून का कोई प्रश्न ही नहीं है। सहकारी समिति स्वयं उसके करने का निर्णय करती है। वास्तव में उनमें से अनेक ऐसा कर चुकी हैं। इसलिए मैं इस बात को ठीक नहीं समझता। सहकारी कृषि के विषय की चर्चा की जा सकती है कि उसमें लाभ है या नहीं। आप यह भी कह सकते हैं कि वह गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है, चावल की खेती के लिए उतनी नहीं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए—मैं यह समझता हूं। परन्तु मुझे जिस बात से आश्चर्य हुआ वह है श्री मसानी का भयानक दृष्टिकोण। श्री मसानी कृषि के सम्बन्ध में मुझ से भी कम जानकारी रखते हैं। मेरा अपने राज्य के किसानों के साथ कई वर्ष तक सम्पर्क रहा है, इससे अधिक जानकारी का दावा मैं भी नहीं करता। मैंने यह अनुभव किया कि उनकी उस प्रतिक्रिया का संयुक्त कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं था। वह किसी वस्तु के, किसी भय के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी जो इसके पीछे है। भविष्य में क्या होगा, यह न मैं जानता हूं और न श्री मसानी। परन्तु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि संसार में और भारत में ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे देश के रूप को बदल रही हैं और उसे बहुत अधिक बदल देंगी। हम पुरानी परम्पराओं को अधिक नहीं चला सकते चाहे वह भूमि के सम्बन्ध में हों अथवा उद्योग के अथवा अन्य किसी चीज़ के। हमारे सामने भारत की ४० करोड़ जनता को आगे बढ़ाने की बड़ी समस्या है और इसके लिये अपनी यात्रा के दौरान हमें अनेक परिवर्तनों से गुजरना होगा।

संयुक्त कृषि के सम्बन्ध में मैं सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। मैं छोटी-छोटी ग्राम सहकारिता समितियों के आंकड़े दे रहा हूं, संयुक्त कृषि के नहीं, १९५०-५१ के अन्त में इन समितियों की संख्या १,१६,००० थी। १९५६-५७ के अन्त में यह संख्या १,५९,००० थी। १९५८-५९ के अन्त में यह संख्या १,७९,००० थी। ये ग्राम समितियां हैं, बड़ी समितियां नहीं। ग्राम सहकारिता समितियों की सदस्यता १९५०-५१ में ५१½ लाख, १९५६-५७ में ९१ लाख और १९५७-५८ में ११० लाख थी और १९५८-५९ का अनुमान १३८ लाख है।

अब बड़ी-बड़ी सहकारी समितियों को लीजिए। उनकी संख्या १९५६-५७ के अन्त में १,९१५ और १९५७-५८ में ४,५२९ थी और १९५८-५९ में ६,३१८ है।

फिर, माननीय सदस्य शायद इन सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ग्रामीण ऋण की राशि जानना चाहें। ग्रामीण ऋण का ८० प्रतिशत ग्राम सहकारी समितियों द्वारा दिया गया था। बड़ी समितियों ने केवल २० प्रतिशत दिया। १९५०–५१ में यह राशि २२.९ करोड़ रुपये थी, १९५५-५६ में ४९.६२ करोड़ रुपये, १९५६–५७ में ६३.३३ करोड़ रुपये, १९५७–५८ में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

९६ करोड़ रुपये और १९५८–५९ में १३० करोड़ रुपये । इस सब से मालूम होता है कि सहकारी समितियों ने, विशेषकर छोटी समितियों ने, ठोस प्रगति की है, हालांकि मैं इस राशि को बहुत बड़ा नहीं कहता ।

†**आचार्य कृपलानी** (सीतामढ़ी) : ये ऋण समितियां हैं अथवा सेवा समितियां ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुप्रयोजनीय ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इनमें से बहुत सी ऋण समितियां हैं, परन्तु इन दिनों हम प्रत्येक समिति को बहुप्रयोजनीय बनाने का प्रयत्न करते हैं । इनमें सब प्रकार की समितियां सम्मिलित हैं।

जहां तक संयुक्त सहकारी कृषि का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन के अनुसार १९५७–५८ के अन्त में भारत में २,०२० सहकारी समितियां थीं । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि 'सहकारी कृषि' (कोऑपरेटिव फार्मिंग) शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ अनिश्चित अर्थ में किया जाता रहा है। कभी-कभी भूमि समिति की होती है, स्वामित्व समिति का होता है, परन्तु फिर भी खेती कुछ मामलों में अलग-अलग व्यक्ति के आधार पर होती है । यदि इस प्रकार की सहकारिता समितियों को सम्मिलित न किया जाये, अर्थात् उन समितियों को सम्मिलित न किया जाये जिनमें खेती वैयक्तिक आधार पर होती है, तो संयुक्त और सामूहिक कृषि समितियों की संख्या, जिनमें खेती संयुक्त रूप से की जाती है, १३५७ है, जिनमें ९६६ संयुक्त कृषि समितियां (ज्वाइंट फार्मिंग सोसाइटीज़) हैं और ३९१ सामूहिक कृषि समितियां (कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटीज़) । ये वर्तमान आंकड़े हैं।

यह सच है, और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनमें से कुछ समितियों का निर्माण भूमि सुधार विधान से बचने के लिए किया गया था ।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : इस 'सामूहिक कृषि' (कलेक्टिव फार्मिंग) से क्या मतलब है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास एक प्रतिवेदन है, जिसमें इनमे से प्रत्येक सामूहिक समिति की चर्चा पृथक रूप से की गई है । उनमें अन्तर है । परन्तु मोटे तौर से मैं यह समझता हूं कि जहां उन्होंने 'सामूहिक' (कलेक्टिव) शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ यह है कि भूमि पर सम्मिलित स्वामित्व है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का पृथक भाग नहीं है । मैं इसे ऐसा ही समझता हूं ।

मैं यह नहीं कहता कि ये समस्त १३०० के लगभग समितियां बहुत अच्छी अथवा सफल अथवा संयुक्त कृषि की आदर्श हैं । परन्तु प्रत्येक राज्य में सफल संयुक्त कृषि समितियों के उदाहरण मौजूद हैं । उनका जन्म गत दो या तीन वर्षों में हुआ है और उनका जन्म वास्तव में किसी के अत्यधिक दबाव से नहीं हुआ वरन विभिन्न कारणों से किसानों ने ही वैसा करने का निश्चय किया । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन* का "सहकारी कृषि का अध्ययन"** पर एक प्रतिवेदन है जो ढाई वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था । उसमें इन समस्त समितियों पर पृथक रूप से विचार एवं उनका मूल्यांकन किया गया है । अब योजना आयोग द्वारा और आगे अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Programme Evaluation Organisation.

**Studies in Cooperative Farming.

भूमि की अधिकतम सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई है । इस प्रश्न पर सदन म नहीं वरन् बाहर—अनेक वर्षों से कांग्रेस संगठन में और योजना आयोग में—विचार किया जाता रहा है । माननीय सदस्य जानते हैं कि योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदनों और पंच वर्षीय योजनाओं में इसकी बार-बार सिफारिश की है । वास्तव में कुछ राज्य इस पर कार्यवाही शुरू भी कर चुके हैं ।

सब से पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी कृषि अथवा अधिकतम सीमाओं सम्बन्धी ये निर्णय किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क से अचानक नहीं निकले हैं । इन चीज़ों पर कई वर्षों तक विचार हो चुका है । इस मामले में हमारी अत्यधिक धीमी गति के लिए जो हमारी आलोचना की गई है वह संभवतः ठीक ही है । फिर भी इन विषयों पर विचार किया गया है; विशेष समितियां नियुक्त की गई थीं जिनमें न केवल कांग्रेस के ही सदस्य थे वरन् बाहर के विख्यात अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने ये सिफारिशें कीं जिन पर पुनः चर्चा की गई । इस तरह जो निर्णय किये गये, वे, प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर पर्याप्त चर्चा और विचार करने के बाद ही किये गये हैं ।

एक बात मैं श्री मसानी के भाषण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । उन्होंने कहा कि क्या सहकारिता और लक्ष्यों की बात करना व्यर्थ नहीं है ? मैं उनके इस प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझा सका । हम लक्ष्यों के साथ सहकारिता क्यों नहीं रख सकते ?

†**श्री मी० रु० मसानी:** श्री गोमुल्का ने सिद्ध कर दिया है कि यदि आप स्वेच्छा से काम करवाना चाहते हैं तो लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकते क्योंकि वैसा करना मानवीय चेतना के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित करने के समान होगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य श्री गोमुल्का की आड़ में बचना चाहते हैं; श्री गोमुल्का एक विख्यात व्यक्ति हैं, परन्तु फिर भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सामान्य ज्ञान का अधिक आश्रय लें । यदि मुझ से पूछा जाये कि आप भारतीय किसान की राजनैतिक, आर्थिक अथवा अन्य चेतना के विकास की क्या आशा करते हैं तो मैं उसका लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकता हूं । यह सर्वथा सत्य है परन्तु एक खेत के उत्पादन का लक्ष्य मैं निश्चय रूप से निर्धारित कर सकता हूं । मैं उसे प्राप्त न कर सकूं यह एक भिन्न मामला है परन्तु यह बात बहुत साधारण है जो की जा सकती है ।

वास्तव में यह चीज़ एक व्यक्ति के खेत पर लागू होती है । सहकारिता को छोड़िये; हम १० एकड़ या कितने भी एकड़ के खेत का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं या नहीं ? मैं यह नहीं कहता कि कि लक्ष्य बिल्कुल सही हो जो अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए । परन्तु उसका निर्धारण हिसाब लगाने के पश्चात् ही किया जाता है और २० प्रतिशत या ३० प्रतिशत अधिक, चाहे जो भी हो, लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है । यदि हम एक व्यक्ति के खेत के सम्बन्ध में वैसा निर्धारण कर सकते हैं तो १० या २० खेतों को मिला कर वैसा क्यों नहीं कर सकते और उसे सहकारिता समिति क्यों नहीं कह सकते ? मैं यह नहीं समझता । अन्यथा हमें यह कहना चाहिए कि हम किसी भी भूमि के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित कर ही नहीं सकते कि उसमें कितना उत्पादन होगा । यह एक अत्यन्त असाधारण बात होगी जो समस्त वैज्ञानिक, सांख्यकीय और हर प्रकार के दृष्टिकोण के प्रतिकूल होगी ।

†**श्री मी० रु० मसानी :** मेरा तात्पर्य उन ३००० सहकारी फार्मों के लक्ष्य से था जिनका निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक किया जाना है तथा जिनमें से ६०० का निर्माण वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के अन्त तक अवश्य हो जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** यह एक आयोजन का प्रश्न है। मेरे विचार से इस समय संसार में किसी भी क्षेत्र में पूंजीवादी, समाजवादी, एवं साम्यवादी कोई ऐसा नहीं है जो आयोजन में विश्वास न करता हो। आयोजन सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, यह ठीक है। परन्तु जैसे ही आयोजन का विषय आता है लक्ष्य आवश्यक हो जाते हैं, वे प्राप्य हों चाहे न हों।

उदाहरणार्थ मैं माननीय सदस्य से यह कह सकता हूं कि किसी विवाहित युगल की अगली सन्तान के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह पुत्र होगा या पुत्री। परन्तु आंकड़ों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि भारत में इतने लड़के और इतनी लड़कियां होने की सम्भावना है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आप पूर्णतः अनिश्चित हैं। इसलिये लक्ष्य यह जानने के लिए निर्धारित किए जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। उसमें कुछ हिसाब लगाना होता है कि अच्छे उर्वरकों, अच्छे बीजों अथवा खादों के प्रयोग और अधिक श्रम लगाने से कितना उत्पादन हो सकता है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है यद्यपि वह बिल्कुल सही न हो। परन्तु जब बड़ी संख्या होती है तो गलतियां कम हो जाती हैं।

जब आचार्य कृपालानी सदन में अथवा कहीं बाहर भाषण करते हैं तो उनकी बात सम्मानपूर्वक सुनी जानी चाहिये क्योंकि वह न केवल हमारे एक अत्यधिक सम्मानित वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ हैं वरन् हमारे एक प्रिय साथी रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अब भी हैं। आचार्य कृपलानी ने कहा कि मैंने सहयोग के लिए अपीलें की थीं परन्तु इस प्रकार की अपील का कोई विशेष महत्व नहीं था। क्योंकि वह अपील परामर्श के स्तर पर सहयोग के लिये थी, किसी कार्य को क्रियान्वित करने के स्तर पर नहीं। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों से उन नीतियों के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए नहीं कहा जा सकता जिनके कार्यान्वियन में उनका कोई भाग नहीं है। इसलिये उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय सरकार बनना चाहिए। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह बात वह स्वयं अपनी ओर से कह रहे हैं, अपने दल की ओर से नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ परिस्थितियों में एक राष्ट्रीय सरकार ही वांछनीय होती है क्योंकि अन्ततः जब हम इन बड़ी समस्याओं पर विचार करते हैं तो कोई भी व्यक्ति केवल दलीय आधार पर सोचने का संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखेगा। हमें बड़े बड़े कार्य करने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है और अब इस सदन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने और हल निकालने का विशेषाधिकार रहा है। इसलिये हमें वह तरीका अपनाना चाहिये जो हमें दूरतम ले जा सके। यही एकमात्र कसौटी है।

परन्तु जब मैं आचार्य कृपालानी के राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव पर विचार करता हूं तो मेरे मस्तिष्क में राष्ट्रीय सरकार का तात्पर्य और रूप सर्वथा स्पष्ट नहीं होता कि वह कैसी राष्ट्रीय सरकार चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपने भाषण के दौरान प्रजा सोशलिस्ट दल के सम्बंध में चर्चा करते हुए कहा कि उसकी निर्धारित नीति के अनुसार वह कांग्रेस अथवा सरकार के साथ राजनैतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं कर सकती। फिर, सम्भवतः राष्ट्रीय सरकार का तात्पर्य विभिन्न दलों की सरकार से है। कौन से दल ? इस सदन में बहुमत दल के अतिरिक्त तीन या चार बड़े दल हैं और कुछ स्वतन्त्र सदस्य हैं जो किसी भी दल में नहीं हैं। जो विरोधी पक्ष में हैं वे एक ठोस मोर्चा बना सकते हैं जैसा कि वे कभी कभी सरकार के विरुद्ध करते हैं परन्तु यह बात भली प्रकार ज्ञात है कि विरोधी पक्ष के विभिन्न दलों में गहरे मतभेद हैं और सम्भवतः उनके लिए एक साथ मिलकर काम करना वर्तमान सरकार के इनमें से किसी एक दल से मिल कर काम करने से भी अधिक कठिन होगा। इसलिये ये सारी कठिनाइयां सामने आती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे सामने जो बड़े-बड़े कार्य हैं, उनके लिए हमें काम करना होगा। चाहे आयोजन का कार्य हो या योजना को सफल बनाने का कार्य, यदि पूर्णतः नहीं तो कुछ सीमा तक उसके लिये संगठित प्रयत्न की आवश्यकता है, पर यदि समस्या को सुलझाने के दृष्टिकोण में आधारभूत मत-भिन्नता होगी, तो इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक दल दूसरे दल के मार्ग में बाधक बनेगा और कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलेगा। आचार्य कृपालानी सोचते हैं कि हमारे सामने जब गम्भीर समस्यायें आयेंगी, तो सभी लोग उन पर समुचित दृष्टिकोण से विचार करेंगे और मोटे तौर पर उनके हल के सम्बन्ध में सहमत हो जायेंगे। पर वास्तव में, ऐसा नहीं होता। उन राजनैतिक व्यक्तियों को छोड़ दीजिए जो ईमानदार नहीं है, ईमानदार व्यक्तियों से भी राजनीति में बड़ा मतभेद होता है। उदाहरण के लिये, यदि श्री मसानी हमारी सरकार में हों, तो आप समझिये क्या स्थिति होगी! यदि हम एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार करें, तो कुछ हद तक हम एक दूसरे को अपने विचारों के अनुकूल परिवर्तित करने या किसी विशेष दिशा की ओर जाने से रोकने का प्रयत्न कर सकेंगे। अतः समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रकार के सम्मिलित दृष्टिकोण और प्रयत्न की आवश्यकता है। यह सम्मिलित दृष्टिकोण या प्रयत्न संसद्, योजना आयोग तथा अन्य स्थानों पर उत्पन्न किया जाता है।

यदि राष्ट्रीय सरकार बनाने का समय आयेगा या लोग राष्ट्रीय सरकार चाहेंगे तो हम राष्ट्रीय सरकार बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूं। मैं नहीं समझता कि यह राष्ट्रीय सरकार कैसी होगी? क्या उसका मतलब यह होगा कि इस सभा के सभी दल एक साथ मिल कर काम करेंगे? मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप ऐसा कादापि नहीं होगा। क्योंकि कुछ दल एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि उनको साथ लाने के लिए कोई भी सम्मिलित आधार नहीं है।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं बताना चाहता हूं कि स्वयं कांग्रेस दल में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कुछ मुख्य नीतियों के सम्बन्ध में जितना अधिक मतभेद है उतना इस तरफ के लोगों में नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आचार्य कृपालानी का कहना बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था में कई प्रकार के मतभेद हैं। पर देश के विभिन्न भागों में जो मतभेद है उसके बारे में मुझे बताने से कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीति का निर्माण धीरे-धीरे होता है; इन मतभेदों के कारण नयी नीति बनाने या पुरानी नीतियों में परिवर्तन करने में काफी समय लग जाता है। यह ठीक है, पर एक बार जब कोई नीति निर्धारित कर दी जाती है, तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं? यदि सिद्धान्त के आधार पर कोई व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो मतभेद पैदा होता है और उस व्यक्ति को संस्था छोड़ देना पड़ता है। आचार्य कृपालानी अच्छी प्रकार जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास ऐसा ही रहा है। इस विषय पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यह बताना चाहता था कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आचार्य कृपालानी जानते हैं कि इस सभा में जितने भी दल और समूह हैं उनमें उनका दल, जहां तक राष्ट्रीय नीति का सम्बन्ध है, अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस के अधिक निकट है यहां एक दल है जिसके सदस्यों की संख्या थोड़ी ही है और जिसने हमेशा अवज्ञा या सत्याग्रह आदि करने की नीति निर्धारित कर रखी है। उदाहरण के लिये कलकत्ते शहर को लीजिए। कलकत्ते को जलूसों का शहर कहा जाना चाहिये। जलूस निकालने के लिये कोई बहाना ढूंढ़ लेना बहुत आसान काम है। पर मुझे बताया गया है कि बिना किसी कारण के भी वहां जलूस निकला करते हैं। गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में अभी हाल में उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह हुआ—उसके कारणों आदि का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता—

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का रवैया और इस प्रकार के दृष्टिकोण हमारी परिस्थिति से मेल नहीं खाते। मै आचार्य कृपालानी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरेक काम समय आने पर ही होता है। मैं समझता हूं कि सरकारी सहयोग के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सहयोग के लिये इस समय अनेक सम्भावनायें हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज़ असम्भव है, क्योंकि हमें यदि कुछ करना है तो उसके लिए समुचित आधार निर्मित करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई बनावटी स्थिति पैदा नहीं कर सकते।

सर्वप्रथम आयोजन की बात लीजिए, यह सब से महत्वपूर्ण प्रक्रम है। जहां तक कार्यान्विति का संबंध है, इस की देखभाल का काम सरकार पर है, पर अन्ततः कार्यान्विति का कार्य अनेक सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतः आयोजन स्तर पर तथा कार्यान्विति के अन्य विभिन्न स्तरों पर हम सहयोग कर सकते हैं। सामुदायिक विकास खंडों को लीजिये।

†**श्री पु० र० पटेल** : जिला स्तर पर सारा एकाधिकार कांग्रेस के लोगों के हाथों में होता है। अन्य लोगों का सहयोग नहीं लिया जाता। हम कैसे कह सकते हैं कि अन्य लोगों का सहयोग लिया जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने जिला स्तर की बात नहीं कही। पर यदि जिला स्तर पर सहयोग नहीं लिया जाता तो यह बुरी बात है और वहां भी सहयोग लिया जाना चाहिए। जिला स्तर पर सहयोग लेने की बात का अर्थ मैं नहीं समझ सका। सामुदायिक विकास खण्डों, पंचायतों तथा सहकारी समितियों में सहयोग किया जा सकता है। जहां तक सहयोग का प्रश्न है श्री मसानी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन में जब तक बहुत आवश्यक न हो, सरकारी दबाव की कौन कहे सरकारी मार्ग दर्शन भी न दिया जाये। हम उन्हें आत्मनिर्भर संस्थायें बनाना चाहते हैं। यदि हम उच्च स्तर पर मिल जुल कर कार्य करने का प्रयत्न करें—आयोजन तथा उसके विभिन्न स्तरों पर—तो सहयोग बढ़ेगा और आगे चल कर उसकी और भी वृद्धि होगी।

मैंने सभा का काफी समय ले लिया है। पर बेरूबाड़ी यूनियन के संबंध में बात करते समय कल श्री घोष ने जो जानकारी मांगी थी, उसके संबंध में भी मैं कुछ बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जनता की जो भावना होती है उसकी गहराई को हम अनुभव करते हैं। फिर बंगाल में ऐसी भावना का पैदा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इस मामले पर हम संवैधानिक, कानूनी तथा अन्य दृष्टिकोणों से फिर विचार करवायेंगे। इस मामले में माननीय सदस्य ने राज्य सरकार से परामर्श करने की जो बात कही थी, उसके संबंध में मेरे सामने कठिनाई है क्योंकि मैं देखता हूं कि अन्य स्थानों पर इस संबंध में जो विचार प्रकट किये गये हैं, मेरे विचार उन विचारों से भिन्न हैं। मैं यह नहीं कहता कि अमुक व्यक्ति ने भी जानबूझ कर अमुक बात कही है और वह सही नहीं है। पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इस मामले के संबंध में काफी गलतफहमी है। ऐसे मामले में यह बात असंभव है कि सम्बद्ध सरकार के प्रतिनिधियों की सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी निश्चय कर ले।

†मूल अंग्रेज़ी में

इस मामले के संबंध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता । माननीय सदस्य ने इस संबंध में कुछ आंकड़े मांगे थे । पहले किये गये करारों तथा बागे पंचाट के अनुसार १५ जनवरी को कुछ क्षेत्रों का विनिमय किया गया । २६.४ वर्गमील का क्षेत्र जो भारत के अधीन था पाकिस्तान को दिया गया । और १३.२ वर्ग मील का क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधीन था भारत को मिला । यह विनिमय हो चुका है ।

कूच-बिहार की बस्तियों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भारत के अधीन २९ वर्गमील का क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाना है और १८ वर्गमील का क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधीन है भारत को प्राप्त होना है । जहां तक बेरुबाड़ी यूनियन का संबंध है यहां ४.३ वर्गमील का क्षेत्र है और लगभग आधे वर्गमील का क्षेत्र २४ परगने में है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बागे न्यायाधिकरण के सामने पाकिस्तान ने बेरुबाड़ी के मामले को विवाद के रूप में उठाया था और यदि पाकिस्तान ने उस समय इस मामले को विवाद के रूप में नहीं उठाया था तो बाद में इस मामले को विवाद के रूप में क्यों उठाया गया या हमारी सरकार ने इस मामले को विवाद के रूप में क्यों स्वीकार किया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले को बागे न्यायाधिकरण के सामने नहीं उठाया गया था । यह बात सच है । बाद में इस विवाद को बार-बार उठाया गया और सच पूछा जाये तो बाद में सीमा संबंधी जो झगड़े पैदा हुए वे इसी विवाद के फलस्वरूप हुए हैं । इस विषय पर सभा को पूरी तरह से विचार करने का अवसर आगे प्राप्त होगा ।

मैं अनेक मामलों की चर्चा कर चुका हूं और अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य-मुख्य बातों, अर्थात्, आयोजन, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पिछली सफलताओं तथा आगे के लक्ष्यों को लूंगा । मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों से जो त्रुटियां हुई हैं और हमारे सामने—प्राकृतिक तथा अन्य—जो भी विपत्तियां आई हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा, उनके होते हुये भी गत कुछ वर्षों में उत्पादन आदि में जो प्रगति हुई है वह काफी अच्छी रही है । उत्पादन के संबंध में मेरा कहना है कि कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में—क्योंकि ये दोनों मूल आधार हैं जिन पर अन्य बातें निर्भर करती हैं—उत्पादन में काफी उन्नति हुई है । मैं यह नहीं कहता कि हमें केवल इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना है । हमारे सामने सब से बड़ी बात यह है कि यदि हमारे उत्पादन में २ प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि होती रहे तो हम अपनी स्थिति को वर्तमान जैसा ही बनाये रख सकते हैं । अतः २ प्रतिशत से अधिक होने वाली उन्नति को ही हम वास्तविक उन्नति कह सकते हैं । मैं विश्वास करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी उन्नति लगभग ६ प्रतिशत वार्षिक रही है यद्यपि गत दो वर्षों में उन्नति कुछ कम हुई है पर यदि आप सम्पूर्ण काल का सिंहावलोकन करें तो आप देखेंगे कि कुल उन्नति ६ प्रतिशत से कम नहीं रही है । गत दो वर्षों में उत्पादन कम रहा है विशेषतया कृषि का । मूल बात यह है कि हमें कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में लगभग ६ प्रतिशत वार्षिक के आधार पर उन्नति करनी है ।

उद्योग के सम्बन्ध में, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आपने कितनी पूंजी लगाई है और उसके बदले में आप को कितना लाभ मिला है, कोई भी व्यक्ति हमारी उन्नति का अनुमान लगा सकता है । कृषि के संबंध में ऐसा ठीक ठीक अनुमान लगाना कुछ कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

फिर भी हमारी वर्तमान फसल के अच्छे होने को छोड़ कर अन्य लक्षणों से भी यह पता लगता है कि भूतकाल में हम ने जो परिश्रम किया है उसका फल हमें अब मिल रहा है। अन्य बतों के साथ साथ कृषि संबंधी उत्पादन बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास आन्दोलन में और भी अधिक तेजी लाई गई है और उसके अच्छे परिणाम हो रहे हैं । इन सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे राज्यों के राज्य कृषि विभाग इस बात के प्रति पूर्णतः सजग हो गये हैं कि उन्हें क्या कार्य करना है, जिसके सम्बन्ध में पहले वे शायद इतने सजग नहीं थे । अतः स्पष्ट है कि आगे प्रगति करने के लिये हमें कुछ प्रयत्न करने होंगे। यद्यपि प्रयत्नों के ब्योरों के संबंध में हम में मतभेद हो सकता है पर यदि हम प्रयत्नों में कमी करेंगे तो प्रगति करने की कौन कहे हम वहीं के वहीं रहेंगे जहां हम हैं ।

संसाधन भारत में हैं ही । पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह निश्चित है कि हम उनके विकास के लिए प्रयत्न करेंगे पर स्पष्ट है कि इन कामों के लिए महान प्रयत्न की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि श्री खाड़िलकर ने एक नये दृष्टिकोण की बात कही थी। प्रश्न यह नहीं है कि उसी कार्य को अधिक प्रयत्न से किया जाये बल्कि प्रश्न यह है कि उस कार्य को एक नये दृष्टिकोण से किया जाये। और केवल उद्योग में ही नहीं कृषि में भी इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। कृषि के संबंध में इस नवीन दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ही कांग्रेस ने इस विषय में संकल्प पारित किये थे।

अब मैं तथाकथित सरकारी क्षेत्र के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कभी कभी मैंने गैर-सरकारी क्षेत्र की आलोचना की है—वास्तव में गैर-सरकारी क्षेत्र की नहीं, बल्कि कुछ व्यक्तियों की जिन्होंने कहा कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से बोल रहे हैं । कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो— गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए वे जो कुछ करते हैं उसके होते हुये भी— गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए विशेष लाभदायक नहीं है । वे अपने भाषणों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध एक द्वेषपूर्ण भावना पैदा करते हैं । अपने कार्यों द्वारा कभी कभी वे जनता पर बिल्कुल उल्टा प्रभाव डालते हैं। हमारे देश में भाषण देने की स्वतंत्रता है, चाहे भाषण तर्कपूर्ण और विद्वतापूर्ण हो या न हो । पर मैं समझता हूं कि कुछ लोग हर बात को इस कसौटी पर रख कर देखते हैं कि अमुक चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है या अमुक चीज का राष्ट्रीयकरण किया जाने वाला है । मैं समझता हूं कि इन समस्याओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण अपरिपक्क हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

कुछ और चीजों का राष्ट्रीयकरण करना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी । राष्ट्रीयकरण किया जाना या न किया जाना स्वयं उन चीजों पर निर्भर होता है। पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना उत्पादन बढ़ायें और ऐसे ढंग से बढ़ायें कि एकाधिकारवादी नियंत्रण कम हो और धीरे धीरे एक शक्तिशाली समाजवादी आधार का निर्माण हो । यह कहना गलत है कि कोई विदेशी सरकार हमें कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है । हम किसी बात पर सहमत हो जायें यह एक दूसरी बात है। इस बात का निर्णय तो हम स्वयं करते हैं कि अमुक बात से हम सहमत हों या न हों । यह कहना कि गैर-सरकारी क्षेत्र हम पर दबाव डालता है, सच नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र का महत्व है पर वह सरकार को अपनी नीति से डिगा नहीं सकता। मैं समझता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र

इस बात को काफी मात्रा में महसूस करता है—यह बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं पर मोटे तौर से उनमें से अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं । यद्यपि मैं ने उनकी कटु आलोचना भी की है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनमें से अधिकांश ने सरकार के साथ सहयोग करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है ।

यदि हम गैर-सरकारी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते हैं तो इससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा । जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मैं महसूस करता हूं कि भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है और वह बहुत कुछ कर सकता है । मैं समझता हूं कि इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र को बाहर ढकेल देना बिल्कुल गलत, हानिकारक तथा घातक होगा और आगे काफी समय तक भी ऐसा करना गलत होगा पर मैं नहीं चाहता कि गैर-सरकारी क्षेत्र का देश की अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का सर्व-प्रमुख स्थान हो । मैं चाहता हूं कि इसकी जो बुराइयां हैं उन पर नियंत्रण किया जाये क्योंकि बुराइयां मौजूद हैं । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की एकाधिकारवादिता को प्रोत्साहन न दिया जाये बल्कि निरुत्साहित किया जाये और योजना आयोग की मोटी योजना यही है ।

अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण आज का महत्वपूर्ण विषय है । दूसरी योजना के शेष दो वर्षों के सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण अपनाया गया है और स्पष्ट है कि भविष्य में यही दृष्टिकोण अपनाया जायेगा । इसलिए अनेक मामलों में, खासकर इस मामले में काफी परामर्श की आवश्यकता है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी तीसरी योजना किस प्रकार की हो, क्योंकि देश की, योजना आयोग की तथा इस सभा की मूल विचार धारा इस पर निर्भर है । साथ ही, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोई अनेक परियोजनाओं के संग्रह या आयोजन करने की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो कहीं गंभीर बात है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सहकारिता पर प्रधान मंत्री ने जो विचार रखे हैं, उसके बारे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि सहकारिता का कार्य स्वेच्छा के आधार पर होगा । मैं देखता हूं कि मेरे राज्य बिहार में चकबन्दी अधिनियम है और वहां अनिवार्य रूप से चकबन्दी करने का, बिना किसी सफलता के, प्रत्यन किया गया और कम से कम दक्षिणी बिहार में उसको वापस ले लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य स्वेच्छा के आधार पर क्यों नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि किसी गांव में संयुक्त कृषि की व्यवस्था है तो चकबन्दी की आवश्यकता नहीं है पर चूंकि संयुक्त कृषि प्रणाली तुरन्त ही लागू नहीं की जा रही है अतः चकबन्दी का होना महत्वपूर्ण है । चकबन्दी के काम को आगे बढ़ाना अत्यावश्यक है । इससे लाभ होगा । चकबन्दी अनिवार्य होनी चाहिए क्योंकि . . . .

†**श्री जयपाल सिंह :** पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह एक भिन्न बात है । अनिवार्य का अर्थ है कि उसके लिये एक कानून पारित किया जाये । उसे लागू करने में सहयोग, समझदारी तथा जनता को समझा बुझा कर काम किया जाना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि चकबन्दी का अर्थ यह नहीं है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित कर दिया जाये बल्कि चकबन्दी का अभिप्राय यह है कि उसकी भूमि को उस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों की भूमि के साथ मिला दिया जाये। यह सच है कि इस काम को परस्पर सहयोग तथा सद्भावना से किया जाना चाहिए पर इसके पीछे एक विधि का होना आवश्यक है अन्यथा यह काम बिल्कुल भी नहीं हो पायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रस्ताव पर २०९ संशोधन हैं। क्या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन मतदान के लिए रखवाना चाहते हैं?

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपने संशोधन संख्या १५ पर मतविभाजन चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मध्यान भोजन काल में हम मत विभाजन नहीं करते। अतः अब यह मामला ३ बजे या साढ़े तीन बजे लिया जायेगा।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

कामगर प्रतिकर अधिनियम में अब काफ़ी समय से व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता थी अतः संशोधन सम्बन्धी बहुत से प्रस्तावों पर विचार किया गया और उनकी जांच की गई। इसमें संशोधन करने के लिये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। एक तो प्रतिकर की वर्तमान दरों में संशोधन करने दूसरा अधिनियम में दी गई मज़दूरी की अधिकतम सीमा को ४०० रु० से बढ़ाकर ५०० रुपये कर देने के बारे में हैं। इन दोनों प्रस्तावों को जीवनांकिक समिति को भेज दिया गया है ताकि वे इस बात की जांच करें कि इनका उद्योगों के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समिति ने अभी हाल ही में अपना प्रतिवेदन दिया है जिसकी जांच की जा रही है। इस विधेयक में अन्य दूसरे प्रस्ताव हैं। मैं सभी प्रस्तावों की विस्तृत चर्चा न करके संक्षेप में उनके बारे में बताऊंगा।

आजकल, एक अवयस्क को काम करते समय उसकी मृत्यु हो जाने अथवा सदैव के लिए अपंग हो जाने पर उसे एक निश्चित राशि प्रतिकर के रूप में दी जाती है जबकि एक वयस्क को, इसी प्रकार की परिस्थितियों में दिये जाने वाले प्रतिकर का प्राक्कलन उसकी मासिक मज़दूरी के आधार पर लगाया जाता है। प्रतिकर की दर जोड़ने के मामलों में यह विधेयक वयस्क तथा अवयस्क के इस भेद को दूर करता है। तथा दोनों को समान स्तर देता है।

आजकल एक कामगर को अस्थायी अपंग होने के दौरान में पहले सात दिन तक उसे कुछ नहीं दिया जाता किन्तु इस विधेयक में यह समय घटा कर सात दिन की अपेक्षा तीन दिन कर दिया गया है।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि नियोजक द्वारा एक महीने तक प्रतिकर नहीं दिया जाता तो उसे इस अवधि के पश्चात् ६ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना होगा। यदि

†मूल अंग्रेजी में

आयुक्त की दृष्टि से यह भुगतान की देर न्यायोचित नहीं हैं तो वह कामगर को दी जाने वाली राशि का ५० प्रतिशत दंड-प्रतिकर के रूप में घोषित कर सकता है। आशा है कि ये व्यवस्था शीघ्र भुगतान कराने में सहायक होगी और कामगरों को शीघ्र न मिलने वाले प्रतिकर से जो कठिनाइयां होती हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जायेगा।

प्रतिकर का दावा करने के लिए फार्म भरने का समय जो अब एक साल है उसे बढ़ा कर दो वर्ष करने का है। नाविकों तथा मास्टरों के लिए जो वर्तमान में निर्धारित समय ६ महीने का है उसे बढ़ा कर एक वर्ष किया जा रहा है तथा इनके प्रतिकर सम्बन्धी मामलों में कुछ समय की जो देरी हो जाती है उसमें कुछ छूट देने के बारे में भी इनके आयुक्त को कुछ और भी अधिकार दिये जाने वाले हैं।

नियोजकों की ओर से प्रतिवेदन आदि के देर से भेजने पर अब जो दंड की राशि १०० रु० है उसे बढ़ा कर ५०० रु० किया जा रहा है।

कामगरों तथा उनके ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही करने के लिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कामगर अथवा उन पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति लिखकर दें तो उनकी ओर से कारखानों तथा खदानों के निरीक्षक कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

एक संशोधन के द्वारा इस वधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिकर दावे के भुगतान न करने के दौरान में अथवा भुगतान के सम्बन्ध में चल रही कार्यवाही के निलम्बित समय के दौरान में यदि नियोजक अपनी आस्तियों का स्थानान्तरण करता है तो प्रतिकर दावे की राशि को उस नियोजक की आस्तियों पर भुगतान की जाने वाली राशियों में प्राथमिकता दी जायेगी।

इस अधिनियम के साथ आजकल जो तीन अनुसूचियां संलग्न हैं उनमें से एक अनुसूची उन १४ दुर्घटनाओं के बारे में है जिनके कारण एक कामगर स्थायी रूप से अपंग हो जाता है। हमारा विचार उसके स्थान पर एक अधिक व्यापक अनुसूची रखने का है जो राष्ट्रीय बीमा (औद्योगिक दुर्घटना) लाभ विनियमन, इंगलिस्तान से ली गई है।

अनुसूची २ में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो 'कामगर' कहलाये जा सकते हैं। हम इस सूची में संशोधन करके इसे और भी व्यापक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अनुसूची ३ में उन १२ व्यापार जन्य रोगों के नाम लिखे हैं जिनके अनुसार वर्तमान अधिनियम में प्रतिकर देने की व्यवस्था है। इसका भी उचित रीति से संशोधन किया जा रहा है।

अतः माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो गया होगा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान अधिनियम के क्षेत्र को व्यापक बनाना, कुछ कमियों को दूर करना, प्रतिकर भुगतान को जल्दी दिलाना, प्रक्रिया में सुधार करना, मुकद्दमेबाजी कम करना, और कामगरों को उपयुक्त समय पर प्रतिकर दावों को दिलवाने में सहायता करना है। हालांकि प्रतिकर की दरों में आम परिवर्तन करने के लिये हम ने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु फिर भी अनुसूची १ में जिन बीमारियों का उल्लेख है उनसे पीड़ित होने वाले कामगरों को वर्तमान प्रस्तावों के अनसार प्रतिकर मिलने में कुछ और भी सुविधाएं मिलने लगेंगी।

इसलिये निवेदन है कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** :(आन्तरिक मनीपुर) : मैंप्र स्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य ने उन सदस्यों से अनुमति प्राप्त कर ली है जिनके नामों का उल्लेख उन्होंने इस प्रवर समिति के लिए किया है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उस समिति में सभी वर्गों के सदस्य हों जिससे कि इस समिति का प्रतिवेदन वापस आने पर सभा उस पर भरोसा कर सके । प्रस्तावक को चाहिये कि वह सभी वर्गो को उस समिति में रखे और यदि किसी वर्ग के सदस्य उस समिति में रहना नहीं चाहते हैं तो वह बात दूसरी है अन्यथा उसको प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर :** (क्विलोन) : इस समिति में सभी वर्गों के सदस्य हैं ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** यह वर्तमान अधिनियम ३५ वर्ष पुराना है । समय समय पर इस में कुछ न कुछ संशोधन किये गये हैं । फिर भी इस में बहुत संशोधन की आवश्यकता है । इसमें अब भी बहुत सी कमियां हैं । मुझे बताया गया है कि प्रति वर्ष काम करते हुए लगभग ७०,००० कामगर दुर्घटना ग्रस्त होते हैं । अतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि भारत में उद्योगधंधे बढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक जटिल मशीनें हमारे यहां लग रही हैं और जब तक कि कामगरों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवृत्ति बढ़ेगी इसलिए प्रतिकर के मामले में अधिक से अधिक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता है ।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि नियोजकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी एक विधान बनाकर इस वर्तमान विधेयक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाये । अमरीका में विधियां ऐसी हैं कि वे न केवल नियोजकों को उनकी भूल के लिए अपितु उनके पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा की गई भूल के लिए भी उत्तरदायी ठहराती हैं । इसलिए हमारे यहां भी इस प्रतिकर विधेयक का उद्देश्य सामान्य विधि के समक्ष मुकद्मों की अनिश्चितता को कम करने तथा नियोजकों के दायित्व के अधीन कामगरों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का होना चाहिये । औद्योगिक दुर्घटनाएं आजकल उत्पादन का अंग मानी गई हैं अत उन पर होने वाला व्यय (उनका मूल्य) उत्पादन मूल्य पर डालना ही ठीक है ।

सामाजिक सुरक्षा विधि के अंतिम विकास को देखते हुए हमारी यह विधि अपर्याप्त है । यह व्यापक नहीं है । इस वर्तमान अधिनियम तथा संशोधन विधेयक में कुछ ऐसी विवादस्पद बातें हैं जिन पर प्रवर समिति द्वारा विचार करना आवश्यक है । सर्वप्रथम प्रतिकर की मात्रा १९२३ में निश्चित की गई थी और इसका सम्बन्ध मजदूरी से था न जीवन निर्वाह दिनांक से । प्रतिकर की राशि निश्चित करने में मूल्यों की वृद्धि के दिनांक को ध्यान में नहीं रखा गया है । अतः इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि मजदूरी की सीमा ३०० रुपये से ४०० रुपये तक बढ़ गई है । किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार 'कामगर' की परिभाषा में ५०० रुपये पाने वाले तक आते हैं । किन्तु यह परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है । इसलिये "कामगर" की परिभाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे

---

†मल अंग्रेज़ी में

कि इस अधिनियम के अधीन भी ५०० रुपये मजदूरी पाने वाले व्यक्ति भी "कामगर" की परिभाषा के अधीन आ जायें।

यह अधिनियम आजकल की आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने में भी अपर्याप्त है। भारत में कामगरों की मजदूरी सीमा बहुत कम है और हमारे देश के बहुत से न्यायाधिकरणों ने यह निश्चय किया है कि मजदूरी क बारे में विचार करते समय भविष्य जीवन निधि के बारे में भी विचार करना चाहिये क्योंकि लाभांश तो अस्थगित मजदूरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों को अन्य दूसरे प्रकार के मजदूरों पर लागू करें किन्तु वे ऐसा नहीं करतीं क्योंकि वे जानती हैं कि केन्द्रीय अधिनियम भी है। अतः संसद् को उन मजदूरों के वर्ग एवं उनके पेशों के सम्बन्ध में एक व्यापक सूची बनानी होगी जिन तक कि राज्य सरकारें इन उपबन्धों को लागू कर सकें।

इस अधिनियम में यातायात मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। एक संशोधन के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने की प्रतिक्षा अवधि घटाकर तीन दिन कर दी गई है किन्तु फिर भी यह मजदूरों के हितों के विरुद्ध है। क्योंकि शीशे के सामान बनाने वाले कार-खानों में ये चोटें प्रतिक्षा अवधि में ठीक हो जाती हैं तो फिर उनको क्यों न इस अवधि का प्रतिकर दिया जाये। फिर व्यापार जन्य रोगों सम्बन्धी सूची भी व्यापक नहीं है उसमें भी आवश्यक संशोधन करना चाहिये।

नियोजकों द्वारा आस्तियों के स्थानान्तरण करते समय उनकी चल सम्पत्ति पर भी यह नियम लागू होना चाहिये कि मजदूरों के प्रतिकर के भुगतान को प्राथमिकता दी जाये। छोटे-छोटे स्थानों तथा जिलों में प्रतिकर सबन्धी दावों के भुगतान के मामले में उचित रीति से काम नहीं लिया जाता और न विधिक परामर्श ही दिया जाता है अतः इस अधिनियम के कार्य संचालन प्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि उन क्षेत्रों के मजदूरों को भी राहत मिले।

कुछ दूर के क्षेत्रों में मजदूरों को इन लाभदायक अधिनियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसलिये उन तक इनकी भलाइयों को पहुंचाने का प्रबन्ध होना चाहिये। यह भी इस अधिनियम की कमी है। अंत में मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): इस विधेयक को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। इस विधेयक को तो, जिसमें कि १२-१३ वर्ष पूर्व संशोधन हुए थे, अब पूर्णतः संशोधित कर देना चाहिये था। समाज के समाजवादी ढांचे को दृष्टिगत रख कर तो एक नयी विधि ही प्रस्तुत करनी चाहिये थी।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

इस वर्तमान विधेयक में बहुत सी कमियां हैं। इस विधेयक का प्रभाव उन ३४ लाख मजदूरों पर पड़ता है जो रेलवे औद्योगिक संस्थानों, खदानों तथा चाय बागानों में काम करते है। आज से २० वर्ष पूर्व इस विधि में घोर परिवर्तन करने की मांग की गई थी। एक मजदूर की काम करते समय मृत्यु हो जाने पर उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक ४,५०० रुपये प्रतिकर देने की व्यवस्था है। स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर ६,३००

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

रुपये देने की व्यावस्था है अब यह देखना है कि क्या यह धन देकर उसके परिवार की पूर्ण सुरक्षा हो जाती है? इन मजदूरों की मृत्यु, स्थायी रूप से अपंग होने तथा अस्थायी रूप से अपंग होने के आकड़ों से पता चलता है कि इन लोगों को काफी जोखिम उठानी पड़ती है। इनको दिये जाने वाले प्रतिकर के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिनियम अपर्याप्त है। और उनको तथा उनके परिवारों को समुचित सुरक्षा नहीं देता है।

इस अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी अन्य दूसरे संशोधनों में हमको बताया गया है कि उद्योगों पर होने वाले भार के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। किन्तु इस सम्बन्ध में जो आंकडे प्राप्त हैं उनसे तो यही पता चलता है कि हमारी सरकार का रवैया नियोजकों के प्रति पक्षपातपूर्ण है।

इस संशोधन विधेयक में महत्वपूर्ण व्यावस्था यह की गई है कि इन अपंगों को फिर से बसाने की व्यावस्था की जाये। किन्तु मुझे डर है कि इस ओर कुछ अधिक कार्य नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में हजारों ऐस व्यक्ति हैं जिनकी टांगें या हाथ जाते रहे हैं किन्तु उनको दिये जाने वाले प्रतिकर में से बहुत साधन उस मद में काट लिया गया है जो उन पर अस्पताल में रहने के दौरान में हुआ था। इस प्रकार उनको बहुत थोड़ा धन मिलता है और वे बेचारे बेकार रहते हैं या सड़कों और गलियों में भीख मांगते नजर आते हैं। मेरा विचार तो यह है ये बेचारे मजदूर जो राष्ट्रीय धन की उत्पत्ति करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये। इस विधेयक में उन मजदूरों को फिर से बसाने के बारे में भी कुछ व्यवस्था नहीं की गई है जिनका कोई अंग जाता रहा है।

किसी अंग के कट जाने या आघात हो जाने पर अनुसूची में कुछ प्रतिशत देने की व्यवस्था की गई है। किन्तु इस अनुसूची में सभी अंगों का उलेल्ख नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही तो अवश्य की गई है किन्तु सभी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण दल की नियुक्ति की गई है उसने जांच भी की है किन्तु पता नहीं कि उसने अभी तक अपना प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया है। रेयन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन कारखानों में लगभग ३३,००० मजदूर कार्य करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि इस अनुसूची को और बढ़ा दिया जाये तो उद्योग पर और कितना अधिक भार बढ़ जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि इसमें संशोधन करने की मांग की जा रही थी सो सरकार ने केवल खानापूरी करने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। सन् १९५३ में ही राज्य सरकारों को ज्ञापन भेज दिया गया था, उनकी रायें भी आ गई थीं। किन्तु फिर भी सरकार ने न मालूम क्यों इस विधेयक को व्यापक क्यों नहीं बनाया।

प्रायः यह देखने में आता है कि सभी नियोजगक रिटर्न भी नहीं भेजते हैं। किन्तु इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। शायद ही कभी किसी के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया हो। किन्तु सरकार के पास तो साधन हैं जिनके आधार पर इन नियोजकों को रिटर्न भेजने के लिये कहा जा सकता है। आप उन्हें ऋण आदि देते हैं। सीधी सी बात है यदि वे रिटर्न नहीं भेजते हैं तो आप उनके ये ऋण बंद कर दें। सरकार को यह देखना चाहिये कि क्या ये नियोजक प्रतिकर देने से बचने के लिये रिटर्न नहीं भेजते हैं अथवा उनके साथ वास्तविक कठिनाइया हैं। इसलिये किसी प्रकार के दंड की व्यावस्था की जानी चाहिये।

व्यवसाय जन्य रोगों के बारे में राज्य सरकारों को नियम बनाने का प्राधिकार दिया गया है। इन नियमों को बनाने में वे मनमाना समय लेते हैं। यहाँ तक जब राज्य सरकारें नियम नहीं बनाती तो केन्द्रीय सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती।

औद्योगिक विवाद अधिनियम जल्दी में पारित किया गया था। वह अधिनियम १९५६ में पारित हुआ था किन्तु अब १९५९ आ गया किन्तु उस अधिनियम के अधीन अभी तक नियम नहीं बनाये गये हैं। उस अधिनियम के अधीन भी राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिये गये थे किन्तु उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मामला अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को सौंपा जाये तो वह इस सम्बन्ध में कार्य करेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने के लिये हम उस समिति से निवेदन करेंगे।

कई बार माननीय मंत्री से निवेदन किया गया है कि खदानों में काम करने वालों को दिये जाने वाले प्रतिकर की दर को बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया। उद्योगों की अपेक्षा खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या ९ गुना बढ़ गई है। उन्हें दुगना प्रतिकर मिलना चाहिये। यह मांग कोई नई नहीं है। इंगलिस्तान में विधि के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के अतिरिक्त उन्हें इतनी ही राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दी जाती ह। ऐसा हमारे यहां नहीं होता।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भविष्य जीवन निधि में नियोजकों का अंशदान क्यों नहीं होता। इससे उद्योगों का कोई दायित्व नहीं बढ़ेगा अतः इसकी भी व्यावस्था होनी चाहिये।

प्रतिकर का भुगतान पाने की अवधि सात दिन से घटाकर तीन दिन कर दी गई है किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती की उसे दुर्घटना वाले दिन से ही प्रतिकर क्यों नहीं दिया जाता। इस संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि यदि वह आघात १४ दिन से अधिक तक रहता है तो चोट के दिन से ही प्रतिकर मिलेगा।

इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह शीघ्र ही एक व्यापक विधि प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्रतिकर की दर बढ़ाई गई होगी। कम से कम अनुसूची ४ का मजदूरों के हित में संशोधन करना है। इसके अलावा ५०० रुपये तक पाने वालों को मजदूरो की श्रेणी में रखना है। क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी ऐसा ही किया गया है। अतः मैं आशा करता हूं कि यदि वह इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो कम से कम मेरे उन संशोधनों को स्वीकार करेंगे जो मैंने रखे हैं।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष जो बिल पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए जो अमेंडमेंड (संशोधन) पेश किया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। कारण यह कि वह जो बिल पेश किया है इसके अन्दर कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आज ही हमारा यह बिल पास हो जाता है तो जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति इस बिल को मिल जायेगी, त्योंही हमारे हजारों गरीब मजदूरों को तात्कालिक फायदा और लाभ मिलना शुरू हो जायगा। इसलिए ऐसे पवित्र कार्य में देरी लगाना या सेलेक्ट कमेटी के सामने जो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० क० वर्मा]

इसको ले जाने का सुझाव आया है, मैं यह मानता हूं कि जिन श्रमजीवियों के कल्याण के लिए एक अच्छी चीज सदन के अन्दर पेश की है, उसके अन्दर देरी लगाना है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय के समक्ष आपके द्वारा कुछ सुझाव रखना जरूरी समझता हूं।

पहली बात तो श्रीमान् यह है कि हमारे शासन ने और श्रम विभाग ने अपनी यह नीति बना ली है कि श्रमजीवियों के लिए स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (राज्य बीमा योजना) शुरू करेंगे और उसकी जो शुरूआत की गई है उसमें हमें बहुत जबर्दस्त सफलता मिली है हालांकि यह चीज विदेश की थी और हमारे देश की नहीं थी और उसको समझने में एम्पलायर्स (नियोजक) एम्पलायीज़ को और स्वयं गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा देर लगी क्योंकि श्रमिकों के हर सप्ताह के काम का रेकार्ड वगैरह रखना, यह एक बड़ी कम्पलीकेटेड (जटिल) चीज थी लेकिन श्रीमान् यह मानना होगा और गवर्नमेंट को इसके लिए मुबारकबाद देना होगा कि इसको लागू करने पर श्रमिकों को कुछ फायदा ही हुआ और जो रकम गई वह एम्पलायर्स के पास से गई और आज गवर्नमेंट ने उसके द्वारा देश के अन्दर एक ऐसी चीज पैदा कर दी है कि लाइफ इंश्योरेश कारपोरेशन के पास सेविंग तो हुई ही है और साथ ही जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको भी बड़ी तादाद में सहूलियतें मिली और उसका दूसरे लोगों को फायदा मिलना शुरू हो गया क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं रहती थी और उनका एक लिमिटेड बजट हुआ करता था लेकिन इस स्टेट एम्पलायीज इंश्योरेस की स्कीम होने के कारण वह जो कोमेन लाभ सबको मिलता था, उसमें श्रमिकों को भी मिलता था लेकिन अब उनको अलग लाभ मिलने के कारण यह हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा है। श्रमजीवियों को एक तरफ निकाल दें तो उससे आम जनता को फायदा पहुंचा है। मैं मानता हूं कि इस नीति को आगे बढ़ाना होगा और हर जगह इसे लागू करना होगा। यह वाकई एक बड़ी चीज है। लेकिन शासन के समक्ष कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। आज डाक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। हमने यह जो स्टेट एम्पलायीज इंश्योरेंस स्कीम लागू की, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं जहां कि मैं स्वयं यूनियनों में काम कर रहा हूं, हिन्दुस्तान भर में अगर कहीं यह स्कीम कामयाब हुई है तो वह मेरे प्रदेश के अन्दर हुई है। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं और सारे का सारा काम इस तरह से चल रहा है कि डाक्टर्स, मजदूर, एम्पलायर्स और गवर्नमेंट सब यह मानते हैं कि मध्यप्रदेश के अन्दर जिस तरीके से यह स्कीम चल रही है उस तरीके से दूसरे प्रदेशों के अन्दर नहीं चल रही है। इस सफलता मिलने का कारण यूनियनों के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलना है। इस स्कीम का फायदा श्रमजीवियों को मिले उसके लिए जहां सहयोग चाहिये वहां लगन, तड़पन और तमन्ना भी चाहिये। केवल जबान चलाने से ही काम होने वाला नहीं है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को सौंपने का जो सुझाव दिया गया है तो उसके पीछे यही मामले को टालने की बात है और जैसे आज विधेयक के ऊपर काफी बोल दिया और यदि उनका सुझाव मान लिया जाता है तो सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद भी उनको फिर इस पर बोलने का मौका मिल जायगा लेकिन वर्किंग (कार्य संचालन) के अन्दर इसका कोई लाभ नहीं है। यह बात जरूर है जैसे मैंने निवेदन किया स्टट एम्पलायीज इंश्योरेंस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहिये लेकिन दूसरी तरफ यह भी चीज करी जाय कि श्रम विभाग ने जो नीति ठहराई है, उसके अनुसार एम्पलायीज और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बैठ कर कोई ऐग्रीड (सर्व सम्मत) फारमूला

तैयार कर सकते हैं। मैं तो यह देख रहा हूं कि दो साल से बराबर लगातार हम बैठते हैं, तय करते हैं और ऐग्रीड फारमूला हर बात के अन्दर तय करते हैं, इस चीज को भी आगे बढ़ाया जाय और लेबर कान्फ्रेंस के अन्दर या स्टैंडिंग लेबर कमेटी के अन्दर इसको चर्चा के रूप में रक्खा जाय और जो हमारा ऐग्रीड फारमूला होगा वह बहुत अच्छा होगा आगे इसमें बहुत सारी बातें हैं।

पहली बात तो यह है कि हमारे सामने कारखाने आते हैं, रेलवेज आ जाती हैं, माइनिंग आती है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे श्रमजीवी जो कि कारखानों में काम नहीं करते हैं, उनकी संख्या कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियों से मेरे ख्याल में अधिक निकलेगी। अब ऐसे छोटे छोटे घरेलू धंधों में लगे मजदूर लोगों की जब जब दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या उनको चोटें लग जाती हैं तब उनका विचार हमारे यह साथी कभी नहीं करते, उनका ध्यान तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की ओर ही रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी फर्मों और, दुकानों में काम करने वाले गुमाश्तों के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया? इस ऐक्ट को कारखानों, रेलवेज माइंस और डौक्स वगैरह में काम करने वाले मजदूरों क अलावा इसको उन मध्यमवर्गीय लोगों की तरफ भी ले जाना होगा जिनको कि हम यह बता सकें कि तुम्हारे साथ भी हम सामाजिक न्याय करने के लिए तैयार हैं। आज उन बेचारे गरीब लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुकानों, में काम करने वाले गुमाश्तों, होटलों और सब्जीमार्केटस मे बोझा ढोने वाले मजदूर और वे लोग जो कि मंडी में कचड़ा और फलों, सब्जी बगैरह का जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको ढोकर बाहर फेंकते हैं और यदि वे केले नारंगी आदि का छिलका रास्ते पर से न उठायें तो लोगों के पैर फिसलने और चोट लगने का अंदेशा रहता है, इस तरह का काम करने वाले लोगों का कभी कोई विचार ही नहीं किया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी समस्या पर विचार करना होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी शुगर फैक्टरीज के फार्मों में जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं और जो बारहों महीने काम पर लगे रहते हैं और जब उनको ड्यूटी के सिलसिले में मृत्यु हो जाती है तो जो सहूलियतें शुगर फैक्टरीज वर्कर्स को मिलती हैं वह फार्म्स में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नहीं होती हैं। इसी तरह खेतों की रखवाली पर जो मजदूर लोग तैनात होते हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग उन मजदूरों को रात अपने खेतों की रखवाली पर नौकर रख लेते हैं और रात के अन्दर चोर कपास आदि चुनने की घात में आ जाते हैं और उस बेचारे मजदूर और रख वाले को मार कर सारी फसल चुरा कर अपने साथ ले जाते हैं, ऐसे लोगों की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। इसलिए जो घरों में काम करते हैं और दूसरों की मजदूरी करते हैं, उनको भी इस ऐक्ट का लाभ दिलाया जाय। मेरा कहना है कि इसका लाभ उन लोगों को भी मिलना चाहिये जो दूसरों के घर का काम करते हों, दुकानों में काम करते हों या फिर खेत की रखवाली का काम करते हों।

आज जब हम अपने देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं तो हमें तमाम श्रमजीवियों को समान नजर से देखना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि जो ऐक्सीडेंट और मृत्यु की रकम श्रमिकों को दी जाती है उसमें सारी बातें एनक्लूड करनी चाहियें। अब उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने अथवा चोट लग जाने पर जो केवल वेतन के आधार पर उनको रकम दी जाती रही है, वह आज के

[श्री रा० क० वर्मा]

बदले हुए हालात में उपयुक्त नहीं है क्योंकि आज जहां एक श्रमिक को वेतन तो मिल रहा है केवल २८ रुपये वहां उसे डियरनेस एलाउंस ८८ रुपये मिल रहा है....

एक माननीय सदस्य : कहां मिल रहा है ?

श्री रा० क० वर्मा : अहमदाबाद में दुःख तो इस बात का है कि आप ध्यान से सारी समस्या को देखते नहीं है और स्थिति का ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। हां तो मैं बतला रहा था कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मजदूर की मिनिमम वेज (न्यूनतम मजदूरी) २८ रुपये २ पैसे है और डियरनेस एलाउंस उसको ८८ रुपये मिलते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रकम उसे उन हालात में मिले उसमें वे सब चीजें एनक्लूड (सम्मिलित) होनी चाहियें। मजदूर को उस कम्पनी से क्या मिलता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हालांकि उन्होंने उनको क्वार्टर्स दिये हैं और उनका किराया नहीं लेते हैं। अब क्वार्टर का किराया क्या हो सकता है और दूसरे कोई भी एम्पलायर इतना सज्जन और मजदूरों का भला चाहने वाला नहीं होगा जो कि मजदूरों को वह क्वार्टर्स् मुफ्त में दे देगा और वे ऐम्पलायर्स क्वार्टर्स इसलिए देते हैं चूंकि वह पहले से हिसाब दौड़ा लेते हैं कि इसको वेज में इतनी रकम कम देने से वह ऐडजस्ट हो जायगा। इसलिए उसका भी बेनिफिट हमें मिलना चाहिये। तो सवाल यह आता है कि जो रकम श्रमिक को मिलनी चाहिए और मिल रही है उसमें यह जोड़ना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कारखाने के अन्दर आप मजदूरों को तो शरीक कर लेते हैं लेकिन उसके अन्दर काम करने वाले क्लर्कों को क्यों नहीं शामिल करते। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट (औद्योगिक विवाद अधिनियम) के अन्दर आप ५०० रुपये की आमदनी वालों को शरीक करते हैं तो फिर वह चाहे मजदूर हो या क्लर्क सभी को उसके अन्दर शरीक करना चाहिए। और फिर जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में आपने ५०० रुपया रखा है तो यहां ४०० रुपया रखना उचित नहीं दिखायी देता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपने कारखाने के एम्पलाई की परिभाषा रखी है उसके अनुसार कम्पेन्सेशन भी ५०० रुपये पाने वाले सब लोगों को मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह कहनी है कि आपने यह बड़ी कृपा की कि जो वेटिंग पीरियड को सात दिन से घटा कर तीन दिन कर दिया। लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि यह तीन दिन भी क्यों रहें। जब किसी मजदूर को चोट लगती है और वह उस कारण काम नहीं कर सकता और गैर हाजिर रहता है तो कम्पेन्सेशन के अन्दर यह तीन दिन की रियायत क्यों? इसका यह मतलब तो है नहीं कि चोट लगी है या नहीं यह देखना है। चोट तो लगी है और चोट लगने पर जो एक दिन में उसका नुकसान होता है उसी परिमाण में उसको कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। उसके नुकसान पर ही यह चीज आधारित है।

इसके साथ आपने यह ठहराया है कि चोट लगने के एक महीना हो जाने पर भी मालिक कम्पेन्सेशन की रकम जमा नहीं करवाता तो उसको उस रकम पर ६ पर सेंट ब्याज भी जमा करना होगा। श्रीमान् आज हालत यह है कि कारखाने वालों को ६ पर सेंट पर बैंकों से रुपया नहीं मिल रहा है और बहुत से कारखानेदार तो १२ पर सेंट तक पर रुपया ले रहे हैं। इसलिए कारखाने वाले किसी मर जाने वाले शख्स के बेनिफिट क रुपये पर ६ पर सेंट ब्याज देने को तो बहुत जल्दी तैयार हो जायेंगे। इसलिए होना तो यह चाहिए कि वह रकम फौरन मिले, और देर होने पर जो भी ब्याज हो वह तो देना ही पड़े पर साथ ही उसको थोड़ी सजा भी अवश्य

होनी चाहिए। केवल पैसे की सजा उसके लिए काफी नहीं है। चाहे आप उसको एक दिन के लिए ही बन्द कर दें लेकिन सजा जरूर होनी चाहिए। पैसे वाले के लिए पैसे की तो कोई बात नहीं है। जो जुरमाना वह जमा करेगा वह तो उन्हीं लोगों से वसूल कर लेगा। इसलिए अगर २४ घंटे भी उसे किसी बन्द कोठरी में रखा जाये तो मैं मानता हूं कि सुधार होने की आशा की जा सकती है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है। लेकिन मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने सुझायी हैं, उन्हें वह लेबर स्टेंडिंग कमेटी के सामने रखें या एम्पलायर्स ऐसोसियेशन के सामने रखें या स्वयं ही उन पर विचार करके एक मुकम्मिल बिल लायें कि जो समानता वाला हो और सभी एम्पलाईज पर लागू होता हो।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस विधेयक के विरुद्ध जो असंतोष प्रकट किया गया गया है मुझे उसके बारे में कोई भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि सभी को आशा थी कि जब भी प्रतिकर को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तब उसमें प्रतिकर को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु इस विधेयक में ऐसा नहीं किया गया है। यह बताया गया कि उपबन्धों को उदार बना दिया गया है परन्तु मुझे तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके बारे में कहा जा सके कि मूल अधिनियम में संतोषजनक परिवर्तन किया गया है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक रोगों तथा खतरों को ले लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूची कुछ अधिक बनाई गई है और राज्य सरकारों को इस सूची में और घटनाओं को जोड़ने के अधिकार दे दिए गए हैं। परन्तु मैं यही जानना चाहूंगा कि किन कारणों से सारे उद्योगों का पूरा पूरा अध्ययन करके चिकित्सकों की राय लेकर सूची क्यों नहीं बनाई गई। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

इस विधेयक में एक उपबन्ध अवश्य अच्छा रखा गया है कि जब कोई मजदूर कई स्थानों पर विभिन्न मालिकों के अधीन काम कर चुका हो और व्यावसायिक रोग से पीड़ित हो जाता है, तो इसका पता लगाया जाना कठिन होता है कि किस मालिक के अधीन काम करते समय उसको रोग लगा। तो इसमें यह उपबन्ध रखा गया है कि सभी मालिकों की सम्मिलित जिम्मेदारी हो जायेगी। वैसे तो यह उपबन्ध ठीक है लेकिन कुछ नियोजक इसकी हद में आने से बचने की कोशिश करेंगे। ज्योंही किसी मजदूर को कहीं से हटाया जायेगा तो वे उससे डाक्टरी मुआयना कराने के लिये कहेंगे और किसी रोग के न होने का प्रमाण पत्र मागेंगे। इससे मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह कमी छोड़ दी गई है कि अवधि निर्धारित नहीं की गई कि कितने वर्ष पहले से नियुक्ति देने वाले मालिकों की जिम्मेदारी रखी जायेगी। संभव है २५ वर्ष पहले वह कहीं पर नौकर रहा था तो क्या उस मालिक की भी जिम्मेदारी होगी ?

मुझे सबसे बड़ी आपत्ति दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर की राशि पर है। मेरे विचार से यह बहुत ही कम है। बी० ई० एस० टी० के सम्बन्धों में भी बम्बई में मेरा यहीं कहना था कि चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त प्रतिकर की मात्रा अधिक रखी जानी चाहिए क्योंकि जानबूझ कर कोई मरना नहीं चाहता है। यदि हम यह मान लें कि दुर्घटनाओं के कारण १००० मजदूरों में से ३ व्यक्ति मरते हैं तो इसके लिये प्रतिकर की राशि हमारे सभी उद्योगों के लिए लगभग २ करोड़ रुपये आयेगी क्योंकि सभी उद्योगों में लगभग ३० लाख व्यक्ति होंगे और दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग १०,००० प्रति वर्ष होगी। यह अधिक रकम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

मालिक की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि यदि मालिक ठीक समय पर प्रतिकर का धन न दें तो उसको इस पर ६ प्रतिशत सूद और ५० प्रतिशत जुर्माना देना होगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि उसके लिए धन उस समय अधिक महत्वपूर्ण होगा जब वह बीमार है। यदि छः महीने अथवा साल भर बाद उसको पैसा मिला तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए एक माह का कारावास अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए।

यह व्यवस्था रखी जा रही है कि मालिक द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली आपत्तियों पर प्रथम भार प्रतिकर का ही होगा। परन्तु क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले मालिक भी मौजूद हैं और वे झूठे ही सारी मिल के बन्धक रखे जाने की घोषणा कर देते हैं। ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे? दुर्घटनायें तो होंगी ही, चाहे मिल बन्धक रख दी गई हो या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा अनिवार्य उपबन्ध कर दिया जाये कि मालिक मजदूरों के प्रतिकर का कुछ अंश प्रतिकर आयुक्त के पास जमा करें। इस प्रकार मजदूरों का धन मालिकों की इच्छा अनिच्छा पर आधारित नहीं रहेगा।

एक और बात है जिसके बारे में मेरे कुछ अन्य मित्रों ने भी कहा है। वह है कृत्रिम अंगों को लगाने तथा चिकित्सा के व्यय को मालिकों द्वारा दिलाना। यह बहुत आवश्यक बात है क्योंकि डाक्टरी इलाज का खर्च प्रतिकर की राशि से कहीं ज्यादा होता है और इस खर्चे को मिल के संचालन व्यय में सबसे पहली जिम्मेदारी बनाया जाना चाहिए।

अन्त में मेरा यही कहना है कि यह अधिनियम उस समय १९२३ में बनाया गया था जब मजदूरों के अधिकारों को समझा नहीं जाता था और जब हम आज उनको अच्छी तरह समझते हैं तब क्यों न इसको उस रूप में परिवर्तित करें जिससे सही अर्थों में मजदूरों को लाभ हो और उन्हें अपनी सुरक्षा का अभास हो। मैं आशा करता हूँ कि सरकार शीघ्र भविष्य में और व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

†**श्री प्र० चं० बोस** (धनबाद): जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया कि इस विधेयक में अभी बहुत सी कमियां हैं। परन्तु फिर भी मैं समझता हूँ कि मूल अधिनियम से इसमें सुधार है और सारे भारत में इस विधेयक का इसीलिए स्वागत होगा।

जब मूल अधिनियम पारित किया गया था उस समय रोगों आदि के उपबन्ध इसमें नहीं रखे गये थे यद्यपि हम इसके बारे में आन्दोलन कर रहे थे क्योंकि उस समय इसको पारित करने वाले व्यक्ति बड़े-बड़े पूंजीपति, उद्योगपति थे। आज हम उस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं और मजदूरों के लाभार्थ उसको बना रहे हैं। ऐसा करने के लिए समय चाहिए क्योंकि सारे सुधार एकदम किए जाने बड़े कठिन है।

यह बताया गया कि प्रतिकर की दर कम हैं। मैं जानता हूं कि योरप तथा अन्य सभ्य देशों में प्रतिकर का हिसाब दूसरे तरीकों से लगाया जाता है। यहां पर खंड-पद्धति (स्लैब सिस्टम) के आधार पर हिसाब लगाया जाता है जब कि वहां इसकी गणना इस हिसाब से की जाती है कि संबंधित व्यक्ति कितने दिन जीवित रहेगा। ऐसा नहीं था। अब इस संशोधन के द्वारा ऐसा होगा। इसका मुझे प्रसन्नता है क्योंकि इस प्रकार बच्चों तथा वयस्कों सभी को समान रूप से प्रतिकर मिल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नौशीर भरूचा ने कहा कि यदि प्रतिकर नियत तिथि को नहीं दिया गया तो जो दण्ड रखा गया है वह बहुत कम है। मैं उनके कथन से पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु साथ ही बताना चाहता हूँ कि सभी मिल मालिक मजदूरों के दुश्मन नहीं होते हैं। जो थोड़े से क्रूर होते हैं उनको ही दंड दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त सूची में और अधिक रोगों तथा कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है। मेरे मित्र ने बताया कि खानों में सिलिकोसिस हो जाती है। परन्तु चिकित्सकों की राय है कि अभ्रक की खान को छोड़कर और कहीं पर यह बीमारी नहीं होती है और खान के बाहर ही व्यक्ति को यह बीमारी लग सकती है। इसलिए इसको औद्योगिक बिमारी के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस समय बिना किसी संशोधन के इसी रूप में पारित कर लेना चाहिए और मुझे आशा है कि भारत के समस्त मजदूर इसका स्वागत करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही है और इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था में किसी श्रम विधान को बनाना बड़ा ही कठिन काम है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह विधेयक पूर्ण विधेयक नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूं क्योंकि अपने देश की अवस्था देखते हुए यह अपूर्ण है। जब भी कभी मजदूरों के कल्याण के लिए विधान बनाया जाये हमें सामाजिक स्थिति तथा विचारों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

फिर भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने कुछ सुधार किए। विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम की धारा १८ क में संशोधन किया जा रहा है। उसमें मजूरी की सीमा ५०० रुपये रख दी गई है। इस संशोधन की बड़ी आवश्यकता थी और सरकार ने ऐसा करके बड़ा अच्छा काम किया है। एक और अच्छी चीज इसमें यह की गई है कि और अधिक मजदूरों को इसके क्षेत्र में लाया गया है।

इस विधेयक में सरकार ने प्रतीक्षा-अवधि तीन दिन रखी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तीन दिन की अवधि ठीक समझी है और हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसी को ठीक समझ कर अपना लिया है। परन्तु कुछ कार्मिक संघों में इसके विपरीत आन्दोलन हो रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि यह अवधि रखी ही नहीं जानी चाहिए। उनके ऐसा कहने के कुछ कारण हैं और मैं समझता हूं कि वे किसी हद तक ठीक हैं। मैं रेगे समिति के प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाता हूं। उसमें लिखा है कि कांच के कारखाने में मजदूरों के जो चोटें लगती हैं वे आम तौर से तीन दिन में ठीक हो जाती हैं। अब चूंकि सरकार ने प्रतीक्षा-अवधि रख दी है, इसलिए चाहे मजदूरों को खाट पर पड़े रहना पड़े और मजदूरी न मिले, लेकिन उन्हें प्रतिकर नहीं दिया जा सकता। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गंभीरता से विचार करें।

आज हमारे दिनों दिन बढ़ते हुये उद्योगों के कारण हमारे यहां व्यावसायक रोग तथा दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं। इसलिये हमारे लिये यह उचित नहीं है कि रोगों की विदेशों में बनाई गई सूची को ज्यों का त्यों रख लें। मेरा सुझाव है कि सरकार को दुर्घटनाओं के बारे में गवेषणा विभाग बनाना चाहिये जो दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करे। १९३९ में प्रति हजार मजदूरों में दुर्घटनाओं की संख्या २०.५६ थी जबकि १९५६ में संख्या ४४.५६ हो गई। मुझे प्रसन्नता है कि मिल मालिकों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरूआ]

ने दुर्घटनाओं की संख्या लिखना आरम्भ कर दिया है । पहले मिल मालिक कारखाना अधिनियम में ऐसा करने की व्यवस्था होने पर भी ऐसा नहीं करते थे । सरकार को निदेशालय में अधिक संख्या में तथा कुशल कर्मचारी रखने चाहिये जो विधानों को ठीक प्रकार से लागू किये जाने का घ्यान रखें ।

मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का डाक्टरी मुआयना कराने के बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये । सरकार को इस विधेयक में इसका उपबन्ध करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था रखी जानी चाहिये कि मजदूर को बीमारी से ठीक हो जाने पर पुनः नौकरी पर रखा जाये ।

इस विधेयक को देखने पर पता लगता है कि खान सम्बन्धी कार्य करने वाले क्लर्कों को प्रतिकर देने के संशोधन से अलग रखा गया है । मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता हूं क्योंकि कभी कभी क्लर्कों को भी खान में जाना होता है । उसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है । मैं चाहता हूं कि विधेयक के इस उपबन्ध को और व्यापक बनाया जाना चाहिये जिससे कि यह अपूर्णता समाप्त हो जाये ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की हिमायत के लिये और सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की तहरीक की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने से इस बिल में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं हो सकती । इस बारे में मेरा इख्तिलाफ नहीं है कि यह बिल काम्प्रिहैंसिव नहीं है इस में अमेंडमेंट की जरूरत है और यह बिल आरिजिनल एक्ट की सब कमजोरियों और नकायस (बुराइयों) को दूर नहीं कर सका है । लेकिन इस को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का नतीजा सिवाये इस के कुछ नहीं होगा कि इस के जरिये वर्कर्ज को जो फायदा पहुंचने वाला है, उस में देर हो ।

जहां तक इस बिल की हिमायत का ताल्लुक है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है । हाउस के हर सैक्शन ने इस बिल की तारीफ की है, जिस हद तक यह जाता है । आरिजिनल कानून में जो कमियां थीं, उन को दूर करने की कोशिश की गई है मिसाल के तौर पर कम्पेन्सेशन देने के मामले में मेजर और माइनर के फर्क को उड़ा दिया गया है । इस के अलावा बिल में वेटिंग पीरियड पांच दिन रखा गया था । यह खुशी की बात है कि राज्य सभा ने उस को घटा कर तीन दिन कर दिया है । अगर एम्पलायर वक्त पर कम्पेन्सेशन न दे, तो पिनाल्टी रखी गई है । आरिजिनल एक्ट के मुकाबले में कुछ ज्यादा जिम्मेदारी एम्पलायर पर इस बारे में रखी गई है, यह एक काबिले-तारीफ बात है । १८ए क्लाज में जो जुर्माने की सजा रखी गई है, उस को भी बढ़ा दिया गया है । इस से एम्पालायर्ज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ।

जहां तक इस बिल की कमियों का ताल्लुक है, हाउस के कई मेम्बरान ने उन की तरफ तवज्जह दिलाई है । मैं उन को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात की तरफ डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब का घ्यान खास तौर पर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां --सैन्टर में या स्टेट्स में--जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पास होते हैं, उन के इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्विति में बड़ी भारी कसर रहती है । हमारी हुकूमत पालिसी डिसिजन्ज तो कर लेती है और उन के मुताबिक कानून भी बन जाते हैं-- हालांकि उन में कई बार कसर रह जाती है--लेकिन उन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा कसर रह जाती है । सैन्टर में मुझे एक और डिफीकल्टी नजर आई है । कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन के बारे में मिनिस्टर साहब--यहां पर एक्सक्यूज जैसे सख्त शब्द का इस्तेमाल शायद ठीक न हो--कह देते हैं कि यह कनकरेन्ट सबजेक्ट है या स्टेट सबजेक्ट है, इस में हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पर अच्छी तरह से अमल नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर आफिसर्ज उन्हीं के होते हैं । मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सइ एक्सक्यूज से वर्कर्ज

को कोई तसल्ली नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। इस के इलाज सैंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। सैंटर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से ग्रान्ट्स और सबसिडीज दी जाती हैं। यहां की लेबर मिनिस्टरी की तरफ से स्टेट्स के लेबर डिपार्टमेंट्स को तरह तरह की मदद दी जाती है और इस के अलावा कांग्रेस का सैंट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड भी मौजूद है, जिस से इस बारे में काफी मदद मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाये, उस के मातहत रूल्ज दो महीने के अन्दर बना दिये गये हैं या नहीं, जिन से कि वर्कर्ज को फायदा पहुंचता हो। मैं अर्ज करूंगा कि जब इस हाउस के माननीय मेम्बरान यह एतराज उठायें कि फलां स्टेट में किसी कानून के रूल्ज नहीं बनाये गये हैं, जिस की वजह से वर्कर्ज उस कानून से फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो मिनिस्टर साहब यह कह कर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश न करें कि हम क्या करें, यह तो कनकरेन्ट या स्टेट सबजेक्ट है।

एक बात की तरफ मैं और तवज्जह दिलाना चाहता हूं। प्राग्रेसिव लेजिस्लेशन वर्कर्ज के फायदे के लिये होते हैं, जैसे कि यह बिल भी है। जहां वर्कर्ज ज्यादा आरगनाइज्ड हैं और ज्यादा तादाद में हैं, वहां मुख्तलिफ पार्टियों—कम्यूनिस्ट पार्टी, आई० एन० टी० यू० सी वगैरह—के जरिये उन तक खबरें पहुंच जाती हैं और उन को मालूम हो जाता है कि पार्लियामेंट में उन के फायदे के लिये कानून पास किया गया है। लेकिन कितनी ही जगह वर्कर्ज स्कैटर्ड हैं और उन को बड़ी देर के बाद इन कानूनों का पता चलता है। फिर इंडस्ट्री में तो वर्कर्ज आरगनाइज्ड हैं, लेकिन टेनांसी लेजिस्लेशन के बारे में—यहां उस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं—टेनांट्स को बहुत देर के बाद पता चलता है, क्योंकि वे डिस्ट्रिक्ट भर में फैले होते हैं और इस तरह वह उस लेजिस्लेशन से फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन इस किस्म के कानूनों पर भी यह बात लागू होती है। इस में यह प्राविजन रखा गया है कि इस बिल के एब्स्ट्रैक्ट को फैक्टरी में लगाया जाय। यह काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि कमिश्नर के स्टाफ और लेबर आफिसर्ज की यह ड्यूटी है कि वे वर्कर्ज में जायें—जो पार्टियां वर्कर्ज में जाती हैं, वे अपने मतलब के लिये जाती हैं—और उन लोगों को एक्सप्लेन करें कि यह कानून पास हुआ है, आप इस से फायदा उठा सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जो कि नहीं हो सकती है। आखिर लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर और लेबर आफिसर्ज वगैरह वर्कर्ज के फायदे के लिये हैं, इस लिये वर्कर्ज को इन्फार्म करना उन का फर्ज होना चाहिये।

यह बताया गया है—और मुझे सुन कर बड़ी हैरानी हुई है—कि एम्पलायर्ज रिटंर्न्ज जो इन को भेजनी होती है नहीं भेजते हैं। इस हाउस में फिगर्ज दी गई हैं कि किसी स्टेट में ३३०० में से ८०० से भी कम रिटर्न्ज दी गई हैं, जिस का मतलब यह है कि सिर्फ पच्चीस परसेंट कम्पलायेंस हुई और पचत्तर परसेंट नहीं हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन पचत्तर परसेंट लोगों ने रिटर्न्ज नहीं भेजी, उन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। क्या उन के खिलाफ मुकदमे चलाये गये ? यह हो सकता है कि जो पहला आफेंडर हो, उस को माफ कर दिया जाये, लेकिन क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जिन लोगों ने रिटर्न्ज नहीं भेजे, उन में से कितनों को वारनिंग दी गई और उन का एक्सप्लेनेशन मांग कर फिर उन को माफ किया गया। इस तरह की कोई बात नहीं है। इसी लिये मैं ने अभी कहा है कि हमारे प्राग्रेसिव लेजिस्लेशन पास तो हो जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है, जिस की वजह से वर्कर्ज भुगतते हैं।

जैसा कि मुझ से पहले भी कहा गया है, मुआवजे की जो लिमिट रखी गई है, वह बहुत कम है। मौत, पर्मानेंट डिस-एबिलिटी और थोड़ी देर की डिस-एबिलिटी के लिये जो स्केल रखी गई है उस में पहले से तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब भी उस में कसर है। मुझे उम्मीद है कि जब इस सिलसिले में कोई काम्प्रिहैंसिव बिल आयगा, जिस की तरफ डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब ने इशारा किया है, तो उस में इन बातों की तरफ ध्यान रखा जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की हिमायत करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर मतदान होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नौशीर भरूचा का संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मतविभाजन हुआ पक्ष में २१, विपक्ष में ११२

संशोधन अस्वीकृत हुआ

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन** हुये]

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यादव का संशोधन संख्या ३२ मतदान के लिये रखा गया
सभा में मतविभाजन हुआ, पक्ष में ३५, विपक्ष में ११६

संशोधन अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मी० रु० मसानी के संशोधन संख्या २०८ और २०९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—(जारी)

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : हमारे देश के बढ़ते हुये औद्योगिक विकास के कारण मेरे विचार से कामगर प्रतिकर अधिनियम में पूरी तरह से परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता थी । परन्तु इसका बड़ा खेद है कि ऐसा नहीं किया गया है । ऐसी कोई बात तो है नहीं कि सरकार को मूल अधिनियम की कमियों का कोई पता नहीं था क्योंकि उसने १९५३ तथा १९५५ में इस अधिनियम में किये जाने वाले संशोधनों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन राज्यों में परिचालित किया था । लेकिन उन संशोधनों में से एक भी यहां नहीं रखा गया है । उदाहरणतः १९५५ के ज्ञापन में प्रतिकर के लिये मजूरी की अधिकतम सीमा ५०० रुपये रखने का सुझाव दिया गया था । परन्तु इस विधेयक में ४०० रुपये की सीमा रखी गई है । १९२३ में मूल अधिनियम में ३०० रुपये की सीमा रखी गई थी और आज रुपये की कीमत के घटने पर ५०० रुपये रखे जाने चाहियें क्योंकि प्रतिकर दुर्घटनाओं तथा व्यवसायिक रोगों के आधार पर ही दिया जायेगा और ये दुर्घटनायें और व्यवसायिक रोग आज औद्योगिक विकास के कारण बढ़ते जा रहे हैं ।

मूल अधिनियम में प्रतिकर मिलने की प्रतीक्षावधि सात दिन रखी गई थी जिसको सरकार ने अब तीन दिन कर दिया है । परन्तु मैं चाहता हूं कि प्रत्येक प्रकार की दुर्घटना की सूचना

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को तुरन्त दी जानी चाहिये और प्रतिकर भी तुरन्त दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त कारखाना निरीक्षकों को वर्ष में कम से कम तीन बार कारखाने का निरीक्षण करना चाहिये। १९५४ में ३३,७२२ कारखानों में से केवल २८,९४१ कारखानों का निरीक्षण किया गया। सरकार को नीति बना लेनी चाहिये कि कारखानों का वर्ष में तीन बार निरीक्षण हो।

द्वितीय योजना काल में केन्द्रीय श्रम संस्था विस्तार करने तथा औद्योगिक सुरक्षा और मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी प्रादेशिक म्यूजियमों को स्थापित करने की सरकार की योजना थी। मैं नहीं जानता इसमें कितनी प्रगति हुई है। कुछ वर्षों से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रतिकर भी बड़े विलम्ब से दिया जा रहा है। दो तीन मामलों को मैं जानता हूं। एक तो रूरकेला इस्पात संयंत्र का मामला नं० १०५ है। इसमें चार व्यक्ति मर गये थे और ठेकेदार भाग गया जिसका पता नहीं लगाया जा सका।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अणु-शक्ति बिजली घरों और आण्विक रीएक्टरों के बनने से मजदूरों पर रेडियो धर्मिता का असर होगा और वे भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में फंस सकते हैं। इसलिये इसको भी व्यवसायिक रोगों में रखना चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : यह विधेयक श्रम कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम है, और तीस वर्षों के निरन्तर प्रयत्नों के बाद सदन के समक्ष आया है। आज उद्योगों में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। मुआवजा देने के पूर्व इन उपबन्धों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कारखानों का निरीक्षण प्रतिवर्ष नहीं होता। इसके साथ ही मुआवजे का दावा करने वाले आवेदन पत्र की अवधि एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गई है। इससे श्रमिकों को कोई लाभ होने की आशा नहीं। मेरा मत यह है कि यह अवधि कम होनी चाहिये।

खंड ४(क) के अन्तर्गत समय पर मुआवजा अदा न करने की अवस्था में मुआवजे पर ब्याज देने की व्यवस्था की गयी है। यह सराहनीय उपबन्ध है, परन्तु मूल विधेयक की धारा ५ कुछ अजीब सी है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मुआवजे के सम्बन्ध में मजूरी निर्धारण करने का प्रयत्न वैज्ञानिक आधार पर हल किया जाना चाहिये।

अनुसूची संख्या २ में कुछ व्यावसायिक रोगों का उल्लेख है। अनुसूची ३ के (ख) भाग में भी कुछ रोगों का उल्लेख किया है जिनकी नये उद्योगों में सामने आने की संभावना है। मेरा मत है कि इस दिशा में पूरा सर्वेक्षण होना चाहिये और इस बात का पता करना चाहिये कि किन उद्योगों में किस प्रकार के व्यावसायिक रोगों के सामने आने की संभावना है और उनके लिये मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिये। एक यह भी बात है कि कई प्रकार के मजदूरों को इसके अन्तर्गत नहीं लिया गया। यह नहीं किया जाना चाहिये, सब को कानून का लाभ प्राप्त होना चाहिये।

यदि किसी मजदूर को मालिक द्वारा अपने काम के अतिरिक्त भी कोई काम दिया जाता है और वह उसे करता हुआ किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो भी उसे 'दुर्घटना' के अन्तर्गत ही लिया जाना चाहिये। इस के साथ ही यदि कोई मजदूर ठीक हो जाय तो ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिये जिससे वह पुनः काम पर लग सके।

हमारे मंत्री महोदय एक मान्य श्रम नेता हैं, वह इन सब बातों पर विचार कर शीघ्र ही एक व्यापक विधान प्रस्तुत करेंगे, इसकी हमें पूरी आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : हम एक व्यापक विधेयक की आशा लिये बैठे थे परन्तु हमारे सामने संतोषजनक विधान नहीं लाया गया है। मैं मूल अधिनियम के बारे में कुछ कहूंगा। १९२३ में जब अंग्रेजों का राज था, तो भारतीय जीवन का मूल्य ३००० से ४००० रुपये तक समझा जाता था। क्या आज हमारी राष्ट्रीय सरकार के मंत्री भी इसी मत के हैं ? उद्योगों में साधारणतः मजदूरों को २८, ५० अथवा ६० रुपये मिलते हैं। २७ रुपये से ३० रुपये पाने वाले की मृत्यु का मुआवजा ९०० रुपये है ३० से ३५ पाने वालों के लिये १०५० रुपये और ३०० रु० या अधिक पाने वालों के लिये ४,५०० रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुये क्या मुआवजा बढ़ाया नहीं जायेगा ? इसके मुकाबले में दुर्घटनायें काफी संख्या में बढ़ी हैं। खानों में दुर्घटनाओं की संख्या १९५४ में २६.५० प्रतिहजार थी, परन्तु १९५६ में यह २४६ ' ७६ हो गयी। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी इनकी वृद्धि हुई। हो सकता है कि १९५७–५८ में कुछ उद्योगों में दुर्घटनाय कुछ कम हुई हों। मंत्री महोदय ने कहा है कि अब काफी खानों और उद्योगों में सुरक्षा की दिशा में काफी कुछ किया गया है। फिर भी मेरा कहना है कि जितना कानून भंग हुआ है उसके मुकाबले खानों के मालिकों और उद्योगपतियों को पकड़ा नहीं गया है। पता नहीं सरकार इन खानों के मालिकों को सजा देने में कतराती क्यों है।

कुछ माननीय सदस्यों ने व्यावसायिक रोगों का उल्लेख किया है। १९४८ तक व्यवसायिक रोगों की सूचना देने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी और उपयुक्त मामलों में भी प्रतिकर नहीं दिया जाता था। परन्तु अब इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिये। बहुत से व्यवसायिक रोगों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है और ऐसा किया जाना चाहिये। आशा है कि शीघ्र ही मंत्री महोदय जो व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे उसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही मुआवजा देने में जो देरी होती है उसे भी दूर किया जाना चाहिये। आन्ध्र की एक खान में मई, १९५७ का मुआवजा फरवरी, १९५९ तक प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार के सैकड़ों मामले हैं। इस अवस्था में अयोग्य हुये गरीब मजदूर की क्या अवस्था होती होगी, उसका अनुमान लगाना कोई कठिन कार्य नहीं।

मेरी प्रार्थना है कि श्री विट्ठलराव और श्री वारियर का राशि को ४०० रुपये से ५०० रुपये कर देने वाला संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। आज जो कीमतों की दशा है उसे देखते हुये यह ठीक ही है। इसके साथ ही जो आंकड़े हामारे साहस आये हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और इसे रोकने के लिये कोई पग उठाये जाने चाहिये। मुआवजे की दर बढ़नी चाहिये। एक भारतीय का जीवन ३, ४ हजार रुपये से अधिक समझा जाना चाहिये।

मैं पुनः निवेदन करूंगा कि देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : इस विधेयक से मजदूरों को लाभ होने की आशा नहीं की जा सकती। परन्तु इतना अवश्य है कि सत्तारूढ़ होने के ११ वर्ष बाद सरकार को इस दिशा में कुछ करना जरूरी अनुभव हुआ है, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। इस सम्बन्ध में मूल अधिनियम १९२३ का है और इस विषय में सरकार पर प्रभाव डालने के लिये समय समय पर बहुत कुछ किया जाता रहा है। १९५६ में भी एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत हुआ था। १९५८ में इस प्रकार का विधेयक मैंने प्रस्तुत किया था और वह अभी पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटनायें कई प्रकार की हैं और यदि इंग्लैंड की भांति मजदूरों के लिये काम करने से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध हो जाये और उन्हें इस दिशा में प्रशिक्षित कर दिया जाये, तो बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कई एक मामलों में सुरक्षा कानूनों का मालिकों द्वारा उल्लंघन होता है और निरीक्षक मंडल की ओर से इसकी ओर कड़ी निगरानी नहीं की जाती।

व्यवसायिक रोगों के अतिरिक्त कई एक रोग काम के प्रभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अन्धापन, बहरापन, दमा, तपेदिक फ़ालिज इत्यादि। इस प्रकार की अयोग्यतायें भी एक परन्तुक द्वारा इसमें सम्मिलित की जानी चाहिये और इनसे प्रभावित लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार थकावट आ जाने से भी दुर्घटनायें हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में भी आंकड़े दिये जा चुके हैं अतः मैं इस मामले पर विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। अदालती कार्यवाहियों के कारण भी इन मामलों में कभी कभी काफी अधिक देर हो जाती है जिसको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

मजदूरों के पुनर्वास के लिये काम दिलाऊ कार्यालयों में एक अलग विभाग इस कार्य के लिये होना चाहिये जो कि ऐसे लोगों के लिये काम की व्यवस्था करे जो कि अयोग्य हो जाने के कारण किसी कारखाने से निकाल दिये गये हों। इस मामले पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये।

बकाया रुपये की वसूली के लिये भी कई बार कठिनाइयां आती हैं। मालिकों के विरुद्ध एक १२०० रुपये की डिक्री को वसूल करने के लिये एक मामले में चार वर्ष का समय लगा और ४०० रुपये का खर्च आया। ६ प्रतिशत ब्याज का उपबन्ध इस प्रकार की देर को रोकने के लिये काफी नहीं है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। मुआवजे के मामले में दुर्घटना को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व मालिकों पर डालना चाहिये। इस मामले में न्यायिक विवादों के कारण जो भ्रांति है उसे अधिनियम में स्वयं स्पष्ट कर देना चाहिये।

इस प्रकार के विधान सामाजिक महत्व के हैं, परन्तु इस दिशा में सुधारों के बावजूद सरकार बहुत ही धीमी गति से चल रही है और वर्तमान औद्योगिक विकास की गति के साथ चलना असम्भव हो रहा है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस दिशा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं पहली बात तो यह है कि बागानों के श्रमिकों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये क्योंकि कृमिनाशक पदार्थों का उपयोग करने के कारण वहां दुर्घटनाओं की संख्या पर्याप्त बढ़ गई है। ताड़ी बनाने, सुपारी तथा नारियल इत्यादि तोड़ने में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरते समय भी घातक दुर्घटनायें हो जाती हैं लेकिन उनको कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता है। उन्हें भी प्रतिकर मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि देश की विकसित अर्थ व्यवस्था के कारण पत्थर इत्यादि की खानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकांश खानों में कोयला खान इत्यादि की तरह कोई निरीक्षक इत्यादि नहीं रहते हैं परिणाम यह है कि अधिनियम के अन्तर्गत आने पर भी वहां के श्रमिकों को प्रतिकर नहीं मिल पाता है।

अस्तु मेरा निवेदन है कि विधेयक की अनुसूची में संशोधन किया जाय। और इसमें अन्य उद्योगों को भी शामिल किया जाय। यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। वस्तुतः बात यह है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर पर्याप्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

जागरूक नहीं हैं अन्यथा यह एक समवर्ती विषय है और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में निदेश जारी कर राज्य सरकारों को इसके पालन के लिये विवश कर सकती है। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि आंशिक संशोधन प्रस्तुत करने के स्थान पर यह कहीं अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाय।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि): मैंने इस विधेयक पर दो संशोधन रखे हैं। पहिला मल के गैस से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में है। इससे होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। दूसरी चमड़ा उद्योग से होने वाली दुर्घटनायें हैं। वे लोग चमड़े का काम करते करते कई तरह के त्वचा रोगों से ग्रसित हो जाते हैं अतः इन दोनों रोगों को भी इस विधेयक की परिधि के अन्तर्गत लाया जाये।

कई मामलों में प्रतिकर की अदायगी में भी बड़ा विलम्ब होता है। सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करे।

†**श्री आबिद अली** : सभा में वादविवाद मुख्यतः दो चार प्रश्नों तक ही सीमित रहा। यथा, विवरण प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जा रहा है, ४०० रु० की सीमा को बढ़ा कर ५०० रु० कर दिया जाय, प्रतिकर देने में अधिक उदारता बरती जानी चाहिये तथा प्रतिकर देने तथा मामलों का निपटारा करने में विलम्ब हो रहा है। कुछ ऐसे भी तर्क रखे गये जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कह डाला कि इस विधयक के कुछ खण्ड कामगरों के हितों के विरोधी और नियोजकों के हितों की सहायता करने वाले हैं।

उदाहरणस्वरूप यह बात कही गई कि क्योंकि हमने प्रतिकर देने का समय बढ़ा दिया है इसका यह फल होगा कि नियोजक लोग इसका लाभ उठायेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी आरोप लगाया गया है कि हम पर नियोजकों का दबाव पड़ा है। मुझे खेद है कि ऐसे लोग भी जिन्होंने कुछ स्पष्ट कारणों से कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को प्रर्याप्त सुविधायें प्रदान की हैं, जिस कारण स्वयं उनके दल वालों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किये है, वे ही यहां आकर यह कहते हैं कि हम पर नियोजकों का दबाव पड़ा है। इसलिये हम मजदूरों के प्रति न्याय नहीं कर रहेहैं। यह कहा गया है कि विरोधी पक्ष के कुछ कार्मिक संघ संगठनों द्वारा किये गये आन्दोलनों के फलस्वरूप यह संशोधन किये जा रहेहैं। यह बात सही नहीं है इन सुधारों का सूत्रपात हमने ही किया है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञापन तैयार करके अखिल भारतीय कार्मिक संघों, नियोजकों और राज्य सरकारों को भेजे गये। इस सबन्ध में कई विवाद और सम्मेलन हुये जिनमें यह निर्णय किया गया कि उपर्युक्त दो बातों में, जिनका उल्लेख मैंने पहले पहल किया है, काफी समय लगेगा। इसलिये इस दौरान यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर संसद् द्वारा पारित किया जाये और इसे लागू कर दिया जाये।

यह सुझाव रखा गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। इस प्रकार का एक सुझाव राज्य सभा में भी रखा गया था। वस्तुतः मैं चाहता था कि यह विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र में ही पारित हो जाये। इसलिये मैंने सदस्यों से श्रम सम्बन्धी मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने और एक अनौपचारिक समिति में बैठने का अनुरोध किया था। उस समिति में कई प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मूल संशोधन विधेयक में प्रतीक्षा की अवधि ५ दिन की थी । इसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर रखा गया था । तथापि समिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि इसे घटा कर तीन दिन कर दिया जाये । जिन सदस्यों ने आज यहां भाषण दिये उन में से कुछ सदस्य उस समिति में भी उपस्थित थे, किन्तु आज उन्होंने यहां आकर समिति के निर्णय की आलोचना की है । मै नहीं जानता कि वे सदस्य कहां तक सही हैं ।

जहां तक ४०० रु० से ५०० रु० कर देने वाले प्रश्न का सम्बन्ध है कुछ सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रारम्भ में कही गई बातों को ध्यान से सुनने का कष्ट नहीं किया है । यदि उन्होंने मेरे द्वारा प्रातः कही गई बातों को ध्यान से सुना होता तो वह कदाचित इतनी आलोचना नहीं करते । मैंने उन्हें यह बताया था कि संशोधन सम्बन्धी दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को यथा प्रतिकर की वर्तमान दरों को बदलने और मजूरी सीमा को ४०० रु० से बढ़ा कर ५०० रु० करने के प्रस्तावों को औद्योगिक वित्त पर उनका प्रभाव जानने के निमित्त एक जीवनांकिक समिति को सौंपा गया है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है । हमारा इरादा है कि प्रतिवेदन की शीघ्र से शीघ्र जांच की जाये और इस प्रश्न का निपटारा कर तत्काल एक विधेयक सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

जहां तक विवरणों का सम्बन्ध है अधिकांश विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं निसंदेह कुछ विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं । तथापि इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मजदूरों को प्रतिकर नहीं दिया जाता है । प्रतिकर प्रत्येक मजदूर को दिया जाता है । पिछली बार जब विवरण प्रस्तुत किये गये थे तो चार अखिल भारतीय कार्मिक संघों ने यह दावा किया था कि उनकी सदस्यता ३० लाख से भी अधिक है । माननीय सदस्य ने कहा है कि इस अधिनियम के अधीन ३२ लाख सदस्य आते हैं । इससे प्रतीत होता है कि कार्मिक संघ अधिकांश सदस्यों का ख्याल रखते होंगे । कार्मिक संघों को यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक मजदूर जिसे प्रतिकर लेने का अधिकार है उसे प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिये । हमारे सभी विभाग तथा हम इस मामले में सक्रिय दिलचस्पी लेते हैं । निस्संदेह कुछ मामलों में विलम्ब हो सकता है । तथापि प्रयत्न किया जाता है कि उन मामलों का भी तत्काल निपटारा किया जाये । हम राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित श्रमिक विभागों पर उपयुक्त दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं । श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी इन बातों पर चर्चा की जाती है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं । यह प्रश्न वस्तुतः राज्य विधान सभाओं में उठाया जाना चाहिये था । इस सम्बन्ध में सुझाव दिये जा सकते हैं । वस्तुतः सभी राज्य सरकारें सभी मामलों में असावधानी नहीं करती हैं । कुछ कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं ।

बम्बई के एक माननीय मित्र ने कहा है कि प्रतिकर के रूप में ६ प्रतिशत सूद अधिक नहीं है । ६ प्रतिशत सूद ५० प्रतिशत दंड से पृथक दिया जायेगा । यदि आयुक्त को इस बात का विश्वास हो कि प्रतिकर देने में नियोजक ने जानबूझ कर उपेक्षा दिखाई है तो दंड प्रतिकर का ५० प्रतिशत भी हो सकता है । ६ प्रतिशत प्रतिकर उसके अलावा देना होगा ।

इस सम्बन्ध में कई मुकदमे भी चले हैं । यह विधि संसद द्वारा पारित की गई है तथापि इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है । जहां नियोजक या नियोजकों की कुछ संख्या इन नियमों की अवहेलना करती है, वहां उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं । उनमें कुछ समय लगता है । इस सम्बन्ध में हम असहाय हैं । कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर सारी सरकारी सहायता बन्द कर दी जाये । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कारखाने बन्द कर दिये जायें और मजदूरों को हटा दिया जाये या उनकी छंटनी कर दी जाये ।

वस्तुतः मुझे विश्वास नहीं हो सकता है कि जिम्मेदार कार्मिक संघों के उत्तरदायी नेता यह सुझाव देंगे कि नियोजक की एक गल्ती का यह दंड दिया जाये कि सारे मजदूरों को उसकी वजह से घर बैठना पड़े ।

एक माननीय सदस्या ने यह सुझाव दिया है कि इस अधिनियम को अधिक उद्योगों पर लागू किया जाये । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिनियम में ही यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार इस अधिनियम को अन्य उद्योगों में लागू कर सकती हैं । इस प्रयोजन के लिये अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक परिवहन कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं उन्हें मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर मिलता है । पत्थर की खानों में काम करने वाले मजदूर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं मल कर्मचारियों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था । तथापि वे नगर पालिकाओं के कर्मचारी होते हैं और उन्हें भी प्रतिकर दिया जाता है । एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब वे एक सुरक्षा सम्मेलन में सम्मिलित हुए तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और खान निरीक्षक अपना कार्य संतोषजनक तरीके से नहीं कर रहे हैं । मैं उस सम्मेलन का सभापति था तथापि मैंने तो कोई ऐसी बात अनुभव नहीं की । उस सम्मेलन में १९५७ के वर्ष का प्रतिवेदन रखा गया था उस वर्ष खानों में सबसे कम दुर्घटनायें हुई थीं । १९५५ में दुर्घटनाओं की संख्या ७५,७९३ और १९५६ में ६१,६१० थीं । कारखानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या १९५५ में ३८,७४१, १९५६ में २९,४४६ थी । बागानों में १९५५ में ३,६५९ और १९५६ में ९१५ दुर्घटनायें हुईं । इसी प्रकार रेलों में १९५५ में १९,९३१ और १९५६ में १२,६१९ दुर्घटनायें हुईं । निसंदेह दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होने का श्रेय जनता तथा मजदूर दोनों को है ।

इस विधेयक ने कृत्रिम अंगों के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम में इस सम्बन्ध में एक विशेष विभाग है । कोयला खानों के सम्बन्ध में भी उनके यहां एक विशेष विभाग है । कुछ लोगों को पूना के सैनिक विभाग में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है । इस प्रकार यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है । उन सबका इस विधेयक में उल्लेख करना संभव नहीं है ।

सीमा को ४०० से बढ़ा कर ५०० करने का प्रश्न एक पृथक विधेयक में लिया जायेगा । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि एक मुश्त भुगतान करने के स्थान पर मासिक भुगतान करने की प्रणाली प्रारम्भ की जाये । इसके लिये व्यवस्था में परिवर्तन करना पडेगा और सरकार के दायित्व में भी वृद्धि हो जायेगी ।

जहां तक सर्वव्यापी विधान को पुरस्थापित करने का प्रश्न है, मैं नहीं समझ सका कि इस प्रकार के विधेयक से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है । प्रत्येक विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की यही शिकायत रहती है कि तत्सम्बन्धी व्यापक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक के तरह की कोई चीज हो ही नहीं सकती है ।

जहां तक दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का सम्बन्ध है, यदि राज्य सरकारें चाहें तो इन्हें भी अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत ला सकती हैं । कानपुर में माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हमें भुगतान न किये गये प्रतिकर की राशि के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । वस्तुतः इस सम्बन्ध में जानकारी कार्मिक संघों ने एकत्र कर हमारे पास भेजनी चाहिये । शिकायतें आने पर हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह राशि मजदूरों को चुकायी जाये । वस्तुतः भुगतान न की गई राशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करना न तो संभव है न आवश्यक ही है ।

अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन विधियों की आलोचना करने के स्थान पर कार्मिक संघों से अधिक सम्पर्क स्थापित करें और मजदूरों के कल्याण की ओर अधिक ध्यान देवें। मुझे विश्वास है ऐसा करने पर आज कही गई बातों को दुहराने की आवश्यकता नहीं होगी और हम सभी उनके कृतज्ञ रहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री ले० अचौ सिंह** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, फरवरी, २० १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९ / ३० माघ, १८८० (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	९४५--७२
तारांकित प्रश्न संख्या	
४१८ कृषि प्रशासन समिति . .	९४५--४९
४१९ अन्दमान से इमारती लकड़ी	९४९--५१
४२० "अपना टेलीफोन" योजना	९५१--५३
४२१ भारत-पाक नहरी पानी विवाद	९५३--५५
४२२ भारतीय नदियों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता	९५५--५७
४२५ बकिंघम नहर का यातायात सर्वेक्षण	९५७–५८
४२६ दक्षिणी प्रदेश में गेहूं की खपत .	९५८–५९
४२८ टेल्कों के इंजन	९६०–६२
४२९ छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से रखना	९६२
४३० दुर्गम क्षेत्र समिति . .	९६२–६३
४३१ रेंड बांध परियोजना .	९६३–६४
४३२ त्रिवलोन के निकट अवतारक-शुल्क पत्तन .	९६४–६५
४३३ हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज में खराबियां	९६५–६६
४३५ महामारियों की रोकथाम के लिये कार्यवाही	९६६--६८
४३९ हिमाचल प्रदेश में चारे की कमी	९६८
४४१ दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	९६९–७०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
२ **मणिपुर राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस**	९७०--७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या	
४२३ टीका लगाना .	९७२
४२४ हैदराबाद में मेयर सम्मेलन .	९७३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

४२७	भारत-पाक नहरी पानी विवाद	९७३-७४
४३४	उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	९७४
४३६	उड़ीसा में धान और चावल	९७४-७५
४३७	छोटे पत्तनों का विकास	९७५
४३८	कपास में गवेषणा	९७५
४४०	कुरडुवाडी-मिरज रेलवे लाइन	९७६
४४२	अमरीका से खाद्य सहायता	९७६
४४३	दिल्ली में केन्द्रीय डेरी फार्म	९७६
४४४	त्रिपुरा में चावल और धान का स्टाक	९७६-७७
४४५	तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे	९७७
४४६	आसाम रेल सम्पर्क	९७७-७८
४४७	महानदी पर पुल	९७८
४४८	रेलगाड़ी में डाका	९७८-७९
४४९	सड़कों सम्बन्धी प्रारूप योजना	९७९
४५०	उर्वरक	९७९-८०
४५१	दिल्ली विद्युत् नियंत्रण बोर्ड	९८०
४५२	भूटान-भारत रोड लिंक	९८०
४५३	पर्यटक यातायात	९८०-८१
४५४	केरल में जल संभरण योजनायें	९८१-८२
४५५	दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों द्वारा हड़ताल	९८२
४५६	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	९८२
४५७	नई दिल्ली नगर निगम समिति क्षेत्र	९८२-८३
४५८	औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्मेलन	९८३
४५९	नागार्जुनसागर परियोजना	९८३
४६०	हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव	९८४
४६१	फसल तथा ढोरों का बीमा	९८४
४६२	त्रिपुरा में चावल	९८४-८५
४६३	कोजिकोड में ऊपरी पुल	९८५
४६४	आसाम में क्षय रोग	९८५-८६

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४६५ बाइसिकल चलाने वालों के लिये अलग रास्ते . . ६८६
४६६ इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन . . ६८६
४६७ हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा-नंगल से बिजली ६८६–८७

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४८९ पंजाब में मुर्गी पालन का विकास . . . ६८७
४९० क्षय रोग से मृत्यु ६८७
४९१ स्टेशनों पर सामान रखने की सुविधायें . . . ६८७
४९२ डाकखानों से गायब धनराशि ६८७–८८
४९३ पंजाब में नल-कूप . . ६८८
४९४ इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन . . ६७८
४९५ सिलेरू जल-विद्युत् परियोजना . . ६८८–८९
४९६ आन्ध्र प्रदेश में मचकुण्ड परियोजना . ६८९
४९७ बड़ी सिंचाई योजनायें ६९०
४९८ आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना . . ६९०
४९९ बम्बई राज्य में सिंचाई कार्य . ६९०
५०१ वर्षा से पुलों को हानि . . ६९०–९१
५०२ दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना . ६९१
५०३ दिल्ली में यमुना नदी पर दूसरा पुल . . ६९१
५०४ सहकारी समितियां . . . ६९१–९२
५०५ खाद तथा उर्वरक . . . ६९२
५०६ जबलपुर में रेल का फाटक ६९२–९३
५०७ पंजाब से खाद्यान्न का बाहर जाना . . ६९३
५०८ टेलीफोन एक्सचेंज ६९३
५०९ चूहा मार आन्दोलन . . ६९३–९४
५१० परिवार नियोजन पदाधिकारी . . ६९४
५११ केन्द्रीय चिकित्सा-विधि परामर्शदात्री समिति . ६९४–९५
५१२ 'गंगोवाल हॉट लाइन्स क्रू' प्रशिक्षण केन्द्र, भाखड़ा . ६९६
५१३ कृषि तथा पशपालन गवेषणा ६९६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
५१४	सुप्रीम कोर्ट बार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड .	९९६-९७
५१५	सिंचाई की छोटी योजनायें	९९७
५१६	गलियारे वाली रेलगाड़ियां . . .	९९७
५१७	पशुओं का चारा	९९७
५१८	नहरी पानी विवाद सम्बन्धी कान्फ्रेंसों पर व्यय . .	९९८
५१९	राज्यों में फार्मेसी-परिषदें	९९८
५२०	राज्य बिजली बोर्ड	९९९
५२१	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . . .	९९९
५२२	हीराकुड बांध परियोजना के छंटनी किये गय कर्मचारियों को काम पर लगाना	९९९
५२३	आलू की फसल	१०००
५२४	विदेश में पर्यटक-कार्यालय	१०००
५२५	मथुरा-दिल्ली रेल का देर से चलना . . .	१०००-०१
५२६	भारत में बाल मृत्यु	१००१
५२७	मध्य प्रदेश से चावल का समाहार . . .	१००१
५२८	डाक कर्मचारियों की वर्दी के लिये भुगतान . .	१००२
५२९	उड़ीसा में गोदाम	१००२-०३
५३०	मनीपुर में चिकित्सा कर्मचारी	१००३
५३१	पंजाब में राज्य-निगम	१००३
५३२	रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन	१००३
५३३	कुष्ठ-निरोधक कार्य	१००३-०४
५३४	कटक स्टेशन पर नीचे का पुल	१००४
५३५	दक्षिण-पूर्व रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की नकद जमानत का लौटाया जाना	१००४-०५
५३६	बिहार में सिंचाई परियोजनायें	१००५
५३७	बम्बई विदर्भ क्षेत्र किसान अधिनियम . . .	१००५
५३८	बड़े पत्तनों पर माल का हस्तन	१००५-६
५३९	विश्राम-गृहों के लिये पूरे समय काम करने वाले प्रबन्धकों की नियुक्ति	१००६-७

अतारांकित प्रश्नसंख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
५४०	केरल में सुपारी के लिये क्षेत्रीय प्रयोगात्मक केन्द्र	१००७
५४१	केरल में सड़कों का विकास	१००७–८
५४२	स्नोडैम राज्य अस्पताल (हिमाचल प्रदेश)	१००८
५४३	हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें	१००८
५४४	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड	१००९
५४५	रोढ़ (हिमाचल प्रदेश) की बिजली परियोजना	१००९
५४६	जब्बल में बिजली-घर	१०१०
५४७	पूना-शोलापुर लाइन पर बिजली से रेलें चलाना	१०१०
५४८	कोयना परियोजना	१०१०
५४९	एक्स-रे का सामान	१०११
५५०	जसडीह स्टेशन के निकट दुर्घटना	१०११–१२
५५१	खड्गपुर रेलवे वर्कशाप	१०१२
५५२	खवाई (त्रिपुरा) में सूखा	१०१३
५५३	गोवध निरोध अधिनियम	१०१३
५५४	कल्कलीघाट स्टेशन	१०१३–१४
५५५	चीनी के कारखाने	१०१४
५५६	टिकट क्लेक्टर	१०१४
५५७	दिल्ली-लखनऊ सेक्शन पर प्लेटफार्मों पर शेल्टर	१०१४

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १०१५

अध्यक्ष महोदय ने श्री सिद्धप्पा होशमानी के, जो कि भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया।

इसके बाद सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १०१५

मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी :—

(१) मनीपुर गजट में प्रकाशित मनीपुर के लिय मोटरगाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९५८

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)	
की अधिसूचना संख्या बी-टीपी/७/५६ द्वारा संशोधित २५ जुलाई, १९५८ की संख्या बी-टीपी/७/५६ ।	
(२) अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की संख्या १४१/५८ ।	
कार्यमंत्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ .	१०१५
पैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	१०१६—३२
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक विचाराधीन . .	१०३२—५३
श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) द्वारा कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि

श्री नौशीर भरूचा द्वारा प्रस्तुत संसद् विशेषाधिकार विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और उसे पारित करना तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।